****

महिला कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड

****

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) ख के अन्तर्गत
17 बिन्दुओं पर आयोग के मैनुअल

(वित्तीय वर्ष 2025–26)

भाग–1

मैनुअल संख्या–1 से 17 तक

****

कार्यालयः– सुद्धोवाला निकट नन्दा की चौकी, प्रेमनगर,

देहरादून

फोन न0– 0135–2974534

****

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर0टी0आई0) धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

अनुक्रमणिका

भाग	मैनुअल संख्या	विवरण	पृ0 सं0
1	मैनुअल संख्या–1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	3-7
2	मैनुअल संख्या–2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,	8-19
3	मैनुअल संख्या–3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	20-22
4	मैनुअल संख्या–4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक	23-39
5	मैनुअल संख्या–5	अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	40-98
6	मैनुअल संख्या–6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण ,	99-101
7	मैनुअल संख्या–7		102
8	मैनुअल संख्या–8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	103-151
9	मैनुअल संख्या–9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	152-157
10	मैनुअल संख्या–10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हैं	158-163
11	मैनुअल संख्या–11	समी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	164-178
12	मैनुअल संख्या–12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	178
13	मैनुअल संख्या–13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया	179
14	मैनुअल संख्या–14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो	181
15	मैनुअल संख्या–15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	182
16	मैनुअल संख्या–16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टिया	183-185
17	मैनुअल संख्या–17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	186

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–01

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

संगठन का नाम और पता, संगठन का प्रमुख, विजन, मिशन और मुख्य उद्देश्य, कार्य और कर्तव्य, संगठन चार्ट, कोई अन्य विवरण – विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय–समय पर विभागाध्यक्षों के साथ–साथ समय–समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण।

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

विभाग का नाम और पता व उत्पत्ति/स्थापना

किसी भी समाज के विकास का सीधा संबंध उस समाज की महिलाओं व बच्चों के विकास से जुडा होता है। महिलाओं एवं बालक/बालिकाओ हेतु संचालित योजनाओ के अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं सम्पादन हेतु **शासनादेश संख्या 39/XVII-2/2019-11(12)/2018** दिनांक 17 जनवरी, 2019 द्वारा समाज कल्याण विभाग से पृथक कर निदेशक, महिला कल्याण का पद सृजित करते हुए **निदेशालय महिला कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून** में स्थापित किया गया है। **निदेशालय, महिला कल्याण, निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, पो0– प्रेमनगर, चकराता रोड, देहरादून,** उत्तराखण्ड में संचालित है।

मुख्य उद्देश्य, कार्य और कर्तव्य

महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनाथ, परित्यक्त, निराश्रित, शारीरिक एंव मानसिक रूप से दिव्यांग व विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चों एवं महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से उनके भरण–पोषण संरक्षण एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु स्वैच्छिक एवं राजकीय संस्थाऐं राज्य के विभिन्न जनपदों मं संचालित है, जिनमें उक्त श्रेणी की महिलाओं/बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ–साथ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, एवं मनोरंजन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनो का मार्गदर्शन करना, उसके प्रयासो का समन्वय करना तथा महिलाओं व बच्चों के लिए कतिपय अभिनव कार्यक्रम क्रियान्वित करना भी महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम–1958, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम–2015, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम–1956, दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, पोक्सो अधिनियम** 2012 के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की बाल संरक्षण योजनान्तर्गत कार्यालय/संस्थाए संचालित है। यह योजना बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के सर्वोत्तम हित के आधारभूत सिद्वांतो पर तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व नियमावली 2016 पर आधारित है।

निदेशालय महिला कल्याण का प्रशासनिक ढांचाः–

क. शासन स्तर पर :

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. संयुक्त सचिव
4. उप सचिव
5. अनु सचिव
6. अनुभाग अधिकारी

ख. निदेशालय स्तर पर :

1. निदेशक
2. वित्त नियंत्रक
3. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
4. विधि अधिकारी
5. समूह ''ग'' कर्मचारी
6. समूह ''घ'' कर्मचारी

ग. मण्डल स्तर पर :

1. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
2. उद्वार अधिकारी
3. समूह ''ग'' कर्मचारी
4. समूह ''घ'' कर्मचारी

घ. जनपद स्तर पर :

1. जिला परिवीक्षा अधिकारी
2. परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर
3. समूह ''ग'' कर्मचारी
4. समूह ''घ'' कर्मचारी

ण. संस्था स्तर पर :

1. अधीक्षक/अधीक्षिका
2. सहायक अधीक्षक
3. समूह ''ग'' कर्मचारी
4. समूह ''घ'' कर्मचारी

निदेशालय महिला कल्याण के अन्तर्गत संचालित समितियां/बोर्ड

क0 सं0	समिति/बोर्ड का नाम	एकक
1	राज्य स्तरीय चयन समिति	01
2	राज्य स्तरीय बाल संरक्षण समिति (SCPS)	01
3	राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)	01
4	जनपद स्तरीय बाल संरक्षण ईकाई (DCPU)	13
5	जनपद स्तरीय किशोर न्याय बोर्ड (JJB)	13
6	जनपद स्तरीय बाल कल्याण समिति (CWC)	13

निदेशालय महिला कल्याण के अर्न्तगत संचालित राज्य पोषित योजना

कम सं0	योजना का नाम
1	राजकीय शिशु सदन(बालक/बालिका)
2	राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (बालिका)
3	राजकीय बाल गृह (बालक)
4	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक)
5	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालिका)
6	राजकीय विशेष गृह (किशोर)
7	राजकीय विशेष गृह (किशोरी)
8	राजकीय सुरक्षा का स्थान (किशोर/किशोरी)
9	राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (मानसिक)
10	महिला कल्याण एवं पुर्नवास केन्द्र(सामान्य)
11	राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय (बालिका)
12	राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र:
13	राजकीय उत्तर रक्षा गृह (बालिका)
14	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना **(Mukhyamantri Vatsalya Yojana)**
15	अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण
16	कौशल्या डबराल संवासिनी प्रोत्साहन योजना
17	परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम एवं कम्यूनिटी होम

निदेशालय महिला कल्याण में संचालित केन्द्र पोषित योजना

1	मिशन वात्सल्य	बाल देख–रेख गृह (Child Care Institution)
		विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (Special Adoption Agency)
		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेष इकाई (Special Unit Special Need Children)
		खुला आश्रय (Open Shelter)
		सम्प्रेक्षण गृह (Observation Home)
		विशेष गृह (Special Home)
		सुरक्षा का स्थान (Place of Safety)
		प्रवर्तकता कार्यक्रम (Sponsorship)
		पालन पोषण देखभाल (Foster Care)
		पाश्यात्वर्ती देखभाल (After Care)
		दत्तक ग्रहण (Adoption)
		बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड कार्यलयों का संचालन
2	मिशन शक्ति	शक्ति सदन
3	पी0एम0 केयर्स फॉर चिल्ड्रेन	
4	चाइल्ड हैल्पलाइन 1098	
5	पोक्सो पीड़ितों हेतु सहायता योजना	

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–02

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

(1) अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)

(2) अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(3) नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं

(4) सम्पादित कार्य

(5) कार्य आवंटन

निदेशक

- विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन कराना।
- नीतिगत निर्णयों का अनुपालन कराना।
- विभागीय विषयों पर विविध कार्ययोजनाओं को शासन के विचारार्थ अग्रसारण कराना।
- शासन, भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं सहित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- विभागीय कार्यक्रमों पर शासन/भारत सरकार के स्तर पर प्रतिनिधित्व करना।
- जनपदों को बजट आवंटित करना।
- मिशन वात्सल्य योजना का संचालन एवं अनुश्रवण करना।

मुख्य परिवीक्षा अधिकारी

- विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना।
- आहरण–वितरण का कार्य, निदेशालय स्तर से प्राप्त बजट के उपभोग की कार्यवाही सम्पन्न करना।
- विभागीय विषयों पर विविध कार्ययोजनाओं से निदेशक महोदय को अवगत कराना।
- समय–समय पर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठकें लेना तथा कार्यों की समीक्षा करना।
- नवीन योजनाओं के नियमानुसार कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- विभागीय बैठकों में प्रतिभाग कर कार्यप्रदर्शन एवं अनुश्रवण करना।

- कार्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य–कलापों की देखरेख करना।
- विभागीय समूह, "ख" कार्मिकों के स्थापना संबंधी कार्य दायित्व का निर्वहन।
- प्रथम अपीलीय अधिकारी का कार्यदायित्व का निर्वहन।

उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी (गढवाल/कुमाऊँ सम्भाग)

- निदेशक एवं मुख्य परिवीक्षा अधिकारी से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन।
- मण्डलीय स्तर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता व जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित करना।
- विभागीय व स्वैच्छिक संस्थाओं का निरीक्षण करना व नियमानुसार कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन/निर्देशित करना।
- विभागीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण व बैठकों का आयोजन कराना।
- कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करना।
- लोक सूचना अधिकारी का कार्यदायित्व का निर्वहन।
- विभागीय समूह, "ग" व "घ" कार्मिकों के स्थापना संबंधी कार्य दायित्व का निर्वहन।
- मा0सर्वोच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयों में योजित विभिन्न न्यायिक विवादों की पैरवी व निस्तारण में सहयोग करना।
- भारत सरकार की संचालित योजनायें यथा मिशन वात्सल्य, व दत्तक ग्रहण अभिकरण का कियान्वयन।
- सूचना का अधिकार, विधान सभा, राज्य सभा, लोक सभा के प्रश्नों का प्रतिउत्तर के साथ मानवाधिकार आयोग व अन्य आयोगों, बोर्डों आदि से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना।

जिला परिवीक्षा अधिकारी

- जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय तथा अन्य विभागीय बैठकों में भाग लेना तथा स्वयं जिला स्तर पर बैठक आयोजित कर विभागीय प्रगति का अनुश्रवण करना।
- आहरण–वितरण का कार्य, निदेशालय स्तर से प्राप्त बजट के उपभोग की कार्यवाही सम्पन्न करना।
- कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता को प्रेरित करने के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना।

- विभाग के कार्यक्रमों का समय–समय पर प्रचार–प्रसार करना व विभिन्न बैठकों व कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- संस्थाओं का निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- कार्यालयों की समस्याओं का निराकरण करना तथा निराकरण हेतु निदेशालय को अग्रसरित करना।
- अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करना, जनपद एवं यथासम्भव विकासखण्ड स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना।
- संस्थानिक व गैर संस्थानिक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उसकी समीक्षा तथा यथा समय उसे निदेशालय में उपलब्ध कराना।
- अन्य कार्य : समय–समय पर सक्षम स्तर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
- दत्तक ग्रहण की कार्यवाही करना।

परिवीक्षा अधिकारी

- जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय तथा अन्य विभागीय बैठकों में भाग लेना तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी के निर्देशन में विभागीय योजनाओं/संस्थाओं का निरीक्षण करना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।

अधीक्षिका/अधीक्षक

- जिला परिवीक्षा अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करना।
- संस्था की समुचित देखभाल करना तथा संस्था में निरूद्ध संवासिनियों के भरण–पोषण की उचित व्यवस्था करना एवं शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार संस्था का संचालन करना।

केस वर्कर (बाल कल्याण अधिकारी)

- प्रत्येक बाल कल्याण अधिकारी अथवा बाल देखभाल संस्था में मामला कार्यकर्ता बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का कार्यान्वयन करेगा।
- बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

- बाल कल्याण अधिकारी संस्था किसी बालक को लेने के लिए बाल देखभाल संस्था में उपलब्ध मामला कार्यकर्ता उसे मित्र बनाने और उसकी सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए बालक के साथ बातचीत करेगा तथा बालक प्राप्त करने की प्रकिया का पर्यवेक्षण करेगा।
- पुलिस अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर अथवा बाल देखभाल संस्था में बालक के पहुंचने पर बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता बाल व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से तुरंत बालकों की सामाजिक जांच करना और उसके परिवार के सदस्यों, सामाजिक अभिकरणों तथा अन्य स्त्रोतों से पूर्ववर्ती तथा बालक के परिवार के इतिहास की जांच करता है तथा जो भी प्रासंगिक सामग्री हो, ऐसी अन्य सामग्री को एकत्र करता है तथा 15 दिन के भीतर बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- बाल देखभाल संस्था में सभी बालक बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता को सौंपे जाएंगे तथा ऐसा बाल कल्याण अधिकारी अथवा बालक की देखभाल और विकास अर्थात् सभी पहलुओं, बालक के बारे में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को रिपोर्ट करने अथवा बाल देखभाल संस्था में बाल अभिलेखों का रख रखाव करने में उसको सौंपे गए बालक के लिए जिम्मेदार होगा।
- बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को बालक को सौंपे जाने पर, बाल कल्याण अधिकारी बालक की मामला फाइल तैयार करना।

<u>सहायक अधीक्षक/अधीक्षिका</u>

- संस्था की समुचित देखभाल करना तथा संस्था में निरूद्ध संवासियों के भरण–पोषण की उचित व्यवस्था करना एवं शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार संस्था का संचालन करना।
- बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जिसे बाल देखरेख संस्था के परिसर की दैनिक सफाई को जांचने एवं दैनिक खाना पकाने के कार्य को जांचना।

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि

1–निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकृतकर्ता
1	निदेशक	सचिव	सचिव	सचिव
2	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक	निदेशक	सचिव
3	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक
4	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय कार्मिक	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक
5	समूह 'घ' वर्गीय कार्मिक	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक

2–मण्डल स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकृतकर्ता
1	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक	निदेशक	सचिव
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक
3	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय कार्मिक	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक
4	समूह 'घ' वर्गीय कार्मिक	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक

3–जिला स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकृतकर्ता
1	जिला परिवीक्षा अधिकारी	जिलाधिकारी	निदेशक	सचिव
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	जिला परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक
3	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय कार्मिक	जिला परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक
4	समूह 'घ' वर्गीय कार्मिक	जिला परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक

4–संस्था स्तर में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	प्रतिवेदक	समीक्षक	स्वीकृतकर्ता
1	अधीक्षक/अधीक्षिका	जिला परिवीक्षा अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशक

उपार्जित, चिकित्सा, मातृत्व एवं बाल्य देखभाल अवकाश

1–जनपद स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	अवकाश का प्रकार	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1	जिला परिवीक्षा अधिकारी	उपार्जित, चिकित्सा, मातृत्व एवं बाल्य देखभाल	42 दिन तक जिलाधिकारी 43 दिन से अधिक निदेशक
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	42 दिन तक जिला परिवीक्षा अधिकारी 43 से 60 दिन तक उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, 61 दिन से अधिक मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/निदेशक
3	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय कार्मिक	तदैव	42 दिन तक जिला परिवीक्षा अधिकारी, 43 से 60 दिन तक उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी 60 दिन से अधिक मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/निदेशक
4	समूह 'घ' वर्गीय कार्मिक	तदैव	90 दिन तक जिला परिवीक्षा अधिकारी 90 दिन अधिक तक मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/निदेशक

2–मण्डल स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	अवकाश का प्रकार	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	उपार्जित, चिकित्सा, मातृत्व एवं बाल्य देखभाल	निदेशक
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	60 दिन तक उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी 60 से अधिक दिन मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/निदेशक
3	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय कार्मिक	तदैव	90 दिन तक उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी 90 से अधिक दिन मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/निदेशक
4	समूह 'घ' वर्गीय कार्मिक	तदैव	90 दिन तक उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी 90 से अधिक दिन मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/निदेशक

3–निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में।

क्रम सं0	पदनाम/श्रेणी	अवकाश का प्रकार	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1	निदेशक	उपार्जित, चिकित्सा, मातृत्व एवं बाल्य देखभाल	सचिव
2	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	तदैव	निदेशक
3	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
4	समूह 'ग' लिपिक वर्गीय कार्मिक	तदैव	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
5	समूह 'घ' वर्गीय कार्मिक	तदैव	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी

निदेशालय, महिला कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून में कार्यरत् कार्मिकों को आंवटित कार्यदायित्व

क्र0 स0	कार्मिक का नाम/पद नाम	आवंटित कार्य
1	श्रीमती समीक्षा शर्मा, विधि अधिकारी	1. मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विभागीय रिट याचिकाओं, मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित विभागीय रिट याचिकाओं, ट्रिब्यूनल उत्तराखण्ड में योजित रिट याचिकाओं रिट याचिकाओं एवं अन्य समस्त प्रकार के न्यायालीय प्रकरणों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियॉ तैयार कर पत्रावलियों में अपनी टिप्पणी अंकित कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना। 2. निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य। लिंक कार्मिकः– श्री जयशंकर प्रसाद यादव
2	श्री मकान सिंह कण्डारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1. विभागान्तर्गत समस्त कार्मिक/अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति तथा सेवा निवृत्त कार्मिक/अधिकारियों के सेवा सत्यापन एवं देयक अवकाश नगदीकरण आदि समस्त कार्य। 2. विभागान्तर्गत मुख्य/उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी, अधीक्षक/अधीक्षिका, संवर्ग की स्थापना, 3. राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के वेतन निर्धारण, सत्यापन, जी. पी.एफ. अवकाश देयको का भुगतान संबधी कार्य। 4. किशोर न्याय निधि का रख–रखाव व पत्रावली का निस्तारण। 5. निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य। लिंक कार्मिकः– श्री मोहन चन्द्र जोशी/श्री विनोद सिंह बर्तवाल
3	श्री मोहन चन्द्र जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1. राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टियों का रख–रखाव। 2. अराजपत्रित कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का रख–रखाव। 3. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्मिकों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों एवं अधिष्ठान एवं देयकों सम्बन्धी समस्त कार्य। 4. सहायक अधीक्षक, पर्यवेक्षक, अन्वेषक, क्राफ्ट प्रशिक्षक/अध्यापक, नर्सरी/सहायक अध्यापक संवर्ग की स्थापनान्तर्गत अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही करना। 5. समूह ''घ'' के कार्मिकों की स्थापना सम्बन्धी कार्य। 6. लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आवेदन हेतु अधिकारियों एवं कार्मिकों के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धी कार्यवाही। 7. निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य। लिंक कार्मिकः– श्री मकान सिंह कण्डारी/श्री रणजीत सिंह गुंसाई
4	श्री रणजीत सिंह गुंसाई, मुख्य सहायक	1. विभागार्न्तग आउटसोर्स से सृजित पदों की निरन्तरता से सम्बन्धित कार्य (राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, देहरादून) 2. भरण–पोषण में वृद्धि। 3. विभागान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की संविदा अवधि के विस्तारीकरण का कार्य। 4. अधियाचन सम्बन्धी समस्त कार्य/सेवा नियमावलियां तैयार करवाना। 5. निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। लिंक कार्मिक–श्री अमित कुमार/श्री प्रवीन सिंह नेगी

5	श्री चन्द्र सिंह तोमर, मुख्य सहायक	1. निदेशालय के आहरण वितरण से सम्बन्धी समस्त बिलों/कैशबुक का रख–रखाव। 2. निदेशालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, जी. पी.एफ. पासबुक/लेजर ब्राडशीट का रख–रखाव एवं वार्षिक सत्यापन, समस्त प्रकार के बिलों का समयान्तर्गत भुगतान, आदि। 3. भवन एवं वाहन किराया का टेण्डर, विज्ञापन, मरम्मत बदलाव, नीलामी/अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त कार्य। 4. निदेशालय के नजारत/स्टोर सम्बन्धी कार्य जिसमें स्टेशनरी, डेडस्टॉक, साज–सज्जा/फर्नीचर , विद्युत आपूर्ति, इन्वर्टर, इन्टरनेट, टेलीफोन आदि का रखरखाव। 5. निदेशालय स्तर पर देयकों के जी0एस0टी0/टी0डी0एस0 कटौती एवं रख–रखाव। 6. समस्त प्रकार के आडिट प्रस्तरों का निस्तारण का कार्य 7. निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। लिंक कार्मिक–रणजीत सिंह गुसांई
6	श्री अमित कुमार, वरिष्ठ सहायक	8. निदेशालय के आहरण वितरण से सम्बन्धी समस्त बिलों/कैशबुक का रख–रखाव। 9. निदेशालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा पुस्तिका /जी. पी.एफ. पासबुक/लेजर ब्राडशीट का रख–रखाव एवं वार्षिक सत्यापन, समस्त प्रकार के बिलों का समयान्तर्गत भुगतान, आदि। 10. भवन एवं वाहन किराया का टेण्डर, विज्ञापन, मरम्मत बदलाव, नीलामी/अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त कार्य। 11. निदेशालय के नजारत/स्टोर सम्बन्धी कार्य जिसमें स्टेशनरी, डेडस्टॉक, साज–सज्जा/फर्नीचर , विद्युत आपूर्ति, इन्वर्टर, इन्टरनेट, टेलीफोन आदि का रखरखाव। 12. निदेशालय स्तर पर देयकों के जी0एस0टी0/टी0डी0एस0 कटौती एवं रख–रखाव। 13. निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। लिंक कार्मिक–विनोद सिंह बर्तवाल
7	श्री दीप सिंह वैयक्तिक सहायक	1.ई–मेल/व्हॉट्सएप करना व प्राप्त ई–मेलों को निकाल कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना व सम्बन्धित पटल सहायकों को प्राप्त कराना। 2.डाक प्राप्ति/प्रेषण सम्बन्धी समस्त कार्य सम्बन्धित पटल सहायकों को डाक हस्तगत कराना एवं एस0पी0एस0 पंजिका का रख–रखाव। 3.आकास्मिक अवकाश एवं अवकाश लेखा पंजिका का रख–रखाव। 4.ई–ऑफिस पर डाकों को ऑन लाईन करना एवं प्रेषण करना आदि कार्य। 5.मा. मुख्यमंत्री जी से सन्दर्भित प्रकरणों का निस्तारण। 6.निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। लिंक कार्मिक– सुश्री स्वाति भट्ट
8	सुश्री स्वाति भट्ट, वैयक्तिक सहायक	1. समस्त प्रकार की बैठकों का आयोजन, बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करना, अनुपालन आख्या की कार्यवाही से सम्बन्धित कार्य। 2. विभागीय अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य। 3. विभागीय अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करना। 4. जनपदों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालन आख्या का रख–रखाव तथा यथावश्यक कार्यवाही सम्बन्धित कार्य। 5. विभागीय/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं/गृहों के निरीक्षण आख्या/कार्यवृत्त तैयार कर अनुपालन कराया जाना। 6. जनपदों से प्रोबेशनर्स से सम्बन्धित सूचना संकलित कर तैयार करना। 7. निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य लिंक कार्मिक– श्री दीप सिंह

9	श्री जयशंकर प्रसाद यादव, वरिष्ठ सहायक	1. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 एवं अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्य। 2. किशोर न्याय बोर्डो/ बाल कल्याण समितियों के सदस्यों को नामित करने, शिकायतों, अपीलो एवं राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य। 3. राज्य के समस्त विभिन्न आयोगों/परिषदों एवं विधान सभा/लोकसभा /राज्य सभा प्रश्नोत्तर सम्बन्धित कार्य। 4. निर्माण से सम्बन्धित कार्य। 5. विभागीय संरचना एवं नियमावली से सम्बन्धित कार्य। 6. सेवा का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित कार्य। 7. मा.मुख्यमंत्री जी/विभागीय मंत्री जी की घोषणा से संबंधित कार्य। 8. शासन से प्राप्त समस्त बैठकों के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या तैयार करना।
10	श्री प्रवीन नेगी, लेखाकार (उपनल)	1. बजट कण्ट्रोल रजिस्टर तैयार करना। 2. जनपद/संस्थावार बी.एम.–08 तैयार करना। 3. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तैयार कर समयान्तर्गत शासन को प्रेषित करवाना। 4. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति ऑनलाईन ई आंकलन पर अपलोड/ई–टैंडरिंग से सम्बन्धित कार्य। 5. बजट ऑन लाईन से सम्बन्धित समस्त कार्य में श्री गुंसाई, प्रधान सहायक का सहयोग करना। 6. शक्ति सदन, उज्जवला होम, स्वाधार गृहों से सम्बन्धित कार्य। 7. निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। लिंक कार्मिक– श्री रणजीत सिंह गुंसाई/श्रीमती दीपिका पयाल राणा
11	श्रीमती दीपिका पयाल राणा, लेखाकार (उपनल)	1. निदेशालय के नजारत से सम्बन्धित स्टोर पंजिका, कैश डेडस्टॉक पंजिका का रख–रखाव तथा श्री अमित कुमार का लेखा सम्बन्धी कार्यो में सहयोग प्रदान करना। 2. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में श्री जयशंकर प्रसाद यादव को सहयोग के साथ ऑन लाईन पी.एफ.एम.एस सम्बन्धित कार्य एवं भाग–2 पंजिका का रख–रखाव। 3. सी0एम0 हेल्पलाईन से सम्बन्धित कार्यो का निस्तारण। 4. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन/ई–ऑफिस का क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्य। 5. निदेशक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य कार्य। लिंक कार्मिक– श्री अमित कुमार
12	श्री विनोद सिंह बर्तवाल, वरिष्ठ सहायक	1. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से सम्बन्धित कार्य। 2. पी0एम0केयर्स से सम्बन्धित कार्य। 3. निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य। लिंक कार्मिक– श्री अमित कुमार

1	श्रीमती अंजना गुप्ता, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	1. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत निदेशालय के अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन। 2. एम0ओ0यू0–नारी निकेतन। 3. एम0ओ0यू0–हंस फाउण्डेशन। 4. कम्यूनिटी होम प्रोजेक्ट। 5. अनाथ बच्चों का आरक्षण, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं हेतु संचालित गृहों का पंजीकरण आदि। 6. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। 7. राज्य बाल संरक्षण समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य। 8. मानसिक दिब्यांग बच्चों/महिलाओं हेतु संस्था का संचालन। 9. स्पॉशरशिप योजना से सम्बन्धित कार्य। 10. विभागीय कार्मिकों/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण। 11. किशोर न्याय नियमवाली से सम्बन्धित कार्य। 12. चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 का संचालन। 13. समूह 'ख' से सम्बन्धित स्थापना। 14. विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण/शिकायतों का निस्तारण। 15. उच्च स्तरीय बैठकों में प्रतिभाग करना।

2	श्री राजीव नयन, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	1. लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान सभा प्रशन सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना। 2. मा.मुख्यमंत्री की घोषणा एवं संदर्भ से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन। 3. विभिन्न आयोग/परिषद/महानुभाव के प्रकरण। 4. मा0 मुख्य मंत्री हेल्पलाईन। 5. कौशल विकास, सी0एस0आर0 कार्य योजना। 6. समस्त निर्माण कार्य। 7. विभागीय बजट एवं बजट की मासिक प्रगति सूचना। 8. जैम पोर्टल, ई0 निविदा प्रणाली। 9. स्वधार उज्ज्वला गृह का संचालन कार्य एवं सूचनाओं का प्रेषण आदि। 10. संविदा पर कार्यरत कार्मिकों/निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों से सम्बन्धित स्थापना। 11. राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य। 12. बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, का संचालन व सम्बन्धित पत्राचार का कार्य। 13. वाहन/भवन किराया/स्वीकृति आदि। 14. निदेशालय के स्टोर से सम्बन्धित समस्त कार्य। 15. समस्त योजनाओं/कार्यालयों/संस्थाओं की मासिक प्रगति एवं विभागीय वेबसाईड। 16. समस्त कोर्ट केस, लोक सेवा प्राधिकरण के प्रकरण। 17. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण। 18. किशोर न्याय अधिनियम/पोक्सो अधिनियम के समस्त प्रकरण। 19. विभागीय कार्मिकों/बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण। 20. सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत निदेशालय के लोक सेवा अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन। 21. मिशन वात्सल्य पोर्टल, बाल संरक्षण सेवायें पोर्टल से सम्बन्धित। 22. समूह 'ग' व 'घ' से सम्बन्धित स्थापना।
3	संयुक्त रूप	1. राज्य स्तरीय चयन समिति, विभागीय ऑडिट, मूल्यांकन, प्रोटोकॉल, संस्थाओं/कार्यालयों का निरीक्षण करना। 2. भारत सरकार/मा0 मुख्य मंत्री/विभागीय मंत्री/विभागीय मंत्री की बैठक/विभागीय बैठक सम्बन्धित कार्य। 3. बलिका निकेतन/शिशु निकेतन/विशेष गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सुरक्षा का स्थान/नारी निकेतन/आश्रम गृह का संचालन स्थापना एवं निरीक्षण/समीक्षा। 4. अन्य विभागीय दायित्व जो समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर सौंपे जायेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–03

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

निदेशालय, महिला कल्याण में **निदेशक विभागाध्यक्ष** हैं। राज्य स्तरीय समस्त निर्णय निदेशक महोदय द्वारा लिए जाते हैं। शासन स्तर पर लिए गये नीतिगत निर्णयों का जनपद स्तर पर अग्रसारण निदेशक, महिला कल्याण के निर्देशानुसार मुख्य परिवीक्षा अधिकारी व उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। जनपद स्तर पर जिला परिवीक्षा अधिकारी निर्णय लेते हैं तथा आवश्यकतानुसार निदेशक से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तद्नुसार जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ प्रोबेशन अधिकारियों/अधीक्षकों/केस वर्करों/सहायक अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को मार्गदर्शन/निर्देश दिये जाते हैं।

पर्यवेक्षण चार्ट

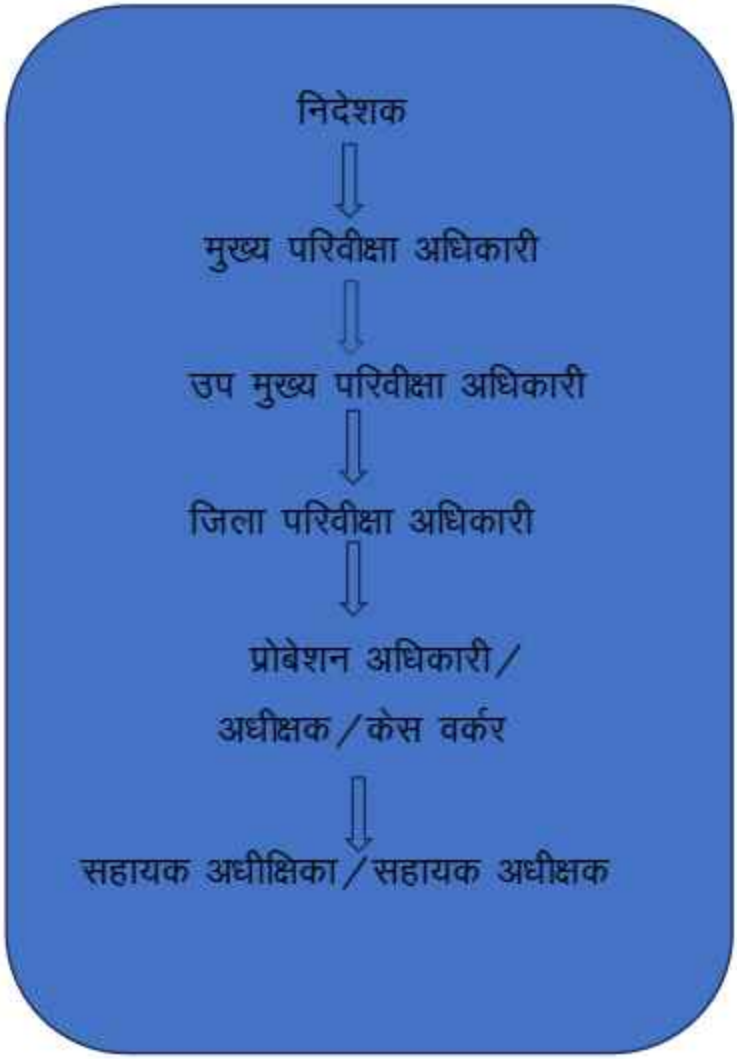

उत्तरदायित्व चार्ट

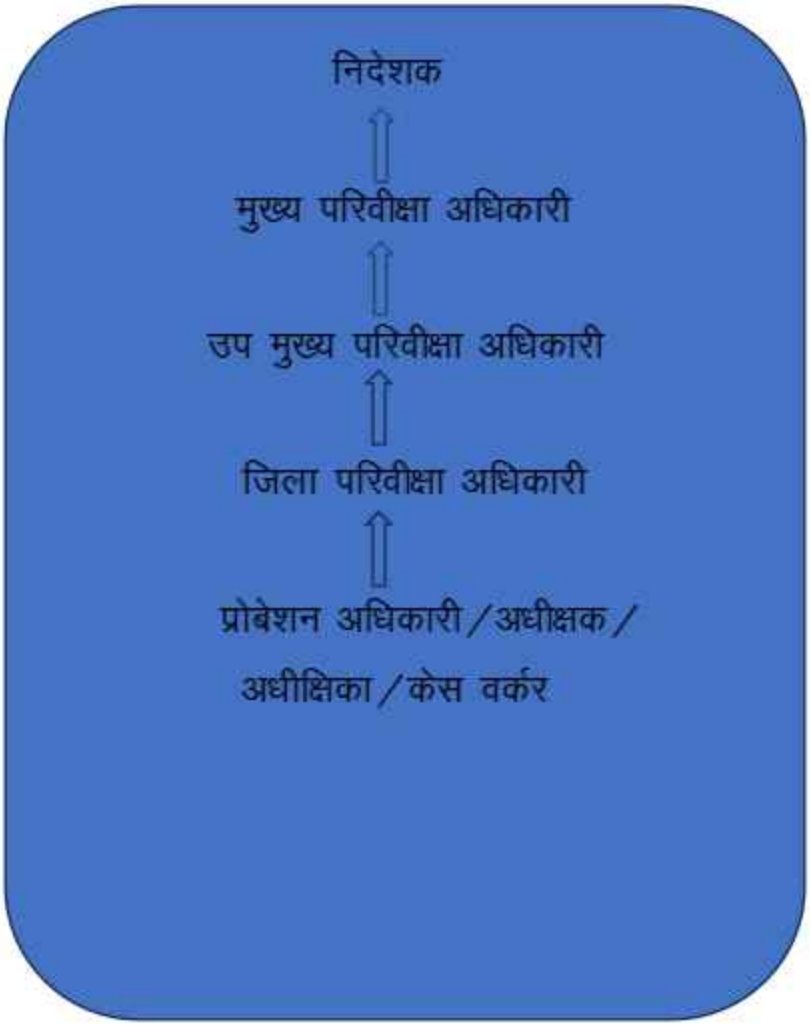

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक

निदेशालय महिला कल्याण के अन्तर्गत संचालित समितियों के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

1	राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS)	➢ उत्तराखण्ड शासन ज्ञाप संख्याः 1463/XVII-2/2011-01(15).2010 दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 द्वारा मिशन वात्सल्य योजानान्तर्गत अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया। ➢ समिति में 01 अध्यक्ष तथा 06 सदस्य नामित है। ➢ समिति का मुख्य उददेश्य किशोर न्याय अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिनियम के अधीन अभिकरणो और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करना है।
2	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)	➢ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियम–2017 के विनियम, 33(1) (ग) के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 685/XVII-2/2017-01(03)/2015 दिनांक 25 अगस्त, 2017 तथा संशोधित शासनादेश 64/XVII-2/2019-01(03)/2015 दिनांक 07 फरवरी, 2019 के द्वारा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA): के शासी निकाय का गठन किया गया है। ➢ अभिकरण में 01 अध्यक्ष तथा 07 सदस्य एवं 01 विशेष आमंत्रित सदस्य है। किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तकग्रहण विनियम 2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संस्थाओ में निवासरत अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालक/बालिकाओ को दत्तक ग्रहण में दिये जाने का कार्य किया जाता है।
3	जिला बाल संरक्षण ईकाई (DCPU)	➢ शासनादेश संख्याः 1205/XVII/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रत्येक जनपद में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है। ➢ जिला बाल संरक्षण इकाई में 01 अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये गये है। ➢ जिला बाल संरक्षण इकाई का मुख्य उद्देश्य जनपद स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करना तथा सभी बाल संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय तथा पर्यवेक्षण करना है।
4	राज्य स्तरीय चयन समिति	➢ किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर गठित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के चयन हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है।
5	किशोर न्याय बोर्ड (JJB)	➢ किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। ➢ बोर्ड में एक अध्यक्ष (न्यायिक मजिस्ट्रेट) तथा 02 सदस्य (सामाजिक कार्यकर्ता) नामित किये जाते है। ➢ किशोर न्याय बोर्ड का कार्य विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक/बालिकाओ के केसों का निस्तारण करना है। वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है।
6	बाल कल्याण समिति (CWC)	➢ किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–27 के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण के जरूरतमन्द 18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओ के संबंध में कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रत्येक जनपद में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। ➢ समिति में 01 अध्यक्ष तथा 04 सदस्य नामित है।
7	राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति	➢ राज्य सरकार राज्य तथा जिले के लिए, यथास्थिति निरीक्षण समितियों नियुक्त करेगी उन सभी समितियों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अथवा योग्य है उस अवधि तथा उस प्रयोजन के लिए, जिन्हें विहित किया जा सकेगा। ➢ ये निरीक्षण समितियां आवंटित इलाकों में सभी बाल आवासीय सुविधा स्थलों को दौरा तीन माह से कम से कम एक बार उस दल में कम से कम तीन सदस्य रहेंगे, उनमें एक महिला और एक चिकित्सा अधिकारी अवश्य रहेंगे और समिति दौरा करने की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर दौरे मिली जानकारियों का प्रतिवेदन अगली कार्यवाही के लिए राज्य सरकार अथवा जिला बाल संरक्षण इकाईयों, यथास्थिति, प्रस्तुत करेगी।

		➢ निरीक्षण के सात दिन के अन्दर निरीक्षण समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार की ओर से समुचित कार्यवाही कर जाएगी तथा उसकी पालना की प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।
8	अनुश्रवण समिति	➢ उत्तराखण्ड शासन ज्ञाप संख्या: 08/XVII-2/23-01(15).2010 दिनांक 03 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। तत्पश्चात् 268/XVII-2/24-01(15).2010 दिनांक 12 जुलाई,, 2024 द्वारा निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड को सदस्य–सह सचिव नामित किया गया है।
9	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA)	➢ अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालक/बालिका जिनका कोई संरक्षक नही है को बाल कल्याण समिति द्वारा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में प्रवेश प्रदान जाता है। ➢ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण की मार्गदर्शिका के अनुसार कानूनी रूप से मुक्त करने के उपरान्त बच्चों को जिलाधिकारी के माध्यम से दत्तक ग्रहण में दिये जाने की कार्यवाही की जाती है। ➢ वर्तमान में प्रदेश में समस्त जनपदों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है।
10	चाईल्ड हेल्प लाईन कंट्रोल रूम (1098)	➢ 1098 किशोर न्याय(देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2 (25) के अन्तर्गत समस्याग्रत बच्चों के लिए 24 घण्टे आपातकालीन आउटरीच सर्विस के लिए 24 X 7 टोलफ्री राष्ट्रीय दुरभाष सेवा है। जिकसे माध्यम से समस्याग्रस्त बच्चों को आपातकालीन/दीर्घकालिक देखरेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जाता है। ➢ बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के दृष्टिगत बाल अधिकार संरक्षण, बाल श्रम, बाल विवाह और उत्पीड़न सम्बन्धी समस्याओं का कार्य किया जाता है। ➢ संकटग्रस्त बच्चों को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता व भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जाता है। बच्चों को उनके अधिकारों के सम्बन्ध जानकारी प्रदान करना व बच्चों को संवेदनशील एजेन्सियों के बारे में जानकारी देना।

निदेशालय महिला कल्याण के अन्तर्गत संचालित केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

क्रम सं0	योजना का नाम	पात्रता	आवेदन प्रकिया
1	राजकीय शिशु सदन (बालक/बालिका)	0 से 10 आयु वर्ग के बच्चो हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 50 के अन्तर्गत अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त/लावारिस बच्चे या जिनके माता–पिता /संरक्षक उनका पालन– पोषण करने में असमर्थ हो या किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो या कारावास में बंद हो, को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था में प्रवेश दिया जाता है, विभाग द्वारा बच्चो को संस्था में भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा आदि की सुविधा नि: शुल्क प्रदान की जाती है। राजकीय शिशु सदन/ बाल गृह (शिशु) जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में संचालित है।
2	राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (बालिका)	11 से 18 आयु वर्ग की किशोरिय ो हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 50 के अन्तर्गत 11 से 18 आयु वर्ग के अनाथ/निराश्रित/ परित्यक्त/ लावारिस बच्चे या जिनके माता–पिता/संरक्षक उनका पालन– पोषण करने में असमर्थ हो या किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो या कारावास में बंद हो, को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था में प्रवेश दिया जाता है। संस्था में बालिकाओ के लिये भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा आदि की सुविधा नि: शुल्क प्रदान की जाती है। संस्था द्वारा बालिकाओ को औपचारिक शिक्षा तथा व्यवसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह (किशोरी) जनपद अल्मोड़ा एवं देहरादून में संचालित है।
3	राजकीय बाल गृह (बालक)	11 से 18 आयु वर्ग के बालको हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 50 के अन्तर्गत 11 से 18 आयु वर्ग की अनाथ/निराश्रित/ परित्यक्त/ लावारिस बच्चे या जिनके माता–पिता/संरक्षक उनका पालन– पोषण करने में असमर्थ हो या किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो या कारावास में बंद हो, को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था में प्रवेश दिया जाता है। बालको को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा नि: शुल्क उपलब्ध करायी जाती है ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। संस्था द्वारा बालको को अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यवसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर स्वालम्बी बनाया जाता है। राजकीय बाल गृह (बालक) जनपद हरिद्वार (रोशनाबाद) में संचालित है।

4	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	18 आयु वर्ग तक के बालको हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 47 के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के विधि विरूद्व बालको को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार संस्था में प्रवेश एवं मुक्त किया जाता है। जिन्हे वाद के निस्तारण तक आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन, अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा के साथ–साथ व्यवसायिक एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि किशोर के जीवन में सुधार लाकर, स्वालम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सके। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह क्रमशः जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, पौडी गढवाल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल (हल्द्वानी) तथा अल्मोडा में संचालित है। संस्थाओं में जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
5	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालिका)	18 आयु वर्ग तक के बालिका ओं हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 47 के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के विधि विरूद्व बालिकाओ को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार संस्था में प्रवेश एवं मुक्त किया जाता है। जिन्हे वाद के निस्तारण तक आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन, अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा के साथ–साथ व्यवसायिक एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि बालिकाओ के जीवन में सुधार लाकर, स्वालम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सके। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालिका) क्रमशः जनपद देहरादून, नैनीताल (हल्द्वानी), पौडी गढवाल (कोटद्वार) में संचालित है। संस्थाओं में जिला बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
6	राजकीय विशेष गृह (किशोर)	18 आयु वर्ग तक के बालको हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 48 के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के विधि विरूद्व सजायाफ्ता किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा–18 के अधीन दिये गये आदेशानुसार प्रवेश दिया जाता है, जिन्हे सजा पूर्ण होने तक आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन, अनौपचारित शिक्षा की सुविधा के साथ–साथ व्यवसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि किशोरो के जीवन में सुधार लाकर स्वालम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। राजकीय विशेष गृह (किशोर) जनपद हरिद्वार में संचालित है।
7	राजकीय विशेष गृह (किशोरी)	18 आयु वर्ग तक के किशोरि यों हेतु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 48 के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के विधि विरूद्व सजाफ्ता किशोरियो को किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा–18 के अधीन दिये गये आदेशानुसार प्रवेश दिया जाता है, जिन्हे सजा पूर्ण होने तक आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन, अनौपचारित शिक्षा की सुविधा के साथ–साथ व्यवसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि किशोरियो के जीवन में सुधार लाकर स्वालम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोडा जा सके। राजकीय विशेष गृह (किशोरी) जनपद अल्मोडा में संचालित है।
8	राजकीय सुरक्षा का सीन (किशोर/किशोरी)	16 से 18 वर्ष की आयु	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा, 49 के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंधन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और जघन्य अपराध कारित करने का आरोपी है या सिद्वदोष ठहराया गया है, को सुरक्षित स्थान में प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में जनपद हरिद्वार में विशेष गृह के दो कक्ष बालको हेतु तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) कोटद्वार पौडी गढवाल के दो कक्ष किशोरियो हेतु सुरक्षित स्थान के रूप में संचालित है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
9	राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (मानसिक) केदारपुरम–देहरादून	18 वर्ष से अधिक आयु	वर्ष 2007 से संचालित संस्था में 18 वर्ष से अधिक आयु की मानसिक दिव्यांग महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। संस्था में महिलाओ को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श मनोरंजन की सुविधा के साथ–साथ स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा थेरेपी, अमोद–प्रमोद क्रिया–कलाप परामर्श सेवायें तथा सांस्कृतिक क्रिया–कलापों के माध्यम से महिलाओ के जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है।

10	महिला कल्याण एवं पुर्नवास केन्द्र	18 वर्ष से अधिक आयु	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बालिकाओ/महिलाओ को तात्कालिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये है। संस्था में मा0 न्यायालय के आदेशानुसार बालिकाओ को प्रवेश एवं मुक्त किया जाता है, प्रवेशरत बालिकाओ/महिलाओ को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श मनोरंजन व प्रशिक्षण की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।महिलाओ हेतु जनपद अल्मोडा,देहरादून, कोटद्वार पौडी गढवाल एवं नैनीताल (हल्द्वानी) में संस्थाए संचालित है। संस्था में विभिन्न स्तर के मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
11	राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय (बालिका)	कक्षा–01 से 05 तक	पर्वतीय क्षेत्र की निराश्रित बालिकाओ को शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद बागेश्वर में आवासीय आश्रम पद्वति विद्यालय की स्थापना की गई है। विद्यालय में कक्षा–01 से 05 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था में निवासरत बालिकाओ को आवास, वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुविधाऐं विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है।
12	राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र	18 वर्ष से अधिक आयु	असहाय एवं निराश्रित महिलाओ को स्वावलम्बी बनाये जाने के दृष्टिकोण से रोजगार प्राप्त कराये जाने हेतु जनपद पिथौरागढ में संस्था संचालित है। संस्था की स्वीकृत क्षमता 100 महिलाओं की है जिसमें 50 आवासीय एवं 50 अनावासीय हैं। अनावासीय महिलाओ को वर्क आर्डर के आधार पर कार्य दिया जाता है तथा किये गये कार्यो के आधार पर उन्हे पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था है। संस्था में निवासरत महिलाओ को आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सामान्य शिक्षा आदि की सुविधाए निःशुल्क प्रदान की जाती है।
13	राजकीय उत्तर रक्षा गृह (महिला/बालिका)	18 वर्ष से अधिक आयु	अनाथ, निराश्रित बालिकाओं/महिलाओं तथा अशोधक संस्थाओं से मुक्त बालिकाओ /महिलाओं को उच्च शिक्षा व पुनर्वासन, सामाजिक एवं नैतिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद अल्मोडा में 100 की क्षमता के राजकीय उत्तर रक्षा गृह की स्थापना की गई है। संस्था में संवासिनियो को निवास के दौरान उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वह स्वावलम्बी बनकर समाज में पुनर्वासित हो सकें। संवासिनियों को विवाह द्वारा तथा रोजगार के अवसर प्रदान कर पुनर्वासित किया जायेगा। संस्था में निवासरत के दौरान निःशुल्क आवास भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था प्रदान की जायेगी।
14	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना **(Mukhyamantri Vatsalya Yojana)**	0 से 21 वर्ष	शासनादेश संख्या 136/XVII(2)/(म.क.)/2021 दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में "मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना" लागू की गई तथा शासनादेश संख्या 1143/XVII(2)/(म.क.)/2021 दिनांक 17 जून, 2021 के द्वारा कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियो से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक प्रभावित बच्चो की देखभाल, पुनर्वासन, चल–अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु योजनान्तर्गत 01 जुलाई, 2021 से चयनित बच्चों को प्रतिमाह रु 3000/– की दर से भुगतान किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में योजनान्तर्गत 5211 बालक/बालिकाओ को आच्छादित कर लाभान्वित किया जा रहा है।
15	खुला आश्रय गृह	7 से 18 वर्ष	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 43 के अन्तर्गत प्रदेश में निराश्रित, भीख माँगने तथा कूडा बीनने वाले बच्चो की शिक्षा, भरण–पोषण, आवास हेतु मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत कुल 08 आश्रय गृह संचालित है, जिनमें जनपद देहरादून में 03–समर्पण फॉर हेल्थ एण्ड रिसर्च डेवल्पमेंट देहरादून, समर्पण सोसायटी, सीमाद्वार, (नवीन संस्था 2022), सेराफिना ट्रस्ट, टर्नर रोड, आई0एस0बी0टी0(नवीन संस्था 2022), जनपद नैनीताल में 02 –धरोहर विकास सस्थान, वीरांगना, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नवीन संस्था 2022) तथा जनपद हरिद्वार में 02–रामराज ग्रामोद्योग सेवा समिति,एजत शहरी ग्रामोउत्थान समिति,जनपद उधमसिंह नगर में 01–समर्पण सोसाईटी के माध्यम से खुला आश्रय गृह संचालित है। जिसमें बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
16	प्रवर्तकता (**Sponsorship**):	0 से 18 वर्ष	प्रवर्तकता योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक/बालिकाओ को किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निहित प्राविधानों के तहत उचित देखरेख, पालन–पोषण एवं संरक्षण की दृष्टि से संचालित हैं इसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रु 4000/– प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।

17	किशोर न्याय निधि **(Juvenil Justice Fund)**	0 से 18 वर्ष	शासनादेश सख्या 1130/XVII-2/2016-01(03)/2012 दिनांक 04 अगस्त, 2016 के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अन्तर्गत जरूरतमन्द किशोर/किशोरियो के कल्याण एवं पुनर्वासन कार्य हेतु ''उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि'' का गठन किया गया है।
18	अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण	0 से 21 वर्ष आयु	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनो की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथ राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहो में निवासरत अनाथ बच्चो को राजकीय/अशासकीय सेवाओ में 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
19	पी0एम0 केयर्स फॉर चिल्ड्रन	0 से 18 वर्ष	कोविड–19 महामारी के कारण माता–पिता (दोनों) या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता अथवा जीवित अभिभावक की मृत्यु दिनांक 11 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य हुई हो, उनके 18 वर्ष तक के बच्चों को पी0एम0 केयर फॉर चिल्ड्रन योजना संचालित है।

विभाग के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं का विवरण

क्र.स.	जनपद का नाम	संस्था का नाम	संस्था की स्वीकृत क्षमता
1	2	3	4
1	देहरादून	1. राजकीय बालिका निकेतन/ बाल गृह (किशोरी) केदारपुरम–देहरादून।	50
		2. राजकीय शिशु सदन/ बाल गृह केदारपुरम– देहरादून।	50
		3. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र/ सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) केदारपुरम–देहरादून।	25
		4. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) केदारपुरम– देहरादून।	25
		5. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (मानसिक) केदारपुरम–देहरादून	50
		6. राजकीय बाल गृह (किशोरी) दिव्यांग बालिकाओं हेतु	50
		7. राजकीय खुला आश्रय, देहरादून	25
		8. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोरी देहरादून	25
2	हरिद्वार	1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर),रोशनाबाद हरिद्वार।	25
		2. राजकीय विशेष गृह (किशोर) रोशनाबाद हरिद्वार।	25
		3. राजकीय बाल गृह (किशोर) रोशनाबाद हरिद्वार।	50
		4. राजकीय सुरक्षा का स्थान रोशनाबाद हरिद्वार।	25
3	पौड़ी	1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) गडौली पौड़ी।	25
		2. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालिका पौड़ी	25
		3. महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (सामान्य) राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) कोटद्वार।	25
		4. राजकीय सुरक्षा का स्थान, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल।	25
4	उत्तरकाशी	1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) डुण्डा	25
5	उधमसिंह नगर	1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) किच्छा रोड भदेड़ेपुरा उधमसिंह नगर।	25
6	नैनीताल	1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) कालाढुंगी रोड हल्द्वानी।	25
		2. महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (सामान्य) /सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) काला ढुंगी रोड हल्द्वानी।	25
7	अल्मोड़ा	1. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) कर्नाटका खोला	25
		2. राजकीय बालिका निकेतन/ बाल गृह (किशोरी) बख्त अल्मोड़ा	50
		3. राजकीय शिशु सदन/ बाल गृह बख्त अल्मोड़ा	50
		4. राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (सामान्य)/ विशेष गृह (किशोरी) बख्त अल्मोड़ा	50
		5. राजकीय उत्तर रक्षा गृह (बालिका/ महिला)	50
		6. राजकीय बाल गृह (किशोरी), अल्मोड़ा	25
8	बागेश्वर	1. राजकीय महिला आश्रम पद्धति विद्यालय	50
9	पिथौरागढ	1. राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, खरकोट, पिथौरागढ	50

राज्य के अन्तर्गत विशिष्ट दत्तक ग्रहणों का विवरण

क्र0 स0	जनपद	सरकारी/गैर सरकारी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	पता	ई–मेल
1	देहरादून	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण युनिट–1	राजकीय शिशु सदन, केदारपुरम देहरादून	dpodehradun07@gmail.com
2		राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण युनिट–2	राजकीय शिशु सदन, केदारपुरम देहरादून	
3	हरिद्वार	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	राजकीय बाल गृह (किशोर), रोशनाबाद हरिद्वार निकट आर0टी0ओ0 ऑफिस–249403	dpohardwar@gmail.com
4		विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण		
5	रूद्रप्रयाग	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	पुराना विकास भवन, रूद्रप्रयाग	rudrapryagsaa@gmail.com
6	चमोली	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, चमोली	icpschamoli7@gmail.com
7	पौड़ी गढ़वाल	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, पौड़ी गढ़वाल	provationpauri@gmail.com
8	टिहरी गढ़वाल	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	ओल्ड डिल्ट्रॉन बिल्डिंग निकट बी0एस0एन0एल0 ऑफिस 249001	dpotehrigarhwal@gmail.com
9	उत्तरकाशी	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, उत्तराकाशी	dpouki28@gmail.com
10	बागेश्वर	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, बागेश्वर	icpsbageshwar2016@gmail.com
11	नैनीताल	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, हल्द्वानी	DPOHaldwani@gmail.com
12	अल्मोड़ा	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	राजकीय शिशु सदन, बख, अल्मोड़ा	districtprobationofficeralmora@gmail.com
13	चम्पावत	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, चम्पावत	icpschampawat@gmail.com
14	उधमसिंह नगर	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	फजलपुर महरौला रुद्रपुर उधमसिंह नगर	dpousnnagar@mail.com
15	पिथौरागढ़	राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण	जिला परिवीक्षा अधिकारी, कार्यालय, विकास भवन, पिथौड़ागढ	dpopith123@gmail.com

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कुल बच्चें

क्र0स0	जनपद	बालक	बालिका	कुल लाभार्थी
1	बागेश्वर	57	56	113
2	नैनीताल	336	325	661
3	चमोली	72	55	127
4	उधमसिंह नगर	441	414	855
5	चम्पावत	176	154	330
6	देहरादून	492	478	970
7	टिहरी गढवाल	416	458	874
8	पिथौरागढ़	103	108	211
9	रूद्रप्रयाग	139	119	258
10	अल्मोड़ा	187	205	392
11	हरिद्वार	418	388	806
12	पौड़ी गढवाल	285	324	609
13	उत्तरकाशी	169	169	338
योग		3291	3253	6544

वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्पॉसरशिप योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थी

क्र0स0	जनपद	बालक	बालिका	कुल लाभार्थी
1	बागेश्वर	98	74	172
2	नैनीताल	116	84	200
3	चमोली	54	52	106
4	उधमसिंह नगर	205	161	366
5	चम्पावत	121	133	254
6	देहरादून	187	210	397
7	टिहरी गढ़वाल	78	90	168
8	पिथौरागढ़	75	113	188
9	रूद्रप्रयाग	97	94	191
10	अल्मोड़ा	158	143	301
11	हरिद्वार	66	73	139
12	पौड़ी गढ़वाल	65	69	134
13	उत्तरकाशी	66	73	139
योग		1386	1369	2755

ऑफ्टर केयर
After Care

- आफ्टर केयर के अन्तर्गत वे बच्चें जो बाल गृह, सम्प्रेक्षण गृह आदि या फिट फैसीलिटी में बडे हुए है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें संस्थान छोड़ना पड़ता है, को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आफ्टर केयर का लाभ 18 वर्ष की आयु से 21 वर्ष तक दिया जाता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 23 वर्ष (in exceptional cases) तक बढ़ाया जा सकता है।
- साथ ही देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और जरूरतमदों बच्चों को ऐसी देखभाल जिसके अन्तर्गत उच्चशिक्षा, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल और आश्रय सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए Individual After Care Plan-IAP बनने के पश्चात् रू0 4,000/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आफ्टर केयर में मुख्य रूप से युवाओ को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल हासिल करने में मदद करने और उन्हें समाज में उपयुक्त जीवन बिताने में सक्षम बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

चाईल्ड हैल्पलाईन 1098 (CHL 1098)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य में चाईल्ड हैल्पलाईन का संचालन किया जाना है। उक्त योजना केन्द्र द्वारा **100%** वित्त पोषित है।

- WCD Control Room (WCD-CR)- केदारपुरम, देहरादून में स्थापित
- Child Helpline Unit- समस्त जनपदों में स्थापित
- Child Help Desk at Railway Stations- जनपद देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी रूद्रपुर रेलवे स्टेशन में संचालित

वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा में ऋषिकेश (देहरादून) **नवीन बाल सहायता डेस्क स्वीकृत।**

- Child Help Desk at Bus Stands- जनपद देहरादून (ISBT), ऋषिकेश, हरिद्वार, रूद्रपुर, हल्द्वानी, रूड़की में संचालित

वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा विकासनगर (देहरादून), हरिद्वार, टनकपुर (चम्पावत), कोटद्वार (पौड़ी), पुरोला (उत्तरकाशी) **नवीन बाल सहायता डेस्क स्वीकृत।**

पालन पोषण देखभाल
Foster Care

किशोर न्याय अधिनियम के "**Principle of institutionalization as measure of last resort**" के अनुसार प्रत्येक बच्चे हेतु संस्थागत देखरेख अन्तिम उपाय होगा, जिसके दृष्टिगत ऐसे बच्चें, जो पैतृक/जैविक माता–पिता की देखरेख रहित है, उनको पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से "**पालन पोषण देखभाल (Foster Care)**" की व्यवस्था की गयी है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं आदर्श नियम, 2016 के उपनियम–23 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार "पालन पोषण देखभाल" एक ऐसी परिवार आधारित गैर संस्थागत वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी के बच्चों को पारिवारिक देखरेख एवं वातावरण उपलब्ध कराना है। इसमें 6–18 वर्ष तक के बालक–बालिका को अल्पावधि/विस्तारित अवधि के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा घोषित पालक पोषण माता–पिता की अभिरक्षा में रखा जाता है।

किशोर न्याय निधि

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 105 के तहत् बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास कार्य हेतु वर्ष 2016 में "उत्तराखण्ड किशोर न्याय निधि" का राज्य स्तर पर गठन किया गया है। किशोर न्याय निधि नियमावली को केबिनेट द्वारा दिनांक 16.05.2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

किशोर न्याय निधि का उपयोग

- संस्थागत देखरेख में निवासरत 18 वर्ष से अधिक किन्तु 23 वर्ष से कम आयु के बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु उनको कौशल विकास प्रशिक्षण/व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा छोटे व्यापार शुरू करने के लिए एकमुश्त धनराशि की सहायता करना।
- संस्थागत बालकों को उच्च शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु विद्यालयी शिक्षा, मुक्त विद्यालयी, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा तथा डिप्लोमा प्रशिक्षण के लिए निधि का उपयोग करना।
- आपदा प्रभावित बच्चों को आकास्मिक सहायता प्रदान करना।
- कैंसर अथवा अन्य गम्भीर बीमारी से पीड़ित बालकों को प्रशामक (Palliative Care) देखरेख और उनके माता–पिता को ठहरने की सुविधा।
- पोक्सो/बलात्कार पीड़ितों की तुरन्त देखभाल एंव संरक्षण की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए धनराशि प्रदान करना।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के संस्थागत देखरेख में रह रहे दिव्यांग व मानसिक रूप से अक्षम बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके रोजगार मिलने तक आवश्यक खर्च का प्रबन्ध करना।

अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण
(राज्य सहायतित)

- उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत **अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण** प्रदान किया जा रहा है।
- वर्तमान तक **कुल 628 बच्चों** के अनाथ प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- जिन लाभार्थियों को अनाथ प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना हो वह अपने जनपद के जिला परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित करें।

(अनाथ प्रमाण–पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज)

- ✓ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- ✓ माता–पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- ✓ स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- ✓ बच्चों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- ✓ बच्चों की 02–02 पासपोर्ट साईज की फोटो।
- ✓ परिवार रजिस्टर की नकल।
- ✓ हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

पी0एम0 केयर योजना (केन्द्र पोषित)

कोविड–19 महामारी के कारण माता–पिता (दोनों) या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता अथवा जीवित अभिभावक की मृत्यु दिनांक 11 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर, 2021 के मध्य हुई हो, उनके 18 वर्ष तक के बच्चों को पी0एम0 केयर फॉर चिल्ड्रन योजना संचालित है। पी0एम0 केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत निम्न प्रावधान किया गया है–

- बच्चे की आयु 23 वर्ष पूर्ण होने पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रू0 10.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आर्जित ब्याज प्रदान किया जायेगा।
- योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को सर्वांगीण देख रेख और सुरक्षा प्रदान करना।
- शिक्षा के अधिकार के तहत् केन्द्रीय विद्यालय एवं प्राईवेट विद्यालय में निशुल्क शिक्षा।
- केन्द्रीय आवासीय विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश।
- पी0एम0जे0ए0वाई0 के तहत् प्रति बच्चा रू0 5.00 लाख का बीमा सुरक्षा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कक्षा–1 से 12 तक स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष रू0 20,000/– के स्कॉलरशीप की सुविधा।
- तकनीकी शिक्षा लेने वाले बच्चों हेतु स्वनाथ स्कॉलरशीप के तहत् रू0 50,000/– प्रतिवर्ष की व्यवस्था।
- बच्चों को भारत सरकार द्वारा संचालित स्पॉन्सरशीप के माध्यम से प्रतिमाह रू0 4000/– की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परख योजनाओं से जोडना।
- आपदा प्रबन्धक के तहत् रू0 50,000/– की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना।

पी0एम0 केयर्स योजनान्तर्गत लाभान्वित कुल बच्चों का जनपदवार विवरण।

क्र.सं.	जनपद	कुल बच्चों की संख्या
01	अल्मोड़ा	07
02	चमोली	01
03	देहरादून	08
04	हरिद्वार	10
05	नैनीताल	05
06	पौड़ी	01
07	टिहरी	08
08	ऊधमसिंहनगर	04
	योग	**44**

Scheme for Care & Support to Victims under Section 4&6 of the Protection of Children from Sexual offences (POCSO) Act, 2012

पोक्सो अधिनियम की धारा–4 और धारा 6

पोक्सो अधिनियम की धारा–4 **प्रोबेशन** लैगिंक हमले के लिए **दण्ड** और धारा–6 **गुरूतर प्रोबेशन** लैगिंक हमले के लिए **दण्ड**, के अपराध को कवर करती है जिसके कारण कई मामलों में लड़कियां गर्भवती हो जाती है तथा कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्याओं से जूझती है समस्या तब और बढ़ जाती है जब उन्हें उनके परिवार द्वारा समाज में बदनामी के डर से त्याग दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है अथवा वह किन्हीं कारणों से अनाथ हो जाती है।

योजना का मुख्य उददेश्य

- नाबालिक गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना।
- नाबालिक गर्भवती पीड़ित बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करना जैसे–शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा (जिसमें मातृत्व और नवजात शिशु की देखभाल शामिल है,) मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, कानूनी सहायता, गैरसंस्थागत देखभाल (मासिक सहायता) पीड़ित बालिका और उसके शिशु के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर जैसी दीर्घकालीक पुर्नवास के लिए सेवाओं की एक श्रृंखला ताकि ऐसी पीड़ित बालिकाओं को न्याय और सशक्तिकरण तक पहुँच मिल सके।

पात्रता मानदड

18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की जो पोक्सो की धारा–4 प्रवेषन लैगिंक हमला धारा–6 गुरूतर लैंगिक हमला अथवा बलात्कार के कारण गर्भवती हो जाती है, इस योजना के अंतर्गत कवर होती है यह योजना प्रत्येक ऐसी नाबालिक पीड़िता को सहायता प्रदान करेगी ।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- ❑रहने के लिए सुरक्षित स्थान ।
- ❑स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा परीक्षण।
- ❑परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं।
- ❑शिक्षा एवं व्यवसायी कौशल।
- ❑सुरक्षित परिवहन एवं पुलिस सुरक्षा।
- ❑कानूनी सहायता।
- ❑मौद्रिक और अन्य अधिकार
- ❑बीमा कवर ।
- ❑मिशन वात्सल्य के अतर्गत संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल।
- ❑सहायक व्यक्ति।

योजना के तहत लाभ

- **रहने के लिए सुरक्षित स्थान** –बाल देखरेख संस्था या एक अलग स्थान जिसमें 18 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं को रखा जा सके।
- **स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा परीक्षण**– इस योजना के तहत JSY, JSSK & PMMVY में निहित प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त वित्तीय सहायता 6000 रूपये या केन्द्र और राज्य सरकारों की किसी अन्य योजनाओं के तहत समग्र प्रजनन और बाल देखरेख सुविधाये प्रदान की जायेगी।
- **परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवायें**– आघात से उबरने के लिए परामर्श और अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी।
- **शिक्षा और व्यवसायिक कौशल**– बालिकाओं की षिक्षा जारी रखने और यदि पीड़िता कोई व्यवासायिक प्रषिक्षण लेना चाहती है उसे प्रदान किया जाये।
- **सुरक्षित परिवहन और पुलिस सुरक्षा** – न्यायालय, अस्पताल विद्यालय या किसी अन्य स्थान पर जाते समय परिवहन सहायता दी जायेगी, पीड़िता की सुरक्षा को खतरा होने पर उसे पुलिस सहायता प्रदान की जायेगी।
- **कानूनी सहायता**– पीड़ित बालिकाओं को न्याय तक पहुंचने के लिए कानूनी सहायता और परामर्ष प्रदान किया जायेगा।
- **स्वास्थ्य बीमा कवर**– पीड़ित बालिका और उसके नवजात शिशु को प्रतिवर्ष 5 लाख रू0 की दर से स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल

1. पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिका को 23 वर्ष की आयु तक मिशन वात्सल्य के तहत संस्थागत देखभाल और गैर संस्थागत देखभाल के साथ स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत 4000 रूपये की धनराशि प्रति माह प्रदान की जाएगी।
2. डी.सी.पी.यू. द्वारा प्रत्येक पीड़ित बालिका और उसके नवजात शिशु को आधार कार्ड के लिए पंजीकृत किया जाएगा। डी.सी.पी.यू बच्चे के जन्म का पंजीकरण और संक्षम प्राधिकारी द्वारा बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी करायगा।

विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणः

- अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालक/ बालिका जिनका कोई संरक्षक नही है को बाल कल्याण समिति द्वारा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में प्रवेश प्रदान किया जाता है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय दत्तक ग्रहण की मार्गदर्शिका के अनुसार कानूनी रूप से मुक्त करने के उपरान्त बच्चों को जिलाधिकारी के माध्यम से दत्तक ग्रहण में दिये जाने की कार्यवाही की जाती है।

- वर्तमान में प्रदेश में समस्त जनपदों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है।

राज्य स्ट्रीट चिल्ड्रेन पुर्नवास नीति

(State Rehabilitation Policy for Street Children)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञानित रिट याचिका संख्या–6/2021 In Re- Children in Street Situation में पारित आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2022 के क्रम में राज्य में स्ट्रीट चिल्ड्रेन के चिन्हिकरण, उनकी सूचना बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने, उनके बचाव व पुर्नवास के लिये किये गये उपायों तथा उनके पुर्नवास के सम्बन्ध में बनाई गयी योजना/नीति को केबिनेट द्वारा दिनांक 16.05.2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–05

अपने द्वारा नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

(3)

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या / XVII–2 / 2011–353(म0क0) / 2001
देहरादून दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–928 / स0क0 / वै0स0 / 2001 देहरादून दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 को अतिक्रमित करते हुये महिला कल्याण (प्रोवेशन सेक्टर) को समाज कल्याण विभाग से पृथक किये जाने तथा इस हेतु मुख्यालय स्तर पर मुख्य परिवीक्षा अधिकारी (वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 6600) का एक पद सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त के साथ संलग्नक–1 में उल्लिखित पदों को मुख्यालय स्तर पर तथा संलग्नक–2 में उल्लिखित पदों को जनपद स्तर पर रखे जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. महिला कल्याण (प्रोवेशन सेक्टर) के समस्त कार्यों (योजनाओं, कार्यक्रमों, अधिष्ठान, बजट आदि) के प्रशासन के लिये मुख्य परिवीक्षा अधिकारी उत्तरदायी होगा। मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मुख्य नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में कार्य करेगा। मुख्य नियन्त्रक अधिकारी से तात्पर्य निदेशक, महिला कल्याण से है। निदेशक, समाज कल्याण ही पदेन निदेशक, महिला कल्याण होंगे।

3. जनपद स्तर पर वर्तमान में जिन जनपदों में पूर्व निर्णय के अनुसार जिला परिवीक्षा अधिकारी के दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारियों के द्वारा निर्वहन किये जा रहे हैं, उन जनपदों में जिला परिवीक्षा अधिकारी की तैनाती होने तक जिला समाज कल्याण अधिकारी ही इन दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। जिन जनपदों में जिला परिवीक्षा अधिकारी की तैनाती की जायेगी उन जनपदों में महिला कल्याण (प्रोवेशन सेक्टर) के आहरण वितरण का कार्य जिला परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा ही सम्पादित किया जायेगा।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्याः–1428/ XVII–2 / 2011–353(म0क0) / 2001 तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

प्रमुख सचिव, मु[illegible]

4. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं आयुक्त कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त अधीक्षक/अधीक्षिका, महिला कल्याण (प्रोबेशन सेक्टर) उत्तराखण्ड।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 वल्दिया)
उप सचिव।

संख्या/423/XVII-2/2011-353(म०क०)/2001 दिनांक/9 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक-1

महिला कल्याण (प्रोवेशन सेक्टर) के मुख्यालय स्तर के पदों का विवरण

क्र० सं	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	वर्तमान में कुल पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	15600-39100	6600	1
2	शोध अधिकारी	15600-39100	5400	1
3.	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	4200	1
4.	लेखाकार/खजांची	9300-34800	4200	1
5.	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	1
6.	आशुलिपिक-ग्रेड-3	5200-20200	2800	1
7.	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200	2800	1
8.	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	2400	2
9.	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200	1800	5
कुल योग				14

(एस० राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

शासनादेश संख्या/1423/XVII-2/2011-359(म0क0)/2001 दिनांक/9 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक-2

महिला कल्याण (प्रोबेशन सेक्टर) के जिला स्तर के पदों का विवरण

क्रं0 सं	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	वर्तमान में कुल पद
1	2	3	4	5.
1.	उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी (मण्डल स्तर पर)	15600-39100	5400	2
2.	जिला प्रोबेशन अधिकारी	9300-34800	4200	13
3.	प्रोबेशन अधिकारी	9300-34800	4200	2
4.	अधीक्षक/अधीक्षिका	9300-34800	4200	12
5.	सहायक अधीक्षक/ अधीक्षिका	5200-20200	2800	12
6.	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	15
7.	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	1900	30
8.	पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	3
9.	केस वर्कर	9300-34800	4200	6
10.	अन्वेषक	5200-20200	2800	1
11.	आशुलिपिक	5200-20200	2800	2
12.	चतुर्थ श्रेणी/ केयर टेकर	5200-20200	1800	159
13.	उद्धार अधिकारी	9300-34800	4200	2
14.	सहायक अध्यापक	5200-20200	2400	9
15.	पी0टी0 अध्यापक	5200-20200	2400	2
16.	संगीत अध्यापक	5200-20200	2400	1
17.	नर्सरी अध्यापक	5200-20200	2400	9
18.	नर्स/मैट्रन	5200-20200	2400	18
19.	सहायक विकास अधिकारी	5200-20200	2400	2
20.	हाउस कीपर	5200-20200	2400	2
21.	क्राफ्ट प्रशिक्षक	5200-20200	1900	19
22.	क्राफ्ट अध्यापक	5200-20200	2400	2
23.	प्ले ऑर्गनाईजर	5200-20200	2400	2
24.	वाहन चालक	5200-20200	2400	2
25.	मनोवैज्ञानिक	9300-34800	4200	2
26.	शिल्प प्रशिक्षक (अंशकालिक)	2500 नियत		2
27.	चिकित्सक (अंशकालिक)	1000 नियत		2

28.	शिक्षक (अंशकालिक)	2550 नियत	1
29.	मनोवैज्ञानिक	विजिटींग के आधार पर	1
30.	बाल रोग चिकित्सक	विजिटींग के आधार पर आउटसोर्स	1
31.	रसोईया / कहार	आउटसोर्स / संविदा	1
32.	आया	आउटसोर्स / संविदा	1
33	धोबी	आउटसोर्स / संविदा	1
कुल योग			339

(एस0 राज)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2
संख्या /XVII-2/2019-11(12)/2018
देहरादून: दिनांक 17 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप [illegible]-1425/XVII-2/2011-[illegible]/2011 दिनांक [illegible] 2011 [illegible] महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड [illegible] महिला कल्याण [illegible] हेतु महिला कल्याण विभाग [illegible] के निदेशक के [illegible] पद सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त पद पर नियुक्ति/तैनाती आई०ए०एस०/पी०सी०एस० [illegible] के कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी।
2. उक्त सृजित पद पर नियुक्त अपर सचिव, महिला कल्याण विभाग(पी०सी०), उत्तराखण्ड शासन [illegible] निदेशक [illegible] होंगे और वेतन/भत्ते/सुविधाएं अपने [illegible] करेंगे।
3. उक्त सृजित पद हेतु पृथक से कार्यालय की व्यवस्था नहीं की जायेगी तथा [illegible] विभाग [illegible] अधिकारी, महिला कल्याण [illegible] के कार्यालय [illegible] के निदेशक के [illegible] कार्यों हेतु उपयोगार्थ [illegible]।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 77/XXVII(07)/19 दिनांक 17.01.2019 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव।

पृ०संख्या 39/XVII-2/2019-11(12)/2018 तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रिगण, उत्तराखण्ड।
9. समस्त निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड, शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

महिला कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
29/20 नेमी रोड, पो0ओ0 डालनवाला देहरादून, पिन कोड–248001
ukchiefpo@gmail.com

पत्रांक ११८९/स्टाफिंग पैटर्न–688/म.क.निदे./स्था./2021–22 दिनांक 28 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञाप

सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 01(14)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2022 के द्वारा महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय/कार्यालय/संस्थाओ में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 50 पदों का कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 90/XXX(2)/2016-30(51)15 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के अनुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति जारी की गई है।

अतः शासन के पत्र संख्या 01(14)/2012 दिनांक 22 मार्च, 2022 के द्वारा मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालयो/संस्थाओं के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में सृजित 50 पदो का संलग्क–1 के अनुसार मुख्यालय/कार्यालयवार/संस्थावार प्रभाजन किया जाता है।

संलग्नः **यथोपरि।**

(प्रदीप सिंह रावत)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागीय कार्यालयध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. कार्यालय पत्रावली/गार्ड फाईल।

निदेशक

[illegible]ांक ११८१/स्टाफिंग पैटर्न–688/म.क.निदे./स्था./2021–22 दिनांक 29 मार्च, 2022 का संलग्नक–1

क. स.	कार्यालय/संस्था का नाम	मु. प्रशा. अधिकारी	वरि. प्रशा. अधिकारी	प्रशा. अधिकारी	प्रधान सहायक	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ट सहायक	योग
		वेतन लेबल–10	वेतन लेबल–8	वेतन लेबल–7	वेतन लेबल–6	वेतन लेबल–5	वेतन लेबल–3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मख्य परिवीक्षा कार्यालय, देहरादून	1	1	1	2	1	2	8
2	उप मुख्य परि.अधि.का.गढवाल मण्डल पौडी	1	0	0	0	0	0	1
3	उप मुख्य परि.अधि.का.कुमाऊ मण्डल अल्मोडा	1	0	0	0	0	0	1
4	जिला परिवीक्षा कार्यालय, देहरादून	0	1	0	1	1	0	3
5	जिला परिवीक्षा कार्यालय, हरिद्वार	0	1	0	1	1	0	3
6	जिला परिवीक्षा कार्यालय, ऊधमसिंह नगर	0	0	1	0	1	0	2
7	जिला परिवीक्षा कार्यालय, हल्द्वानी–नैनीताल	0	1	0	1	1	0	3
8	जिला परिवीक्षा कार्यालय, अल्मोडा	0	0	0	1	1	0	2
9	जिला परिवीक्षा कार्यालय, उत्तरकाशी	0	0	0	0	1	1	2
10	जिला परिवीक्षा कार्यालय, नरेन्द्र नगर–टिहरी	0	0	1	0	1	0	2
11	जिला परिवीक्षा कार्यालय, पौडी गढवाल	0	0	1	0	1	0	2
12	जिला परिवीक्षा कार्यालय, चमोली	0	0	0	0	1	0	1
13	जिला परिवीक्षा का. पिथौरागढ	0	0	0	1	1	0	2
14	जिला परिवीक्षा कार्यालय, रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	1	1	2
15	जिला परिवीक्षा कार्यालय, चम्पावत	0	0	0	1	0	1	2
16	जिला परिवीक्षा कार्यालय, बागेश्वर	0	0	0	1	1	0	2
17	राजकीय नारी निकेतन, नौगॉव, उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	1	1
18	राजकीय बाल गृह, थत्यूड, टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	1	1
19	राजकीय शिशु सदन/बाल गृह, देहरादून	0	0	0	0	0	1	1
20	राजकीय बाल गृह (किशोरी), देहरादून	0	0	0	0	0	1	1
21	राजकीय नारी निकेतन, देहरादून	0	0	0	0	1	0	1
22	राजकीय बाल गृह, हरिद्वार	0	0	0	0	0	1	1
23	राजकीय विशेष गृह, हरिद्वार	0	0	0	0	0	1	1
24	राजकीय बाल गृह (किशोरी), अल्मोडा	0	0	0	0	0	1	1

क्रमश....2

(प्रदीप सिंह रावत)
निदेशक

25	रा.संरक्षण गृह/विशेष गृह, अल्मोडा	0	0	0	0	0	1	
26	रा. शिशु सदन/बाल गृह, अल्मोडा	0	0	0	0	0	1	
27	रा.आश्रम पद्धति विद्यालय, बागेश्वर	0	0	0	0	0	1	1
28	रा.निराश्रित (म0) कर्मशाला,पिथौरागढ	0	0	0	0	0	1	1
	योग :-	3	4	4	9	14	16	50

(अंजना गुप्ता)
जिला परिवीक्षा अधिकारी (मु.)

(मोहित चौधरी)
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी

(प्रदीप सिंह रावत)
निदेशक
(प्रदीप सिंह रावत)
निदेशक

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या: 3517/ XVII-2/22–34(स0क0)/2022
देहरादून: दिनांक 13 सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप, संख्या–2795/स0क0/2003–04(समाज कल्याण)/2002 दिनांक 09.10.2003 द्वारा स्वैच्छिक सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजनाओं का लाभ लेने हेतु उत्तरांचल राज्य के लिए राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2– राज्य समाज कल्याण बोर्ड के संचालन के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–20-2/2021-CSWB दिनांक 18.08.2021 के द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परिसमापन के परिप्रेक्ष्य में तथा उत्तराखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड में संचालित क्रैच योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को स्थानान्तरित होने एवं स्वधार उज्ज्वला योजना महिला कल्याण प्रोबेशन में स्थानान्तरित होने के दृष्टिगत वर्तमान, परिदृश्य में राज्य समाज कल्याण बोर्ड में कोई विशेष क्रियाकलाप संचालित न होने एवं बोर्ड की उपयोगिता समाप्त होने के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्य समाज कल्याण बोर्ड का परिसमापन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: /XVII-2/22–34(स0क0)/2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जी,उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. उप सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन विहार बिल्डिंग,संसद भवन, नई दिल्ली।
7. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,डॉ दुर्गाबाई देशमुखसमाज कल्याण भवन, बी–12, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,नई दिल्ली–110003।
8. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
10. सचिव, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या:53०/XVII-2/22-34(स0क0)/2002

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 14 सितम्बर, 2022

विषय:-राज्य समाज कल्याण बोर्ड के परिसमापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-537/उ.रा.स.क.बो.-निदे.म.क./2021-22 दिनांक 27.09.2021 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान परिदृश्य में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-385/XVII-2/22-34(स0क0)/2002 दिनांक 13.09.2022 द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का परिसमापन कर दिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के पत्र संख्या-उ0प्र0/रा0बो0/7358 दिनांक 16.12.2004 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को 06 पदों सहित हस्तान्तरित किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-3251-स.क.-03-03(स.क.)/2002 दिनांक 23 जनवरी, 2004 द्वारा उत्तरांचल समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के सफल संचालन हेतु सृजित 12 पद अर्थात कुल 18 पद सृजित हैं। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.09.2022 द्वारा समाज कल्याण बोर्ड का परिसमापन होने के दृष्टिगत उक्त 18 पदों के सापेक्ष, वर्तमान में कार्यरत 01 नियमित कार्मिक (वैयक्तिक सहायक/निजी सहायक), 03 उपनल संविदा कार्मिक (01- लेखाकार, 01- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं 01-वाहन चालक) कार्यरत है, जिन्हें उनके पद सहित महिला कल्याण विभाग में समायोजन तथा सेवानिवृत्त कार्मिक/पेंशनर की देयताओं, बोर्ड के कार्यालय की समस्त सामग्री वाहन सहित हस्तगत किये जाने हेतु अपने स्तर से नियमानुसार यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कृपया कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

पृ0 संख्या: ——/XVII-2/22-34(स0क0)/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राज्य समाज कल्याण बोर्ड को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि बोर्ड के कार्यालय की समस्त सामग्री वाहन सहित निदेशक महिला कल्याण को हस्तगत करने का कष्ट करें।
2. उप सचिव,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,जीवन विहार बिल्डिंग,संसद भवन, नई दिल्ली।
3. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,डॉ दुर्गाबाई देशमुखसमाज कल्याण भवन, बी-12, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110603।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्याः 17 /XVII-2/15-08(25)/2006

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांकः 0 जनवरी, 2016

विषयः-समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला कल्याण (प्रोवेशन सैक्टर) में संचालित राजकीय आवासीय संस्थाओं में निवासरत् शिशुओं/बालकों/बालिकाओं/किशोर/किशोरियों तथा महिलाओं/धात्री महिलाओं हेतु भोजन-जलपान आदि के लिए निर्धारित धनराशि की दरों में वृद्धि/संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 से समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आवासीय संस्थाओं में निवासरत शिशुओं/बालकों/बालिकाओं/किशोर/किशोरियों तथा महिलाओं/धात्री महिलाओं हेतु भोजन मद की दरों को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान दरें प्रतिमाह (धनराशि ₹ में)	पुनरीक्षित दरें प्रतिमाह (धनराशि ₹ में)
1.	संवासियों/संवासिनियों हेतु	1600	3050
2.	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु	1900	3050
3.	08 वर्ष तक के बच्चों के लिए	1300	3050
4.	08 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु के बालक-बालिकाओं के लिए	1600	3050

2- पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-सी 154/म0म0/म0बा0का0अनु0/(451)/98-99 दिनांक 20 मई, 1998 तथा शासनादेश संख्या-705/म0क0निदे0/लेखा/उत्तर रक्षा गृह/उद्धार गृह/शरणालय/99-2000 दिनांक 25 दिसम्बर, 1998 की नियमावलियों में निहित प्रक्रिया, शर्तें व प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। उक्तानुसार पुनरीक्षित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-05/XXVII(1)/2014 दिनांक 02 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या: 48 /XVII-2/23-01(07)/2021
E-7473

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, 2023

विषय-विभागान्तर्गत संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में समाज कल्याण विभाग की बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-626/मानदेय-228(1)/म.क.निदे./स्था./2022-23 दिनांक 19.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभागान्तर्गत संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक मानदेय पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मानदेय में [illegible] विभाग की वर्तमान मानदेय दरों की भाँति भुगतान किये जाने अनुमति प्रदान किये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग के [illegible] चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत संविदा, नियत वेतन एवं अंशकालिक पदों पर कार्यरत अंशकालिक कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित मानदेय अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	पदों का विवरण	कार्मिकों की संख्या	वर्तमान में महिला कल्याण विभाग द्वारा में प्रतिमाह मानदेय की धनराशि	महिला कल्याण विभाग में प्रतिमाह संशोधित मानदेय की धनराशि
1	2	3	4	5
1	संविदा/नियत वेतन पर कार्यरत (तृतीय श्रेणी)	02	11,500.00	18,000.00
2	संविदा/नियत वेतन पर कार्यरत (चतुर्थ श्रेणी)	13	8,300.00	14,000.00
3	अंशकालिक	01	4,000.00	[illegible]
		04	2,500.00	4600.00

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटर संख्या-I/90527/2023 दिनांक 11.01.2023 से प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 13-01-2023 18:13:53

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

संख्याः / XVII-2 / 16–13(08) / 2014

(2)

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला / समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 02 जनवरी दिसम्बर, 2016

विषयः राजकीय नारी निकेतन / शरणालय प्रवेशालय, केदारपुरम, देहरादून में पद सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–86 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / 2015–16 दिनांक 15 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय नारी निकेतन में निवासरत् संवासिनियों की देखरेख तथा विक्षिप्त महिलाओं की देखरेख हेतु निम्नलिखित पदों का सृजन इन्हें भरे जाने की तिथि से बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न'कर दिये जायें, दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक स्वीकृति करने एवं आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1.	अधीक्षक / अधीक्षिका	आउटसोर्स	01
2.	व्यायाम प्रशिक्षक	आउटसोर्स	02
3.	नर्स / मैट्रन	आउटसोर्स	03
4.	पर्यवेक्षक	आउटसोर्स	02
5.	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	01
6.	फिजियोथैरेपिस्ट	आउटसोर्स	02
7.	मनोवैज्ञानिक	आउटसोर्स	02
8.	केयर टेकर	आउटसोर्स	10
9.	माली	आउटसोर्स	01
10.	अंशकालिक चिकित्सक (नियत वेतन)	आउटसोर्स	02
11.	रसोईया	आउटसोर्स	02
12.	आया	आउटसोर्स	02
13.	धोबी	आउटसोर्स	06
14.	स्वीपर	आउटसोर्स	06
		कुल योग	42

2– उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते है।

9

3– भविष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद देहरादून/हल्द्वानी में मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकृत महिलाओं के उपचार/देखरेख हेतु मानसिक शरणालय/आश्रय गृह का पृथक से निर्माण कर लिये जाने की स्थिति में उक्त सृजित पद सम्बन्धित शरणालय/आश्रय गृह में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि एक परिसर में एक ही अधीक्षक/अधीक्षिका तैनात रहेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 102–बाल कल्याण 07–संस्थाओं/गृहों का संचालन के अन्तर्गत सुसंगत विभिन्न मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 06/XVII–1/2015 दिनांक 02 जनवरी, 2015 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

/

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 16 /XVII-2/16–13(08)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. ज़िलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण (प्रोबेशन सेक्टर) कार्यालय, उत्तराखण्ड।
8. जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव।

(37)

संख्याः / XVII-2 / 15-13(08) / 2014

प्रेषक,

डा0 भुपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला / समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 04 दिसम्बर, 2015

विषयः राजकीय नारी निकेतन / शरणालय प्रवेशालय, केदारपुरम, देहरादून में पद सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-86 / म.क. / सी.पी.ओ. / स्था. / 2015-16 दिनांक 15 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय नारी निकेतन में निवासरत् संवासिनियों की देखरेख तथा विक्षिप्त महिलाओं की देखरेख हेतु निम्नलिखित पदों का सृजन इन्हें भरे जाने की तिथि से बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक स्वीकृति करने एवं आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1	नर्स	आउटसोर्स	01
2	केयर टेकर	"	02
3	संगीत अध्यापक	"	01
4	धोबी	"	01
5	स्वच्छक	"	02
		कुल योग	07

2- उक्त स्वीकृत पद पूर्णतः अस्थाई है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते है।

3- भविष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद देहरादून में मानसिक रूप से विक्षिप्त / विकृत महिलाओं के उपचार / देखरेख हेतु मानसिक शरणालय / आश्रय गृह का पृथक से निर्माण कर लिये जाने की स्थिति में उक्त सृजित पद सम्बन्धित शरणालय / आश्रय गृह में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अन्त संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्य 102–बाल कल्याण 07–संस्थाओं/गृहों का संचालन के अन्तर्गत सुसंगत विभिन्न मानक के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1403/XVII–1/2015 दि॰ 03 दिसम्बर, 2015 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-823/XVII-2/15-13(08)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण (प्रोबेशन सेक्टर) कार्यालय, उत्तराखण्ड।
8. जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव।

संख्याः 4- / XVII-2 / 19–76(म0क0) / 2003

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 22फरवरी, 2019

विषयः जनपद चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा बागेश्वर में जिला प्राबेशन अधिकारियों के कार्यालयों हेतु चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण (प्रो0से0), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–835 / म0म0 / सी0पी0ओ0 / स्था0–17 / 2018–19 दिनांक 26.12.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय में निम्नलिखित तालिकानुसार चतुर्थ श्रेणी के एक–एक पद आउटसोर्स के माध्यम से शासनादेश निर्गत होने के तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2019 तक (बशर्ते उक्त पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जायें) के लिए सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	जनपद	पदनाम	पदों की संख्या
1	कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, रूद्रप्रयाग	अनुसेवक	01
2	कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, बागेश्वर	अनुसेवक	01
3	कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, चम्पावत	अनुसेवक	01
योग–			03

2– सृजित पदों पर सुसंगत सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां की जायेगी।

3– कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4– उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाले व्यय अनुदान संख्या–15 के लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 102–बाल कल्याण, 04–परिवीक्षा सेवा क्षेत्र की ससंगत योजनाओं के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....2/–

(7)

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–165/XXVII(3)/2018–19 दिनांक 18 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः (1)/XVII-2/19–78(म0क0)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊ एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित जिला परिवीक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 134 /XVII(2)/2(म०क०)/2021

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2   देहरादून,   दिनांक: 11 जून, 2021

विषय: — माह मार्च 2020 के उपरान्त कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारी एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र सं0 4/2/XIII/2021 [illegible] दिनांक 11.06.2021 के द्वारा मार्च 2020 के उपरान्त कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारी एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं-

1. कोविड-19 के दृष्टिगत प्रस्तावित योजना दिनांक 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
2. उक्त अवधि में कोविड-19 महामारी/अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु पर योजना लागू होगी।
3. उक्त योजना से आच्छादित बच्चों को रु0 3000/- की मासिक सहायता दिनांक 01 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य होगी।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह मार्च 2020 के उपरान्त कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान किए हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त योजना के संबंध में क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

क्रमशः 2

Scanned with CamScanner

-2-

पृ०संख्या– (1)/XVII(2)/2([illegible])/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, [illegible] मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, [illegible]/[illegible]।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

([illegible] सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 179 /XXX(2)/2021-30(2)/2019
देहरादून दिनांक 31 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित कर उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रमावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली का लागू होना

2. यह नियमावली राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय/अशासकीय सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चों के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) के सम्बन्ध में आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी.

परन्तु उत्तरांचल राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी:

परन्तु यह और कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत चयनित व्यक्ति के संदर्भ में इस नियमावली के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

अध्यारोही प्रभाव

3. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" से उत्तरांचल सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अभिप्रेत हैं;

(ङ) "प्रभावित बच्चों" से उत्तरांचल राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) अभिप्रेत हैं;

(च) "अनाथ बच्चों" से उत्तरांचल राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित व पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों अभिप्रेत हैं, जिनके पिता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं प्रमाण पत्र

5. (1) प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों का रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर समुचित अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में कराना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
सचिव।

सत्यमेव जयते

Government of India

Mission Vatsalya

Savdhanta Sanrakshnam

Implementation Guidelines

Towards a new dawn

Ministry of Women and Child Development

Government of India

4. NON-INSTITUTIONAL CARE SERVICES

One of the guiding principles of the care and protection of children under the Juvenile Justice Act asserts that a child shall be placed in institutional care as a measure of last resort. In this spirit, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Model Rules framed there under accord priority to non-Institutional care in the rehabilitation and reintegration of children through Sponsorship, Foster Care, adoption and After Care in a family and community based alternatives for care.

The Mission will support children through following modes of Non-Institutional Care:

i) **Sponsorship:** financial support may be extended to vulnerable children living with extended families/biological relatives for supporting their education, nutrition and health needs.

ii) **Foster Care:** the responsibility of the child is undertaken by an unrelated family for care protection and rehabilitation of the child. Financial support is provided to biologically unrelated Foster Parents for nurturing the child.

iii) **Adoption:** finding families for the children found legally free for adoption. Specialized Adoption Agencies (SAA) will facilitate the adoption programme.

iv) **After Care:** the children who are leaving a Child Care Institution on completion of 18 years of age may be provided with financial support to facilitate the child's re-integration into mainstream of society. Such support may be given from the age of 18 years up to 21 years, extendable up to 23 years of age to help her/him become self-dependent.

A monthly grant of Rs. 4000/- per child shall be provided for Sponsorship or Foster Care or After Care to the state government. The State Governments are encouraged to give additional grants to the SCPS under Sponsorship and Foster Care Fund and may initiate steps to proactively identify children who need protection with the support of PRIs and Urban Local Bodies. Every district shall have a Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) to review and sanction sponsorship (for preventive settings only) and Foster Care fund.The non-institutional care shall be subject to eligibility conditions and procedure laid down in the JJ Act and Rules thereof.

4.1 Sponsorship

As per Section 2 (58) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, sponsorship is defined as the *'Provision of supplementary support, financial or otherwise, to the families to meet the medical, educational and developmental needs of the child'*. Under Sponsorship programme, the Mission shall supplement the biological families or extended families of children in need of care or protection for adequate care of the child. It shall be a conditional assistance, to ensure that children get the opportunity to stay and grow within their social and cultural milieu in the community, without displacement.

4.1.1 _Types of Sponsorship

Assistance under sponsorship, criteria for selection and process of providing assistance under sponsorship will be of two types -

A – Government Aided Sponsorship

B – Private Aided Sponsorship

The state government may seek to saturate eligible children in need of care and protection through sponsorship.

A. Government aided sponsorship:

This type of sponsorship shall be of two categories, namely preventive and rehabilitative.

i) **Preventive:** Sponsorship support will be provided to a vulnerable family to enable a child to continue to remain in the biological family (including extended family and blood relatives), continue his/her education. This is an effort towards preventing children from becoming destitute, vulnerable, runaway, forced into child marriage, forced into child work, etc. The DCPU with the help of its social workers, outreach workers, volunteers as well as the Urban Ward Committee/Gram Panchayat shall identify vulnerable families or children for sponsorship support.

ii) **Rehabilitative:** Children within institutions can also be restored to families with sponsorship assistance. On the basis of the Individual Care Plan, an institution shall approach the CWC/JJB to recommend a suitable case to DCPU for rehabilitation through the sponsorship fund. Such rehabilitation may accord priority to the immediate family, extended family, family known to the child, neighborhood/community, and then to unrelated and unknown foster families respectively. Cases will be reviewed by CWC/JJB before recommending to the DCPU for sanction of sponsorship fund.

B. Private Aided Sponsorship:

Under private aided sponsorship, interested sponsors (individuals/institutions /company/banks/industrial units/trusts etc.) can provide assistance for the following purposes:

i) **Individual Sponsorship**–Assistance in kind and through financial support to one or two children of an institution or a family.

ii) **Group Sponsorship** –Assistance in kind and through financial support to the children of more than one family (up to a maximum of eight children) residing in the institution.

iii) **Community Sponsorship**-Assistance in kind and through financial support to more than eight children of one or more families of the community.

iv) **Sponsorship of Child Care Institution-** Assistance in kind and through financial support may be provided to CCI itself for the purposes of strengthening of infrastructure facilities, improvement of service quality, to extend skill development and vocational training opportunities, extend sports facilities and training, coaching classes, medical assistance and facilities, support for library and computer lab, etc.

The District Magistrate may take measures to encourage individuals or Public/Private Sector Organisations to sponsor a child or a group of children or an Institution. Such arrangements shall be subject to stipulations as per the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and Rules. The account of funds so received may be maintained separately subject to annual audit of the CCI, and published on the Mission Vatsalya portal.

The state governments may lay down procedures for receipt of all private sponsorship funds through the Juvenile Justice Fund opened under Section 105 of the JJ Act. Private sponsorship amount may not be less than the norm prescribed by the government. The sponsorship period may be minimum for one year or up to the period of the child attaining the age of 18 years.

4.1.2 Criteria for sponsorship

(1) Where mother is a widow or divorced or abandoned by family;
(2) Where children are orphan and are living with the extended family;
(3) Where parents are victims of life threatening/terminal disease;
(4) Where parents are incapacitated or unable to take care of children both financially and physically.
(5) Children in need of care and protection as per the JJ Act, 2015 namely without home, victim of any natural calamity, child labour, victim of child marriage, trafficked child, HIV/AIDS affected child, child with disabilities, missing or runaway child, child beggars or living on the street, tortured or abused or exploited children who require support and rehabilitation.
(6) Children covered under the PM CARES For Children Scheme.

4.1.3 Economic Criteria for Preventive Sponsorship

For preventive sponsorship, children in conditions of extreme deprivation based on the "proxy parameters" of - types of residential locality, social deprivation and occupation shall be selected, whose family income does not exceed:

a) Rs. 72,000/- per annum for rural areas,
b) Rs. 96,000/- per annum for others.

4.1.4 Duration of Sponsorship

The sponsorship can be extended up to 18 years of age based on reasons to be recorded in writing by Juvenile justice Board, Child Welfare Committee, or the Children's Court. The duration of the sponsorship support shall be co-terminus with the period of Mission Vatsalya.

All efforts shall be made to empower the family financially and otherwise to take care of the child satisfactorily. The Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) may review all sponsorship cases from time to time.

Procedure for sanction and release of funds under the Sponsorship Program:

a) The request for sponsorship support for a child in Institutional care can be uploaded on the Mission Vatsalya portal by the DCPU or Child's family.
b) The DCPU shall organise the meeting of SFCAC in the first week of every quarter, or as per need to consider the requests received.
c) The orphan, abandoned or surrendered children shall be given preference in consideration, in case they are not legally free for adoption/not adopted in six months
d) The Committee will recommend eligible children to DM through DCPU
e) The DM shall give approval based on the recommendation of the Child Welfare Committee or refer the cases for review.
f) The Committee may review and respond to the observations made by DM.
g) DM may accept or reject the recommendations.
h) The DCPO shall open an account in scheduled bank/Post Office in the name of the child, to be operated by the child's guardian, preferably by the Mother.
i) The DCPO shall also request SCPS for budgetary allocation for non institutional care, with proper justification.
j) The allocation shall be credited in the Single Nodal Account opened for the Mission at the District level.
k) DM shall be the competent authority for sanctioning the release of amount from Mission Account to the Children's account
l) Once sanctioned, the amount shall be credited monthly in the Child's account
m) DCPU may facilitate Child's Health annual check-ups from government hospital/District Medical Officer/ Civil Surgeon of the district and place the same along with home and school enquiry report from a Social Worker or Outreach Worker of the DCPU, before the Sponsorship and Foster Care Approval Committee for review and extension of Sponsorship assistance.
n) The duration of the sponsorship support shall be decided on a case to case basis by the Sponsorship and Foster Care Approval Committee, and may be extended upto 2025-26.
o) The supervision of children and families shall be undertaken by the DCPU and shall include quarterly home and school visits.
p) If at any point of time the child has to be institutionalized the sponsorship assistance shall be discontinued.
i) Sponsorship assistance will be reviewed and suspended, if the school going child is found to be irregular for more than 30 days in school attendanceexcept in case of children with special needs.

4.2 Foster Care:

Foster Care as mentioned in section 44 of JJ Act 2015, and Rules thereof is an arrangement whereby a child is placed for the purpose of alternate care in the domestic environment of a family, usually on a short term or extended period of time, with unrelated family members for purpose of care and protection. While placing a child in Foster Care, preference shall be given to those families that share similar cultural, tribal and /or community connection. Foster Care shall include Group Foster

Care whereby a group of unrelated children are placed with a foster family or under the care of Foster Care givers in a family like setting who may/may not be having their own biological children. Group Foster Care is defined as a family like care in a fit facility for children in need of care and protection who are without parental care.

Children in the age group of 0 to 6 years who are being considered by the Committee to be declared as legally free for adoption, and those who have been declared legally free for adoption shall not as far as possible be considered for placement in Foster Care. Such children shall be provided a permanent family through adoption as per Adoption Regulations. The situations under which Foster Care can be given will rest on the CWCs based on their assessment of the individual case presented before them.

4.2.1 Duration of Foster Care

i) Foster care for short term period means for a period of not more than one year.
ii) Foster Care for extended period of time is placement of a child by the Committee for a period exceeding one year. The duration whether short or long term will also be based on the assessment of the compatibility of the child with the Foster Care parents the period of placement can be periodically extended by the Committee till the child attains 18 years of age.

4.2.2 Children Eligible for Foster Care:

i) Children in the age group of 6-18 years who have been staying in Child Care Institutions for over two years, and have not been declared legally free for adoption may be placed in Foster Care based on their Individual Care Plan developed in the institution.
ii) Children whose parents are terminally ill and have submitted a request to the Committee or the District Child Protection Unit for taking care of their child as they are unable to take care of their child; such children may be preferably placed in Foster Care.
iii) Children in need of care and protection as per the JJ Act namely without home, victim of any natural calamity, child labour, victim of child marriage, trafficked child, HIV/AIDS affected child, child with disabilities, missing or runaway child, child beggars or living on the street, tortured or abused or exploited children who require support and rehabilitation.

4.2.3 Criteria for Selection of Foster Family:

The criteria and process for selecting Foster Family and Group Foster Care settings by DCPU and inspection by CWC are enshrined under Rule 23 of Juvenile Justice Rules, 2016 or as amended from time to time.

Identification of Foster Families by DCPU:

i) The District Child Protection Unit (DCPU) shall identify families who are willing to take children in Foster Care along with their preference of the child. For this purpose, the DCPU shall place advertisement in local newspapers periodically calling for applications for family Foster Care.

ii) The District Child Protection Unit shall shortlist the applicants based on the criteria and conduct interviews with the foster families which will help in assessment of the prospective foster family.
iii) The District Child Protection Unit will also verify two references from individuals of good standing from the community that are provided by every foster family.
iv) The DCPU, while making an assessment of the prospective foster family shall thoroughly check their economic status to ensure that they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the Foster Care maintenance payment for the child; however if it assessed that all other criterion being satisfied and only financial support is required, and in the absence of alternatives, the case shall be recommended to a Committee constituted for the purpose in the district, after the final orders of CWC. The financial support may be provided later too especially in case of higher studies, if need be.
v) District Child Protection Unit shall maintain a roster/panel of prospective foster families giving details about the kind of Foster Care willing to provide every year which shall be forwarded to the Child Welfare Committee for placement of children in Foster Care.
vi) The DCPU shall initiate preparation of the child for placement in Foster Care and initiate the matching process for foster parent and foster child and prepare report for the same. These reports are to be filled out parallel by DCPU during the matching process and submitted with a written covering letter for the match to the CWC.

Procedure for sanction and release of funds under the Foster Care Program:

i) The Couples/ Families desirous of fostering a child may apply to DCPU in the prescribed format.
ii) The DCPU may commission a home study report through social worker and background verification by Police. Economic and educational background of the family may also be taken into consideration.
iii) The families may be counselled to explain the responsibilities of fostering a child and assessed regarding their mental preparedness, before they are acknowledged as families suitable for fostering the child.
iv) Caregiver family may seek financial support in case their annual income is less than Rs. 8 lakhs per annum or the limit prescribed by the Ministry of WCD from time to time.
v) In case financial support is to be provided, process similar to providing sponsorship support shall be followed.
vi) Children who are unable to get adopted or rehabilitated with biological extended families may be considered for Foster Care.
vii) DCPO shall organise the introductory meeting between the child and prospective foster parents. The arrangement may be activated only if the child is willing to stay with foster parents/families.
viii) The Foster Care arrangements shall be approved by the District Magistrate.
ix) DCPU may facilitate Child's Health annual check-up from Government hospital/Chief Medical Officer of the district and place the same along with home and school enquiry report from a Social Worker or Outreach Worker of

the DCPU, before the Sponsorship and Foster Care Approval Committee for review and extension of Foster Care assistance.

x) The supervision of children and families shall be undertaken by the DCPU and shall include quarterly home and school visits.

xi) All Foster children of school going age shall regularly attend formal schooling unless under special instances of disability or illness of the child, which shall be verified by the DCPU.

xii) If at any point of time the child has to be institutionalized the Foster Care assistance shall be discontinued. Foster Care assistance will be suspended immediately, if the school going child is found to be irregular for more than 30 days in school attendance except in case of children with special needs.

Sponsorship & Foster Care Approval Committee (SFCAC)

Every district shall have a Sponsorship and Foster Care Approval Committee to review and sanction sponsorship (for preventive settings only) and Foster Care fund. The composition of the Sponsorship and Foster Care Approval Committee SFCAC is given below:

Sl. No.	Members	Designation
1.	District Magistrate	Chairperson
2.	Chairperson/Member, Child Welfare Committee	Member
3.	Representative of Specialized Adoption Agency (SAA)	Member
4.	Representative of a Voluntary Organisation working in the area of Child Protection	Member
5.	District Child Protection Officer	Member Secretary
6.	Protection Officer (Non-Institutional Care)	Member

Roles and Responsibilities of Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC):

i. Every district will have a Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) to implement and monitor the Sponsorship and Foster Care programme as provided under the Mission.

ii. The Sponsorship and Foster Care Approval Committee will review each recommendation and approve cases of Sponsorship and Foster Care support in all cases found deserving by it. The deserving cases will then be referred to Child Welfare Committee for the final order for Sponsorship/Foster Care as the case may be.

iii. A Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) will be responsible in each district to sanction sponsorship and Foster Care on receipt of final order from the CWC.

iv. The SFCAC shall meet every month and function in a time bound manner. The decision upon a request shall be taken within three months from the date of the receipt of the application.

v. An annual review will be conducted for each child under Sponsorship/Foster Care by the SFCAC to determine if the child is being well taken care of and has is well adjusted. On the basis of this review the approval for continued sponsorship support will be given.

vi. The SFCAC will review if the DCPU has made adequate efforts for family strengthening though convergence with other Departments.
vii. The SFCAC will review and recommend the termination of the family based sponsorship service.

Review of Sponsorship by SFCAC:

SFCAC may review and recommend the termination of the family based sponsorship service in the following circumstances-

i) When the child has achieved the age of 18 years.
ii) When the family's economic position has improved and the family voluntarily relinquishes sponsorship support.
iii) When the child has stopped going to school and/or Anganwadi (except in special instances of disability or illness of the child which shall be verified by DCPU),sponsorship assistance will be reviewed and suspended, if the school going child is found to be irregular for more than 30 days in school attendance.
iv) Child has been once again placed in a CCI.
v) In case child has medical problems and parents are unable to provide the necessary care.
vi) In case both parents have become incapacitated or unfit to look after the child (in this case the sponsorship could transfer to a relative or other family-based care arrangement).
vii) In case the child and family are unable to adjust (if the child has been released from a CCI) even after being with each other for at least three months.

The Protection Officer (Non-Institutional Care) should place before the SFCAC the current situation of the child and family and reasons for possible termination of the service and seek its advice for further action on behalf of the child.

If the SFCAC decides to terminate the sponsorship, it may recommend alternate care and rehabilitation measures for the child, if required. This may include an alternative placement whichever is in the best interest of the child. This recommendation will be placed before the CWC. The CWC will then cancel or discontinue the sponsorship and close the case file of the child. In such a case the Protection Officer (NIC) would approach the CWC for suitable placement of the child.

4.3 After Care:

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, provides for After Care of Children living under the Institutional care vide Section 2(5) and section 46 which mandates that "*Any child leaving a child care institution on completion of eighteen years of age may be provided with financial support in order to facilitate child's re-integration into the mainstream of the society in the manner as may be prescribed*".

After Care is meant for all young persons, who during their childhood have grown up in any form of Alternative Care such as children's Homes, Observation

इंद्रा मालो, भा.प्रा.से.
संयुक्त सचिव
INDRA MALLO (IAS)
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN
NEW DELHI-110 001 (INDIA)
Ph. : 91-11-23070611, 23070672
E-mail : indra.mallo@ias.nic.in

D.O. No. CW-II-22/6/2022-CW-II (e-99580)

05th July, 2022

Dear Sir/Madam,

As you may be aware that the Ministry of Women and Child Development is implementing a Centrally Sponsored Scheme "Mission Vatsalya" erstwhile Child Protection Services (CPS) Scheme, since 2009-10 for the welfare and rehabilitation of children in difficult circumstances. All the States/UTs have signed the Memorandum of Undertaking (MoU) with the Ministry for implementation of the Scheme.

2. I would like to inform you that the guidelines for implementation of Mission Vatsalya have been approved by the competent authority. I would like to share these guidelines of the Mission Vatsalya Scheme indicating financial norms for different components of the Scheme. The norms of Mission Vatsalya will be applicable from 01st April, 2022.

3. I would, therefore, request you to prepare your financial proposal and plans for the year 2022-23 under Mission Vatsalya Scheme on the basis of financial norms of Guidelines. Detailed documents/ norms of Mission Vatsalya Scheme will also be available on the Ministry's Website i.e. wcd.nic.in.

With regards.

Yours sincerely,

5/7/2022

(Indra Mallo)

To,

All States Governments /UTs Administrations

तृप्ति गुरहा
अपर सचिव
Tripti Gurha
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development
Government of India

D.O. No. CW-II-30/18/2024-CW-II (e-113650)

26th April, 2024

Dear Madam/Sir,

I write to you in context of the Model Foster Care Guidelines, 2024 that have been revised in the light of the Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015 (as amended in 2021) and Model Rules 2016 (as amended in 2022).

2. These revised Model Foster Care Guidelines, 2024 have been framed to ensure clarity, efficiency, and compliance amongst stakeholders about Foster Care with an objective to facilitate de-institutionalisation of children care. These guidelines provide clear procedure, eligibility and steps for Foster Care and Foster Care leading to Adoption by the same foster family who have kept the child in their Foster Care for a period of two years.

3. As we embark on this journey of implementation, it is imperative that these guidelines are disseminated effectively to all concerned functionaries. We believe that widespread awareness and adherence to these guidelines will not only enhance implementation of foster care but also contribute significantly to the well-being of children in their social cultural milieu.

4. A copy of the Model Foster Care Guidelines, 2024 has been made available on the webpage of this Ministry at www.wcd.nic.in.

With regards,

Yours sincerely,

(Tripti Gurha)

To:

Principal Secretaries/Secretaries in the Department of Women and Child Development, Social Welfare, SJE of all States/UTs dealing with Mission Vatsalya.

Room No. 615 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
Tel. : 011-23381800, E-mail : triptigurha.edu@nic.in

PM CARES for Children Scheme

Guidelines (05.10.2021)

Contents

1. Name of the Scheme: PM CARES for Children 2
2. Vision: 2
3. Objective: 2
4. Period: 2
5. Eligibility: 2
6. Entitlements: 2
   i. Support for Boarding and Lodging: 2
   ii. Assistance for Pre-school and School Education 3
   iii. Health Insurance: 4
   iv. Financial Support: 4
7. Nodal Agencies - National, State, and District: 5
   i. Role of the Ministry of Women and Child Development: 5
   ii. Role of State/UT Governments: 5
   iii. Role of District Magistrate: 6
8. Process Flow: 7
   i. Beneficiary Identification 7
   ii. Beneficiary Registration: 7
   iii. Beneficiary Verification: 7
   iv. Opening of Account: 8
   v. Transfer of funds to the account of the beneficiary of PM CARES: 8
   vi. Fund Flow: 8
   vii. Linking with Schemes 9
   viii. Role of Other Ministries 10
   ix. Grievance Redressal: 10
   x. Monitoring & Supervision 11
   xi. Feedback Facility for children: 11
   xii. Digitally driven processes for PM CARES for Children Scheme 11
   xiii. Training and Capacity Building 12

Annexure -1: Facilities available for children under the schemes of Department of School Education 13

Annexure -2: Benefit cover available to children under Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana 15

Annexure -3: Responsibility Matrix for Stakeholder Ministries 16

Annexure- 4: Indicative Investment Amount 17

Annexure – 5 : Brief description of envisaged functionalities of the portal 18

Annexure – 6 : Process flow for Beneficiary registration, validation and account opening 20

Annexure – 7 : Mechanism of fund flow for beneficiaries under PM CARES for Children Scheme 21

Annexure- 8 : Mechanism of fund flow for Institutions 22

1. **Name of the Scheme: PM CARES for Children**

2. **Vision:**
Hon'ble Prime Minister of India on 29.05.2021 has announced comprehensive support for children who have lost both their parents due to COVID 19 pandemic.

3. **Objective:**
To ensure comprehensive care and protection of children who have lost their parent(s) to COVID pandemic, in a sustained manner, enable their wellbeing through health insurance, empower them through education and equip them for self-sufficient existence with financial support on reaching 23 years of age. The PM CARES for children scheme inter alia provides support to these children through convergent approach, gap funding for ensuring education, health, monthly stipend from the age of 18 years, and **lump sum amount of Rs. 10 lakh on attaining 23 years of age**.

4. **Period:**
The eligible children shall be enrolled from 29.05.2021 (date of announcement of Hon'ble PM) to 31.12.2021 to avail benefits of PM CARES for Children Scheme. The Scheme is expected to continue till the year when every identified beneficiary[1] shall turn 23 years of age.

5. **Eligibility:**
All children who have lost
i) Both parents or
ii) Surviving parent or
iii) legal guardian/adoptive parents/single adoptive parent
due to COVID 19 pandemic, starting from 11.03.2020 the date on which WHO has declared and characterized COVID-19 as pandemic till 31.12.2021, shall be entitled to benefits under this scheme.
iv) Child should not have completed 18 years of age on the date of death of parents

6. **Entitlements:**
   i. **Support for Boarding and Lodging:**
      a) Efforts will be made by the District Magistrate with the assistance of Child Welfare Committee (CWC) to explore the possibility of rehabilitating the child within her/his extended family, relatives, kith, or kin.
      b) If the extended family, relatives, kith or kin of the child are not available/not willing/not found fit by CWC or the child (aged 4 -10 years or above) is not willing to live with them, the child should be placed in foster care, after due diligence as prescribed under the Juvenile Justice Act, 2015 and rules made thereof as amended from time to time.
      c) If the Foster family is not available/not willing /not found fit by CWC, or the child (aged 4 -10 years or above) is not willing to live with them, the child

[1]Beneficiary/ Beneficiaries means eligible child beneficiaries under the PM CARES for Children Scheme.

should be placed in age appropriate and gender appropriate Child Care Institution (CCI).

d) Children more than 10 years old, not received by extended families or relatives or foster families or not willing to live with them or living in child care institutions after the demise of parents, may be enrolled in Netaji Subhash Chand Bose Awasiya Vidyalaya, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, Eklavya Model Schools, Sainik School, Navodaya Vidyalaya, or any other residential school by the District Magistrate, subject to the respective scheme guidelines.

e) It may be ensured that the siblings stay together, as far as possible.

f) For non-institutional care, financial support at the prevailing rates prescribed under the Child Protection Services (CPS) Scheme shall be provided to Children (in account with guardian). For child in institutional care, a maintenance grant at the prevailing rates prescribed under the Child Protection Services (CPS) Scheme shall be given to Child Care Institutions. Any provision for subsistence support under the State scheme may also be provided additionally to the children.

ii. Assistance for Pre-school and School Education

a. For children below 6 years of age

Identified beneficiaries will receive support and assistance from the Anganwadi services for supplementary nutrition, pre-school education/ ECCE, immunization, health referrals, and health check-up.

b. For children below 10 years of age

i) Admission shall be provided in any nearest school as a day scholar i.e. Government/ Government aided School/ Kendriya Vidyalayas (KVs)/ Private Schools.

ii) In Government Schools, two sets of free uniform and textbooks shall be provided, under Samagra Shiksha Abhiyan, as per the scheme guidelines.

iii) In private schools, tuition fees shall be exempted under section 12(1)(c) of RTE Act.

iv) Under circumstances where child is unable to receive above benefits, the fees, as per the RTE norms, will be given from the PM CARES for Children scheme. The Scheme will also pay for expenditure on uniform, textbooks, and notebooks. A matrix of such entitlements is detailed out in **Annexure-1**.

c. For children between 11-18 years of age

i) If the child is living with the extended family, then admission in the nearest Government/ Government aided School/ Kendriya Vidyalayas (KVs)/ Private Schools as a day scholar may be ensured by the DM.

ii) The child may be enrolled in Netaji Subhash Chand Bose Awasiya Vidyalaya/ Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya/ Eklavya Model Schools/Sainik School/ Navodaya Vidyalaya/ or any other residential school, by the DM, subject to the respective scheme guidelines.

iii) The DM may make alternative arrangements for accommodation of such children during vacations at CCIs or any appropriate place.

iv) Under circumstances where child is unable to receive above benefits, the fees, as per the RTE norms, will be given from the PM CARES for Children scheme. The scheme will also pay for expenditure on uniform, textbooks, and notebooks. A matrix of such entitlements is detailed out in **Annexure-1**.

d. Assistance for Higher Education:

i) The child will be assisted in obtaining education loan for Professional courses /Higher Education in India

ii) Under circumstances where beneficiary is unable to avail interest exemption from extant Central and State Government scheme, then the interest on the educational loan will be paid from PM CARES for Children Scheme.

iii) As an alternative, scholarship as per the norms will be provided to the beneficiaries of the PM CARES for Children Scheme from the schemes of Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Minority Affairs, and Department of Higher Education. Beneficiaries will be assisted through National Scholarship portal for availing such entitlements. The scholarship awarded to the beneficiaries will be updated on the PM CARES for Children portal.

iii. Health Insurance:

a. All children will be enrolled as a beneficiary under Ayushman Bharat Scheme (PM-JAY) with a health insurance cover of Rs. 5 lakhs.

b. It shall be ensured that the child identified under PM CARES for Children scheme receives benefits under PM JAY

c. The benefits available to children under the scheme are at **Annexure-2**.

iv. Financial Support:

a. The lump sum amount will be transferred directly in the post office account of beneficiaries upon opening and validation of the account of the beneficiaries. A pro-rata amount will be credited upfront in the account of each identified beneficiary such that the corpus for each beneficiary becomes Rs. 10 lakhs at the time of attaining 18 years of age[2].

b. Children will receive monthly stipend once they attain 18 years of age, by investing the corpus of Rs 10 lakhs. The beneficiary will receive stipend till they attain 23 years of age.

c. They will receive an amount of Rs. 10 lakh on attaining 23 years of age.

---

[2]Age of the eligible beneficiary shall be number of completed years on the upcoming date of birth. For example, if a child lost his/ her parent(s) on the 3rd of August, 2021 and he/she is 4 months old at that time, the age of the child for calculation of premium should be taken as one (1) year. Similarly, the upfront lumpsum contribution amount for 12 years 9 months old eligible beneficiary, shall be the amount specified for 13 years old. Any number of months and days shall be rounded off to the next complete year.

7. **Nodal Agencies - National, State, and District:**
Ministry of Women and Child Development shall be the nodal Ministry for execution of the scheme at the central level. Department of Women and Child Development or Department of Social Justice in the State/UT Government, dealing with the Child Protection Services scheme in the State/UT shall be the nodal agency at State level. The District Magistrates (DM) shall be the nodal authority at District level for execution of the scheme.

i. **Role of the Ministry of Women and Child Development:**
   a) The Ministry shall implement the scheme in coordination with the State and District nodal agencies.
   b) The Ministry shall provide oversight and guidance to the State and district authorities.
   c) The Ministry shall host and maintain the portal containing the details of beneficiaries, with the assistance of National Informatics Centre (NIC).
   d) The Ministry shall coordinate with the PM CARES Fund for release of funds to account of the District Magistrates.
   e) The Ministry shall coordinate with the DMs for transferring corpus amount to the post office account of beneficiaries and for other expenses related to education, health, and other activities.
   f) The Ministry shall leverage PM CARES for Children portal to coordinate with stakeholder ministries such as Ministry of Education, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Social Justice and Employment, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Minority Affairs or any other ministry, department or organisation for facilitating the scheme.
   g) The Ministry shall submit reports to PM CARES Fund regarding the beneficiaries, as and when required.
   h) The Ministry shall be assisted by a Program Management Unit (PMU), for managing the portal, for overall coordination, including, coordinating with the States/Districts authorities, release of funds, chartering growth of children, generating required reports and monitoring the process. Joint Secretary (Child Welfare) in the Ministry shall supervise the PMU.

ii. **Role of State/UT Governments:**
   a) The department of Women and Child development or the department of Social Justice in the State/UT implementing the Child Protection Services scheme shall be the nodal department for the scheme. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary of the department shall be the State Nodal Officer for implementation of PM CARES for Children Scheme.
   b) The said department shall supervise the actions taken by all the districts for care and protection of the children receiving support under this Scheme on a long-term basis, till they attain 23 years of age.
   c) The department shall coordinate with health, education, and other State departments in order to help district magistrates in facilitating services and benefits for children.
   d) The departments shall monitor the progress made in case of every child and facilitate inter-state transfer for the purpose of higher studies, sports, professional training, or any other purpose in the best interest of child.

iii. **Role of District Magistrate:**

a) The District Magistrate shall anchor the scheme in the District
b) The DM (by designation) shall act as the guardian[3] of these children, under this scheme, for all practical purposes.
c) **Identification, registration, and verification -** The DM shall identify the beneficiaries with the assistance of Child Welfare Committee (CWC) and District Child Protection Unit (DCPU). After satisfying themselves regarding the authenticity of the beneficiary, she/he will verify and confirm the details of the child on the PM CARES for Children portal.
d) For the purpose of this scheme, DM may include an ADM, who has been duly authorized by the DM.
e) **Account identification -** For receiving of funds from MoWCD, DM will either identify an existing account or open a new account and map the account details on the PM CARES for Children portal.
f) **Opening of account -** DM shall be responsible for opening of account of the beneficiaries with assistance of concerned district authorities.
g) **Transfer of funds to the PM CARES beneficiaries account** – Upon opening of the account and its validation, DM shall transfer the eligible corpus amount to the beneficiaries account.
(Para no. 8(iv)&(v) refer)
h) DM shall also raise request for funds, through the portal, to the concerned Ministries/Departments for educational, health, and other activities for children. These funds shall be utilized for expenditure on activities not covered under the existing schemes.
i) **Annual activities** –
   i. Update the Child's profile on the portal
   ii. DM may interact personally with the children atleast once in a year
   iii. Review their education and health parameters
   iv. Organize supplementary education and career counselling facility to the beneficiary
j) **Additional key activities -**
   i. Provide immediate assistance in terms of boarding and lodging, if required
   ii. Satisfy herself/himself before placing the child with non-institutional care or within CCI, that the action is being taken in the best interest of child
   iii. May ensure that the siblings stay together, as far as possible.
   iv. Change the residence of the child if it is found that the child is under duress in the present circumstances
   v. Provide benefits to the child under existing schemes of the Government, as per the eligibility

---

[3]The term 'guardian' in the Scheme is used in the aforesaid context for the purpose of the role, functions, duties envisaged under the PM CARES for Children Scheme which would be complimentary to the role of 'guardian' if any, appointed at any stage by the court or other competent authority under any law.

8. **Process Flow:**
The sequential process flow for beneficiary identification, registration, verification, opening of account, depositing PM CARES amount, and linking beneficiaries with schemes is as under:

i. **Beneficiary Identification**

a) The District Magistrate to conduct a drive for identification of these children, with the assistance of Police, DCPU, Childline & Civil Society Organisations.

b) Gram Panchayats, Anganwadi & ASHA network may be sensitized to report such children to the CWC.

c) Sufficient publicity about the identification drive may be made in local language, to inform general public in this regard and to encourage them to produce such children before CWC or report their where abouts through Childline (1098) or DCPU.

d) Children who have lost both parents or Surviving parent or legal guardian/adoptive parents/single adoptive parent due to COVID 19 pandemic, requiring support under the scheme, may be produced before CWC by Childline (1098), District Child Protection Unit (DCPU) or any other agency or individual, within 24 hours of noticing the Child, excluding journey time.

ii. **Beneficiary Registration:**
Upon beneficiary identification the request form for seeking support under the scheme, to be filled up on the PMCARES for children portal by the child or caregiver or any other agency producing child before CWC. All such children identified under the Scheme shall be registered on the portal in a week's time.

iii. **Beneficiary Verification:**

a) After registration of beneficiary on the portal, CWC with the help of DCPU shall gather the facts regarding the Child who has lost both parents or Surviving parent or legal guardian/adoptive parents/single adoptive parent due to COVID 19 pandemic, including details of deceased parents, home address, school, contact details, and credentials. CWC shall verify the cause of death of the parents by way of their death certificate or by field enquiry. The information may be uploaded by the CWC on PM CARES for children portal, while submitting it for DM's consideration. The activity of beneficiary verification shall be completed in 15 days.

b) CWC will upload details of all children produced or reported to them by other agencies on the portal and this activity shall be competed in a week time.

c) **CWC recommendation** - After ascertaining the facts of each case, CWC to submit its recommendations to the DM regarding the child. In case the CWC does not recommend a particular child, reasons should be recorded in the space provided at the portal, for DM to take a view.

d) DM may accept the recommendations of CWC or seek a review through CWC or DCPU. DM to make an independent assessment about every child recommended or not recommended by the CWC. The DM may be assisted by the Child Protection staff, Police, Childline or any other agency deemed fit for the purpose.

e) **Confirmation of eligibility of the beneficiary on the portal** - After satisfying himself/ herself of the eligibility of the beneficiary the confirmation will be done on the portal. Decision taken by DM regarding the eligibility of a child under the scheme shall be final. Refer to **Annexure-6** for flow on beneficiary registration on the PM CARES for Children portal.

f) **Time period** – It shall be ensured by the DM that process of beneficiary identification to final approval of eligible beneficiaries to be completed in one-month period. Whether child eligible to avail the due benefits of the scheme or rejected for the same should be decided in one-month time.

iv. Opening of Account:

It shall be the responsibility of the DM as regards opening of account of eligible beneficiaries. He will be supported and assisted by district level authorities, namely, CWC, DCPU, postal authorities, and others. In both the cases below the account shall be opened in the Post Office.

a) **Opening of account for children below 18 years of age:** An account shall be opened in the name of a beneficiary under the "PM CARES for Children Scheme, 2021" with the District Magistrate (by designation)[4] as joint account holder for an eligible beneficiary who has not attained the age of 18 years on the date of opening of account.

b) **Opening of account for children attained 18 years of age:** In case of beneficiaries who have attained 18 years of age on the date of opening of account a single account shall be opened for the beneficiary for receiving financial support under the PM CARES for Children Scheme.

v. Transfer of funds to the account of the beneficiary of PM CARES:

Upon successful verification of beneficiary and validation of post office account, the requisite amount will be credited in the beneficiary account. It shall be ensured by the DM, that within one-month of receipt of funds from the MoWCD, the amount is credited to the account of the beneficiaries. An indicative investment amount as per age profile of Children can be referred to in **Annexure–4**.

vi. Fund Flow:

a) PM CARES fund to MoWCD

i. Upon receiving approved list of beneficiaries on the portal, MoWCD will send a requisition to PM CARES fund through the PM CARES for Children portal for releasing a lump sum amount to the Ministry. The fund from the PM CARES fund will be credited in a dedicated account which will be maintained and operated by the MoWCD.

ii. This dedicated account will be opened by MoWCD, in the name of PM CARES for Children scheme, in a bank, for the purpose of managing the fund.

---

[4]The term 'guardian' in the Scheme is used in the aforesaid context for the purpose of the role, functions, duties envisaged under the PM CARES for Children Scheme which would be complimentary to the role of 'guardian' if any, appointed at any stage by the court or other competent authority under any law.

b) **MoWCD to District Magistrate**

i. MoWCD will transfer the lump sum amount to either the existing account or new account opened by DM for crediting upfront contribution to the beneficiaries' account.

ii. MoWCD will also transfer the recurring amount validated by the concerned Ministries/ Department, annually, to the account of DM, for education, health, or other activities of the children, as the case may be.

c) **District Magistrate to Beneficiaries and Institutions**

i. A one-time contribution, varying in each case as depending on the age of the child (**Annexure-4**) would be deposited in the account of the child from this identified account of the DM in such a manner that the total corpus accumulates to Rs. 10 lakhs upon child attaining the age of 18 years[5]

ii. DM would provide necessary funds to the institutions responsible for education, health, or other activities of the children, as the case may be.

d) **For minor account holder** - In the unfortunate event of death of beneficiary, the account shall be closed, and the lump sum upfront contribution shall be paid to the joint account holder for further transmission to the PM - CARES Fund.

e) **For major account holder** - In the unfortunate event of death of beneficiary, the account will be operated as per the provisions of the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, as notified by Central Government from time to time.

vii. Linking with Schemes

a) CWC will ensure Aadhaar registration of eligible children to receive support under the scheme. If the beneficiary does not have Aadhaar registration, DM will facilitate the Aadhaar registration.

b) A certificate in the UIDAI prescribed format can be issued by the DM or any appropriate officer/ Authority as PoA /PoI for enrolling the Children for new Aadhaar or updating demographic data in existing Aadhaar.

c) After completion of 5 years/15 years, mandatory biometric update is required for the children. It can be carried out with the consent of the present Guardian at the time of update, and the Guardian can be a different person from who had acted as Guardian at the time of initial Enrolment. In addition, any demographic update can also be carried out with the consent of the present Guardian which may be a relative or any Officer duly authorized by DM (by designation)[6].

---

[5] Age of the eligible beneficiary shall be number of completed years on the upcoming date of birth. For example, if a child lost his/ her parent(s) on the 3rd of August, 2021 and he/she is 4 months old at that time, the age of the child for calculation of premium should be taken as one (1) year. Similarly, the upfront lumpsum contribution amount for 12 years 9 months old eligible beneficiary, shall be the amount specified for 13 years old. Any number of months and days shall be rounded off to the next complete year.

[6] For enrolment/ update, the Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognized shelter homes or orphanages is also one of the authorized person to issue such certificate on UIDAI standard certificate format. In case of Aadhaar Enrolment of Children in 0 to 5 age group (In such case, Finger print & Iris of Child is not captured), but the Aadhaar Number of the Guardian shall be captured.

d) Based on CWC recommendations, DM shall issue appropriate orders for the following:
   i. Rehabilitation of the child with extended family, in foster care or in CCI, as deemed fit.
   ii. Financial support for non-institutional care (child living with extended family or foster family) under Child Protection Services (CPS)
   iii. Continuation of the school education as per the provisions described under section 2 of these guidelines, while linking the child to existing schemes for school education as per the relevant scheme guidelines.
   iv. Linking the child with PM-JAY scheme under Ayushman Bharat
   v. Link the child with any other welfare scheme of Centre or State as per the eligibility
   vi. Support the Child for higher education by way of securing scholarships under the existing schemes or by arranging suitable loan

viii. Role of Other Ministries

The Ministries and departments i.e. Department of School Education and Literacy, Department of Higher Education, Ministry of Education, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Social Justice and Employment, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Minority Affairs or any other Ministry, Department or Organisation required for facilitating the scheme, shall ensure that the facilities and services due to the children under the PM CARES for Children Scheme under their schemes and programmes are delivered to the children as per their needs. The respective Ministries/ Departments shall issue enabling orders for extending benefits/ services to the beneficiaries of PM CARES for Children scheme. The responsibility matrix is given at **Annexure-3**.

Ministry of Finance through its Small Savings Scheme and the monthly investment plan will leverage support for the PM CARES beneficiaries.

ix. Grievance Redressal:

a) DM shall appoint an officer of ADM level, for dealing with grievances, if any
b) Grievance redressal mechanism will be built in the PM CARES for Children portal. The portal will allow for raising and addressing grievance. The PM Cares of Children portal is envisaged to allow end-to-end tracking of resolution provided for each grievance.
c) The PM Cares of Children portal will also provide alerts for pending grievances/ actions and will escalate pending grievances automatically in the order - district to State level and then State to Central level. Due action shall be taken within a fortnight and intimated to the complainant through the portal.
d) The portal will also have built in grievance dashboard and maintain historical grievance redressal records. Due action shall be taken within a fortnight and intimated to the complainant through the portal.
e) Grievances, if pending for more than 15 days shall be escalated to the State/UT level automatically. In such cases, the State nodal Officer may consult the concerned DM and ensure suitable action.

f) Grievances, if not attended for 30 days shall be escalated to the Ministry of Women and Child Development automatically. Ministry may consult concerned State nodal Officer, DM or nodal Ministries and take appropriate action.

x. Monitoring & Supervision

a) Nodal State departments, which are, Department of Women and Child development, the Department of Social Justice, and any other department dealing with Child Protection Scheme will monitor and facilitate the scheme implementation and progress.
b) The stakeholder Departments & Ministries such as Department of School Education & Literacy & Department of Higher Education in Ministry of Education, National Health Authority under Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Social Justice and Employment, Ministry of Tribal Affairs; Ministry of Minority Affairs or any others, shall also monitor delivery of facilities and services to children identified under PM CARES for Children scheme at State and district level.
c) The Ministry of Women and Child Development shall continue to monitor the well-being of the children. The Ministry will also monitor the fund flow and benefits provided under this Scheme through the portal, while continuing to leverage Juvenile Justice set up, in collaboration with State and District administration.
d) The support provided to the beneficiaries through institutional and non-institutional care under the Child Protection Scheme will be updated on the PM CARES for Children portal.

xi. Feedback Facility for children:

Children/guardian will be given a login id for viewing a personal dashboard on the PMCARES for Children portal, indicating their entitlements, services being provided, important contact numbers of CWC members, DCPU, and DM.

xii. Digitally driven processes for PM CARES for Children Scheme

PM CARES for Children Scheme will have an integrated portal for beneficiary registration, validation, fund transfer, beneficiary and fund monitoring, and grievance redressal. The portal is envisaged to facilitate end to end support to the beneficiaries and comprehensive functionalities for smooth implementation and monitoring of the scheme (refer to **Annexure – 5** for detailed functionality).

a. **Beneficiary** – Registration and validation of beneficiaries will be done on the portal. Only verified beneficiaries will be eligible for financial assistance under the Scheme.
b. **Bank/ Post office account** – Beneficiary, DMs, and all related accounts identified for the fund flow will be validated on the portal. Funds will be transferred only to the validated accounts.
c. **Funds transfer** – All requisition for funds will be shared through the portal. DMs will share requisition to concerned Ministries/ Departments

and the MoWCD. MoWCD will then share a consolidated requisition for funds to PM CARES fund. Approval and disbursement of funds will be also directed through the portal.

d. **Convergence** – All scheme linkages, including benefits under Child Protection Scheme, for the beneficiaries of the PM CARES for Children Scheme can be accessed on the portal. MoWCD will have a consolidated view of beneficiaries linked to different schemes of Ministries/ Department.
e. **Monitoring and Supervision** – The portal will enable end to end supervision of benefits transferred to each beneficiary, fund utilization, beneficiary report card, among others. DMs, concerned Ministries/ Departments will also be able to view the progress and status of convergences.
f. **Feedback and Grievance redressal** – Beneficiaries/ guardians will be able to access the portal to provide feedback and/or register grievance online.

xiii. Training and Capacity Building

For smooth roll out and implementation of the scheme, a one-time capacity building training for orientation and sensitization of all stakeholders would carried out by respective ministries/ departments through online e-learning module(s).

Annexure-1

Facilities available for children under the schemes of Department of School Education, Government of India

#.	Type/Name of School	Facilities already being Provided	Facilities not covered under the Scheme of DoSEL (funds for these may be claimed from PM CARES for Children scheme by DM)
A.	**For Children Aged up to 10 years:**		
1.	Government Schools under Samagra Shiksha	School Fees-Free Education	Stationary
		Uniform to all girls, SC, ST, and BPL children	
		Textbooks	Uniform for boys belonging to General and OBC category
2.	Kendriya Vidyalayas (For Children admitted under Section 12 (1) (c) of RTE Act)	School Fees-Free Education	-
		Uniform	
		NCERT Textbooks	
		Notebooks	
		Stationary	
		Transport	
3.	Private Schools (For Children admitted under Section 12 (1) (c) of RTE Act)	School Fees-Reimbursement as per RTE norms	Uniform
			Textbooks
			Stationary
			Admission can be given only in the entry level class- Class 1 or pre-school
B.	**For Children Aged between 11-18 years:**		
I.	**Schools as Day Scholar:**		
1.	Government Schools under Samagra Shiksha	School Fees-Free Education	Stationary for all children.
		Uniform to all girls, SC, ST, and BPL children (**up to class VIII**)	Uniform to boys belongs to General and OBC category (up to class VIII) and to all children of class IX to XII
		Textbooks (**up to Class VIII**)	Textbooks to all children of class IX to XII
2.	Kendriya Vidyalayas (For Children admitted under Section 12 (1) (c) of RTE Act) (**up to class VIII**)	School Fees-Free Education	All facilities (Reimbursement of fees, Uniform, Textbooks and Stationery) for children of Class IX to XII
		Uniform	
		NCERT Textbooks	
		Notebooks	
		Stationary	
		Transport	

#.	Type/Name of School	Facilities already being Provided	Facilities not covered under the Scheme of DoSEL (funds for these may be claimed from PM CARES for Children scheme by DM)
3.	Private Schools g. For Children admitted under Section 12 (1) (c) of RTE Act	School Fees-Reimbursement as per RTE norms (**up to class VIII**)	Reimbursement of School fees for children of Class IX to XII
			Uniform, Textbooks, and Stationary for all children
	h. For other children		Reimbursement of School fees
			Uniform, Textbooks, and Stationary for all children
II.	**Residential Schools:**		
1.	Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (Residential Schools only for **Girls** from class VI to XII)	School Fees-Free Education	---
		Free Lodging and boarding	
		Uniform	
		Textbooks	
		Stationary	
		Stipend @ Rs. 100 per month	
2.	Netaji Subhash Chandra Bose Residential School for boys and girls from class VI to XII	School Fees-Free Education	---
		Free Lodging and Boarding	
		Uniform	
		Textbooks	
		Stationary	
		Stipend	
3.	Jawahar Navodaya Vidyalayas* for boys and girls from class VI to XII	School Fees-Free Education	--
		Free Lodging and Boarding	
		Uniform	
		Textbooks	
		Notebooks	
	* Admission in JNVs is done through entrance exams in Class VI and IX. Admissions in Class IX are subject to vacant seats in schools.		

Annexure-2

Benefit cover available to children under Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana

Key Features of PM-JAY

- PM-JAY provides a cover of Rs. 5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization, across public and private empanelled hospitals in India.
- In case of child identified for support under PM CARES for Children, he/she shall be entitled to the cover of Rs. 5 lakh.
- PM-JAY provides cashless access to health care services for the beneficiary at the point of service, that is, the hospital.
- It covers up to 3 days of pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses such as diagnostics and medicines.
- End to end paperless
- All pre-existing conditions are covered from day one.
- Benefits of the scheme are portable across the country i.e. a beneficiary can visit any empanelled public or private hospital in India to avail cashless treatment.
- Services include approximately more than 1600 procedures covering all the costs related to treatment, including but not limited to drugs, supplies, diagnostic services, physician's fees, room charges, surgeon charges, OT, and ICU charges etc.
- Public hospitals are reimbursed for the healthcare services at par with the private hospitals.

Benefit Cover under PM-JAY

The cover under the scheme includes all expenses incurred on the following components of the treatment.

- Medical examination, treatment, and consultation
- Pre-hospitalization
- Medicine and medical consumables
- Non-intensive and intensive care services
- Diagnostic and laboratory investigations
- Medical implantation services (where necessary)
- Accommodation benefits
- Food services
- Complications arising during treatment
- Post-hospitalization follow-up care up to 15 days

The details can be accessed at PM CARES for Children portal.

Annexure-3

Responsibility Matrix for Stakeholder Ministries

S.No.	Ministry	Role
1.	Department of School Education and Learning	• To ensure convergence with U-DISE • To ensure that the children identified for support under PM CARES for Children receive educational assistance as mentioned in para 2 of these guidelines
2.	Department of Higher Education	• To facilitate loans and scholarships under its scheme and programmes
3.	Ministry of Health and Family Welfare	• To ensure data synchronization with Ayushman Bharat system • To ensure insurance cover of Rs. 5 lakh to children under PM-Jan Arogya Yojana for children identified for support under PM CARES for Children
4.	Ministry of Social Justice and Employment	• To accommodate children identified for support under PM CARES for Children under scholarship programme
5.	Ministry of Tribal Affairs	• To accommodate children identified for support under PM CARES for Children under scholarship programme
6.	Ministry of Minority Affairs	• To accommodate children identified for support under PM CARES for Children under scholarship programme
7.	Department of Economic Affairs	• Facilitating investment of the fixed deposit in an instrument to ensure stipend after 18 years of age and lump-sum payment of Rs. 10 lakh at 23 years of age.

Annexure-4

INDICATIVE INVESTMENT AMOUNT

Table

Age of the eligible beneficiary at the time of opening of account	Maturity (No. of Years)	Upfront Lumpsum contribution (in Rupees) Rounded off
1 Yr	17	2,87,870
2 Yr	16	3,09,750
3 Yr	15	3,33,290
4 Yr	14	3,58,620
5 Yr	13	3,85,870
6 Yr	12	4,15,200
7 Yr	11	4,46,750
8 Yr	10	4,80,710
9 Yr	9	5,17,240
10 Yr	8	5,56,550
11 Yr	7	5,98,850
12 Yr	6	6,44,360
13 Yr	5	6,93,330
14 Yr	4	7,46,030
15 Yr	3	8,02,720
16 Yr	2	8,63,730
17 Yr	1	9,29,370
18 Yr and above	0	10,00,000

Annexure – 5

Brief description of envisaged functionalities of the portal

#	Functionality	Brief Description
A.	Registration and verification module	1. Registration of beneficiaries 2. Capturing supporting documents and essential data 3. Verification of post office account details 4. Authentication of Aadhaar details (Demographic authentication)
B.	Child Protection Scheme (CPS)	1. Linking beneficiaries to the CPS 2. Account details with guardian to be mapped for non-institutional care 3. Benefits provided to children under institutional and non-institutional care
C.	Dashboards for monitoring	1. Reports showing demographic and geographic spread of beneficiaries. Some of the reports envisaged are: 1.1. Age & Gender wise reports 1.2. Data entry report 1.3. Verified list of beneficiaries (post office account and demographic authentication) 1.4. Approved list of beneficiaries (by DM) 1.5. Beneficiaries who have turned 18+ 2. Payment report 3. Historical record keeping 4. Pendency and red flag reports 5. KPI Monitoring 5.1. Annual health check-up 5.2. Counsellor visit 5.3. Book/Stationary etc. availability
D.	Grievance Redressal module	The resolution of all grievances to be tracked through the PM CARES for children portal. Some of the functionalities for the module would be: 1. Tracking resolution 2. Alerts for pending actions 3. Auto-Escalation feature 4. Historical record keeping 5. Monitor resolution provided for each beneficiary
E.	Feedback module	Feedback directly from the guardian
F.	Convergence module	Facilitate convergence with schemes of other Ministries and States/UTs for whom the beneficiaries would be eligible
G.	SMS Facility	Suitable SMS alert facility to the beneficiaries
H.	Validation Checks	Validation check for checking eligibility before submission of form (such as age of child) to be introduced
I.	Rejection Report	1. Predefined drop down for reasons for rejection 2. "Other reason" drop down to ask for data entry of reason with a minimum character limit

#	Functionality	Brief Description
		3. Allow correction in application in case of rejection due to wrong data entry to avoid filling up of whole forms multiple times and decrease number of rejections
J.	Payment module	1. MoWCD will receive funds from the PM CARES in a dedicated account and further transfer to DMs for implementation of this scheme 2. A one-time contribution, varying in each case as depending on the age of the child would be deposited in the account of the child by the DM in such a manner that the total corpus accumulates to Rs. 10 lakhs upon child attaining the age of 18 years 3. DM would provide necessary funds to the institutions responsible for education, health or other activities of the children, as the case may be 4. Creation of Fund Transfer Orders 5. Use of Digital Signature Certificates for approving payments

Annexure – 6

Process flow for Beneficiary registration, validation and account opening

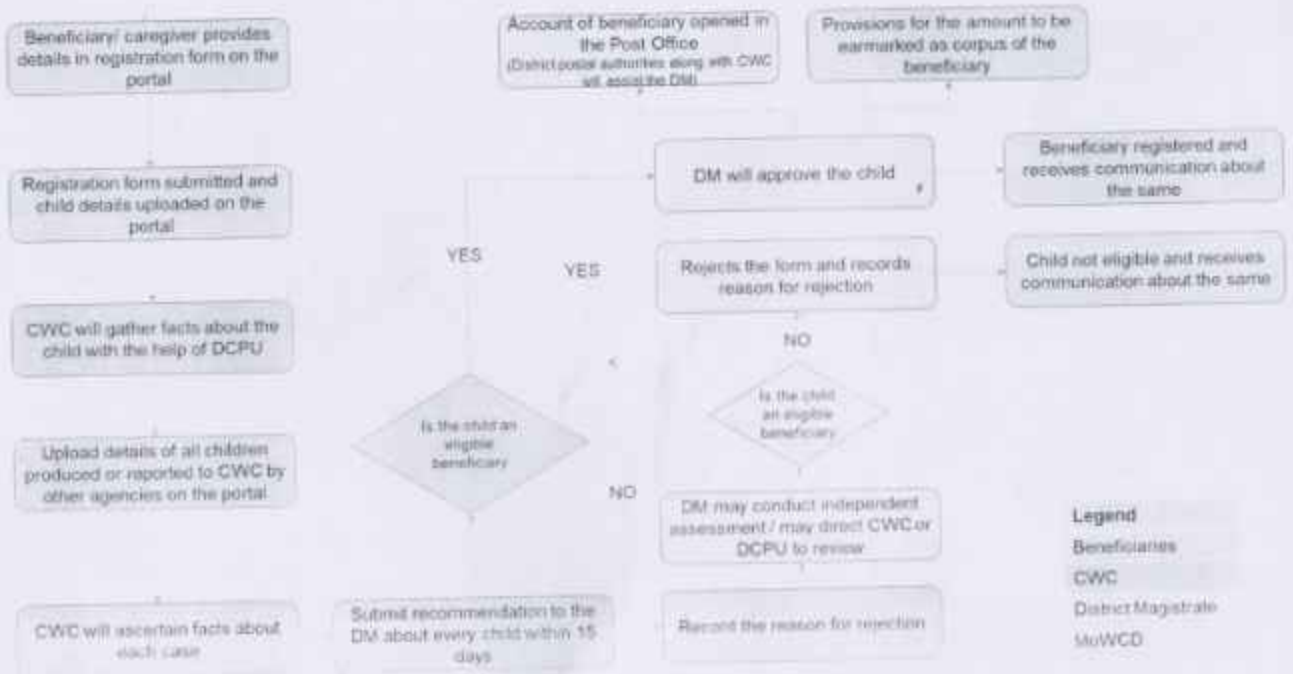

Annexure – 7

Mechanism of fund flow for beneficiaries under PM CARES for Children Scheme

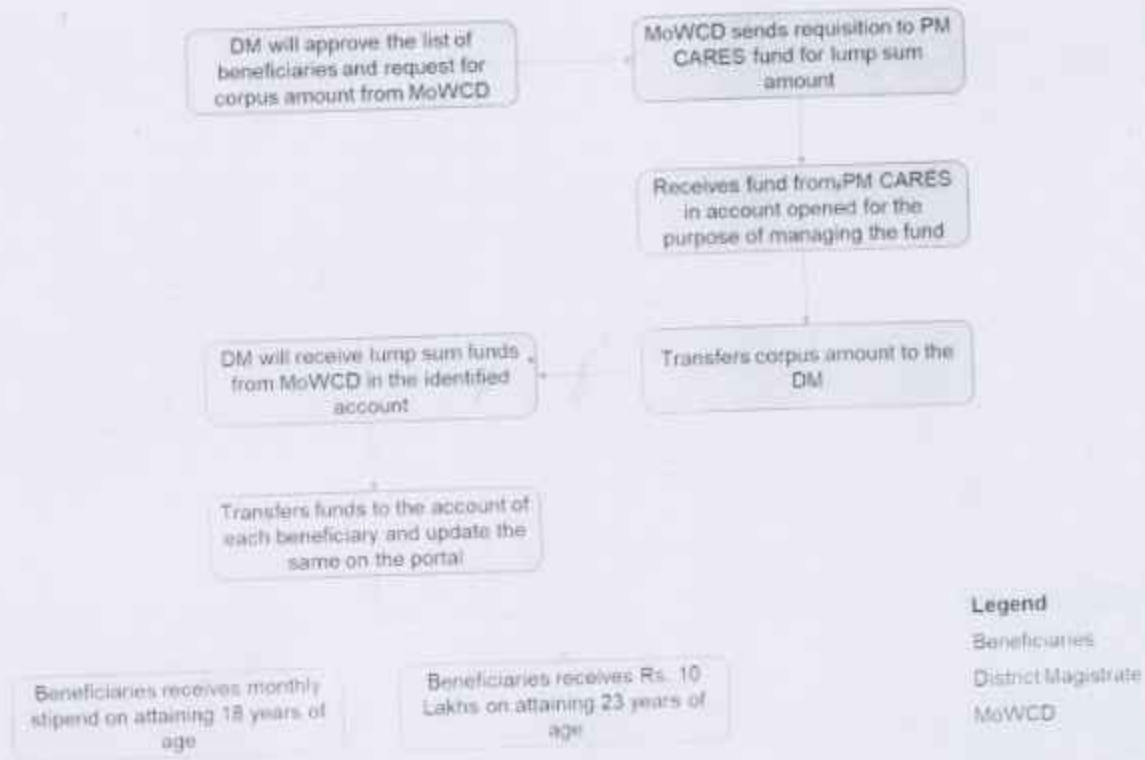

Annexure-8

Mechanism of fund flow for institutions

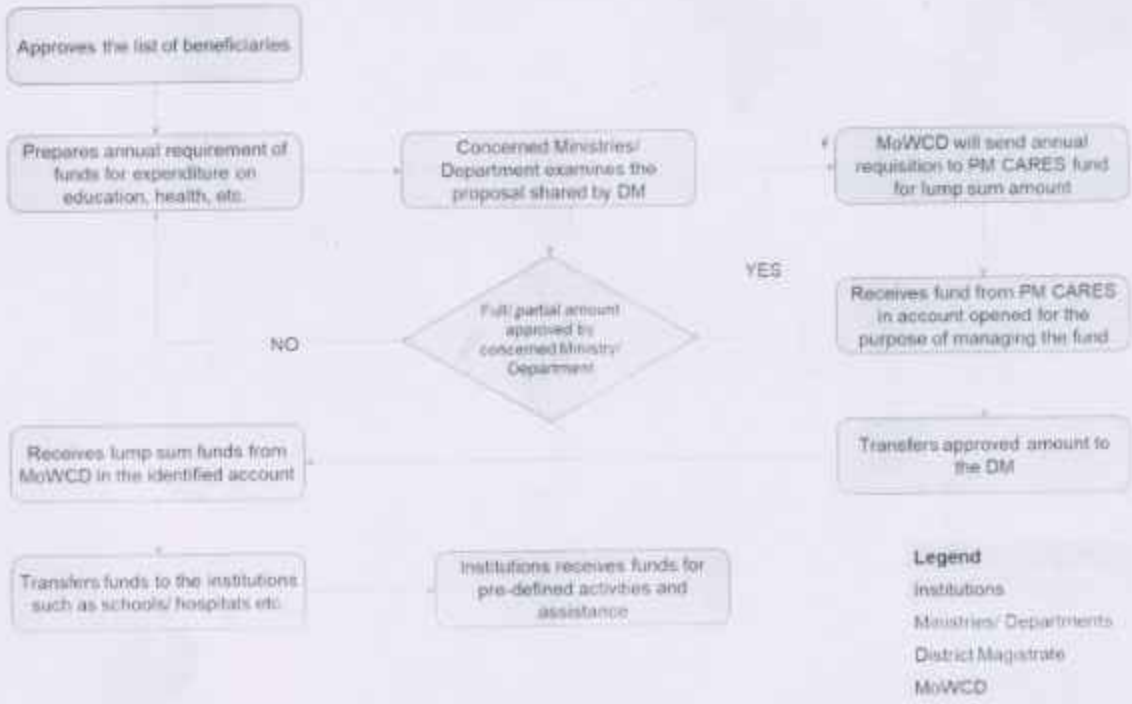

दत्तक ग्रहण एवं मिशन वात्सल्य से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी हेतु भारत सरकार की निम्न वेबसाइटों में जनमानस हेतु सूचनाएं उपलब्ध है।

https://cara.wcd.gov.in/

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–06

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित
या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

ऐसे दस्तावेजों के,जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

अनुभाग–अधिष्ठान / लेखा

क्रम सं0	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	उपस्थिति पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	निदेशक / मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी
2	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
3	कार्यालय आदेश पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
4	स्थापना प्रकरणों संबंधी गार्ड फाइलें	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
5	निदेशालय / जनपद / संस्था स्तर पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
6	निदेशालय / जनपद / संस्था स्तर पर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों की चरित्र पंजिका पत्रावलियां	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
7	ज्येष्ठता सूची पत्रावलियां	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
8	शासन, निदेशालय द्वारा किये गये निरीक्षणों के परिपालन संबंधी पत्रावलियां	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
9	पत्रावलियों की पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
10	पंजिकाओं की पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
11	वीडिंग पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
12	विभिन्न मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक सूचनाओं के प्रेषण तथा अन्य विविध प्रकार की कार्यवाहियों से संबंधित पत्रावलियां	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
13	जिला सैक्टर / राज्य सैक्टर / केन्द्र पोषित / बाह्य सहायतित योजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
14	कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले पत्रों की प्रेषण पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
15	डाक टिकट पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
16	स्थानीय डाक वितरण पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
17	पटल सहायकों को प्राप्त कराये जाने वाले पत्रों की पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
18	डाक चालानों की पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
19	अधिष्ठान व्यय हेतु बजट आवंटन पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
20	व्ययाधिक्य एवं बचत संबंधी पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
21	अधिष्ठान व्यय विवरण पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
22	विभागीय प्राप्तियों की पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव

23	यात्रा–भत्ता बिल पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
24	आकस्मिक व्यय पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
25	अग्रिम आहरण / भुगतान पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
26	कोषागार में बिल पंजिका प्रपत्र–11सी	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
27	कोषागार में बिल प्रस्तुत करने की पंजिका प्रपत्र–1	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
28	वेतन बिल पंजिकायें	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
29	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 लेजर एवं ब्रॉडशीट	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
30	समूह–घ के कार्मिकों को जी0पी0एफ0 लेखा आवंटन एवं लेखा पर्ची निर्गत करने संबंधी पत्रावली	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
31	महालेखाकार तथा विभागीय लेखादल द्वारा किये गये आडिट एवं लंबित प्रस्तरों के निस्तारण संबंधी पत्रावलियां	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
32	रोकड़बही	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
33	बजट कंट्रोल पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
34	कैशचेस्ट पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
35	चैक / ड्राफ्ट पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
36	स्थाई अग्रिम पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
37	जनरल स्टाक पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव
38	लेखन सामग्री स्टाक पंजिका	जाँच के लिए उपलब्ध	जाँच के लिए उपलब्ध	तदैव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–07

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

महिला कल्याण विभागान्तर्गत कोई भी योजनायें किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन हेतु आच्छादित नहीं हैं। यदि इस मैनुवल में उल्लेखित किसी योजना/सेवा में सुधार के संबंध में परामर्श देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–08

ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्ड, परिषदों,समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

I/212260/2024

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या:– /XVII-2/24–01(07)2023
देहरादूनः दिनांक 21 मई, 2024

अधिसूचना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के आदर्श नियम–2016 के नियम 87 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र.सं.	चयनित सदस्य	पदनाम
1.	मा0 न्यायमूर्ति श्री बी0के0 बिष्ट, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीन, सिक्किम उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
2.	निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य–सचिव
3.	श्री प्रिन्स यादव, 8बी0, एम0आई0जी0, एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी, आई0एस0बी0 टी0, देहरादून	सदस्य
4.	डॉ0 दिव्या नेगी सी0डी0–004, यश ग्रीन्स एपार्टमेन्टस्, शिमला बाई पास चौक, देहरादून।	सदस्य
5.	डॉ0 हर्षपति डोभाल, स्कूल ऑफ मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन स्टडीज, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
6.	डॉ0 सविता कर्नाटक तिवारी, मनोविज्ञान विभाग, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
7.	सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य

2– उपर्युक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय चयन समिति का कार्यकाल 03 वर्ष होगा तथा उक्त गठित चयन समिति द्वारा उपर्युक्त अधिनियम एवं आदर्श नियमों में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Signed by Chandresh Kumar Yadav
Date: 20-05-2024 11:53:56

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः /93 /XVII-2/24–01(07)2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, महिला कल्याण/महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. उक्त राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लेथो प्रिन्टिंग प्रेस, रूड़की, उत्तराखण्ड को इस

आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को सरकारी गजट उत्तराखण्ड और साधारण, विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 20 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9. गार्ड फाइल।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 164 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद अल्मोड़ा हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

क0सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्री रघुवर दत्त तेवाडी	श्री नरोत्तम तेवाड़ी, ग्राम–घुगोली, पो–बसभीडा अल्मोडा। पत्राचार पता–ईश्वरीय भवन, पश्चिमी पोखरखाली, रानीधारा मोड, अल्मोडा	सदस्य
02	श्रीमती चन्द्रा प्रताप	स्व0 श्री0 प्रमेन्द्र प्रताप, निवासी–ग्राम–पूर्वी पोखर खाली अल्मोड़ा जेल रोड़ अल्मोड़ा। मो.न. –7248161935	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 12:11:01

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. - स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. - जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
9. - जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, अल्मोड़ा।
10. - सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. - महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. - गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:36:52

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 165 / XVII-2/25–01(07)/2023/E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद अल्मोड़ा हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री देवेन्द्र कुमार जोशी	स्व0 श्री गोपाल दत्त जोशी, ग्राम–सर्प, पो0–सोमेश्वर, जनपद– अल्मोड़ा। मो0न0–9410072727, पत्राचार पता–श्री नारायण समिति फॉर्मेसी सोमेश्वर, अल्मोड़ा।	अध्यक्ष
02	श्री महेश चन्द्र सिंह परिहार	स्व0 श्री चतुर सिंह परिहार, निवासी सरकार की आली अल्मोड़ा। मो0न0–9411118899	सदस्य
03	श्रीमती नीतू कपकोटी	डॉ ललित पंत, निवासी–वैष्णवी धाम, ग्राम–मैणी–पंचगॉव, पो0 ऑ–हवालबाग, तहसील व जनपद–अल्मोड़ा–263636। मो0न0– 9412045633	सदस्य
04	श्री कृष्ण चन्द्र	स्व0 श्री बी0आर0आर्य, निवासी–ग्राम–ईनाकोट, पो0–भैंसोडी, तहसील एवं जनपद–अल्मोड़ा–263601। मो0न0–9412913680	सदस्य
05	श्रीमती अर्चना कोठारी	स्व0 श्री प्रेम प्रकाश कोठारी, निवासी–पश्चिमी पोखरखाली जगदम्बा भवन रानीधारा रोड अल्मोड़ा। मो0न0–9411349090	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:47:39

पृष्ठांकन संख्याः ~~/ XVII-2/25–01(07)/2023~~, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
8. जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, अल्मोड़ा।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली

11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by आज्ञा से,
Prabha Arya
Date: 11-04-2025 (प्रभा आर्या)
12:32:43 अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 172 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद चमोली हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती शान्ति देवी	श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम व पो0–बछेर, तहसील एवं जनपद–चमोली। मो0न0–8171803997, पत्राचार पता–श्रीमती शान्ती राणा, हल्दापानी गोपेश्वर–246401	सदस्य
02	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	श्री नारायण सिंह रावत, निवासी–ग्राम–सिंलगी, पो0 ऑ0 –कॉचुला, जनपद चमोली–246446। मो0न0–8057577205	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 12:11:44

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. - स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - जिलाधिकारी, चमोली।
8. - जिला न्यायाधीश, चमोली।
9. - जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, चमोली।
10. - सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. - महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. - गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:34:11

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या: 173 / XVII-2/25–01(07)/2023/E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद **चमोली** हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री सुरेश चन्द्र कुनियाल	स्व0 श्री दुर्गादत्त कुनियाल, निवासी–ग्राम–बमणबेरा पो0–उलंगा देवाल–हिमालयन प0 स्कूल देवाल पो0 देवाल जिला चमोली–246427, फो0 न0– 8126083375	अध्यक्ष
02	श्री राकेश लाल	श्री लच्छी राम, निवासी–ग्राम–सरपाणी, पो–उस्तोली वि0ख –नन्दानगर, जनपद–चमोली। मो0न0–8958433533	सदस्य
03	श्रीमती ममता भट्ट	श्री योगेश भट्ट, नि0–निकट पुलिस लाईन गोपेश्वर, चमोली। मो0न0–8954785744	सदस्य
04	श्रीमती अनीता सेमवाल	श्री हेमन्त सेमवाल, निवासी–ग्राम–चुलाकोट, पो0ऑ0–केदारुखाल, तहसील–कर्णप्रयाग। मो0न0–9756151818	सदस्य
05	श्रीमती लक्ष्मी बोरा	श्री हरिश सिंह, ग्राम–चमुँवा खालसा पो0–परचालीखान जनपद अल्मोड़ा। मो0न0–8941807895	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:38:45

पृष्ठांकन संख्या: XVII-2/25-01(07)/2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, चमोली।
8. जिला न्यायाधीश, चमोली।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, चमोली।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली

11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by Prabha Arya
Date: 11-04-2025 12:33:10
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 159 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल , 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद **बागेश्वर** हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती पूनम भण्डारी	श्री गोविन्द सिंह भण्डारी, निवासी–तहसील रोड़ जनपद– बागेश्वर। मो0न0–7505025549	सदस्य
02	सुश्री हिमानी एस सिंह	श्री शिव कुमार सिंह, निवासी–टीट बाजार पो0–गरूड़ जनपद – बागेश्वर–263641। मो0न0–9193962352	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2-25-01(07)-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
8. जिला न्यायाधीश, बागेश्वर।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, बागेश्वर।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:37:58

(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2

संख्याः 159 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023/E-58835

देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ 2025

अधिसूचना अप्रैल,

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद बागेश्वर हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री कैलाश सिंह बोरा	स्व0 श्री जय सिंह, निवासी–भगरतोला, पो0ऑ–धौनाई (बैजनाथ) जनपद–बागेश्वर। मो0न0–9917437903	अध्यक्ष
02	श्री नवीन चन्द्र	श्री नरीराम, निवासी–नाकुरी, पो0ऑ–कौसानी, जनपद–बागेश्वर। मो0न0–9411592103	सदस्य
03	श्री अशोक लोहुमी	श्री महेश्वर दत्त लोहुमी, निवासी–ग्राम व पो0ऑ–जौलकांडे बागेश्वर। मो0न0–941290099	सदस्य
04	श्रीमती भारती खेतवाल	श्री अतुल सिंह खेतवाल, निवासी–बनखोला, मण्डलसेरा, बागेश्वर। मो0न0–9410565930	सदस्य
05	श्रीमती मंजू नगरकोटी	स्व0 भूपाल सिंह धपोला, निवासी–काण्डा–मोटर मार्ग दुग बाजार, जनपद–बागेश्वर, मो0न0–9634281052	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)

सचिव।

Digitally signed by CHANDRESH KUMAR YADAV

पृष्ठांकन संख्याः / [illegible]

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
8. जिला न्यायाधीश, बागेश्वर।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, बागेश्वर।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।

12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by Prabha Arya
Date: 11-04-2025 12:32:12
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 161 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद चम्पावत हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	श्री चिन्तामणि जोशी, निवासी–ग्राम–ओखलढुंगा, निरौ (जोशीखोला) पो0ऑ–सैन्दर्क क्वेरालाघाटी जनपद–चम्पावत–262523। मो.न.–9412914305	सदस्य
02	सुश्री उर्मिला	श्री रामदास, निवासी–वार्ड न0–01 चिन्तीमझरा, सितारगंज जनपद–उधमसिंह नगर। मो0न0–7017173366, 8193028807	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 12:04:10

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, चम्पावत।
8. जिला न्यायाधीश, चम्पावत।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, चम्पावत।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025 12:38:26

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 160 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद चम्पावत हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती आनन्दी अधिकारी	श्री लोकमान सिंह अधिकारी, निवासी–ग्राम–काकड़, पो0–बाराकोट, वि0ख0–बाराकोट, जनपद–चम्पावत। मो0न0–9456573091	अध्यक्ष
02	श्रीमती सरोज उप्रेती	श्री गिरधर दत्त उप्रेती, ग्राम–मझेडा, पो–खूना बोहरा, तहसील लोहाघाट, चम्पावत। 9870840187	सदस्य
03	श्रीमती रंजना पाण्डेय	श्री मुकुल कुमार पाण्डेय, निवासी–ग्राम–पवेत, खर्ककार्की पो0 –चम्पावत, जनपद–चम्पावत–262523। मो0न0–8057936294	सदस्य
04	श्री मुकुल सिंह ढेक	श्री दीवान सिंह ढेक, निवासी–शान्त बाजार, पो व जिला– चम्पावत, पिन–262523। मो0न0–9411308876	सदस्य
05	श्री बची सिंह पुजारी	स्व0 श्री प्रताप सिंह पुजारी, निवासी–जी0आई0सी0 रोड कनलगांव, जनपद–चम्पावत–262523। मो0न0–8191040400	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 12:01:38

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. - स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - जिलाधिकारी, चम्पावत।
8. - जिला न्यायाधीश, चम्पावत।
9. - जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, चम्पावत।
10. - सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली

11. - महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. - गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:30:22

(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2

संख्याः 170 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835

देहरादूनः दिनांक 11 मार्च अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती कनिका शर्मा	स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी–396 विकास कॉलोनी रानीपुर मोड़ हरिद्वार। मो0नं0–9557658311	सदस्य
02	श्री आदित्य कुमार	श्री धर्मपाल सिहं, निवासी–ग्राम–बसेडा खादर पो0–लक्सर, गोर्वधनपुर रोड निकट सरकारी बैंक हरिद्वार मो0 न0–8859151515	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-04-2025

पृष्ठांकन संख्याः /XVII-2/25-01(07)/2023, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, हरिद्वार।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya आज्ञा से,
Date: 09-04-2025 (प्रभा आर्या)
12:04:56 अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 74 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री प्रिय बंधु	श्री सुदर्शन शर्मा, निवासी–ग्राम व डॉ प्रहलादपुर – तहसील–लक्सर (हरिद्वार), मो0न0–9506933555	अध्यक्ष
02	श्रीमती सुनीता चौधरी	श्री धरमपाल सिंह, निवासी ग्राम बसेड़ा खादर, लक्सर जिला हरिद्वार, मो0 न0 8279560025, पत्राचार पता– 48 बी भगवती पुरम कनखल, तहसील / जिला– हरिद्वार	सदस्य
03	श्रीमती बेबी नाज	श्री इरशाद खान, निवासी–मौ0 मेहतान निकट पीठ बाजार ज्वालापुर 9027316184	सदस्य
04	श्री दिनेश कुमार शर्मा	श्री रामराजशर्मा, आर–113, शिवालिक नगर, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार। मो0 न0–9837077527	सदस्य
05	श्रीमती सोनिका	श्री विनोद कुमार शर्मा, निवासी–38 न्यू विकास कॉलोनी, ऋषिकुल हरिद्वार। मो0न0–7302370771, पत्राचार पता–अनिल पुरोहित भट्टा मोहल्ला झाझरा देहरादून।	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:34:19

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. जिला न्यायाधीश, हरिद्वार।

9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, हरिद्वार।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by आज्ञा से,
Prabha Arya
Date: 11-04-2025 (प्रभा आर्या)
12:29:12 अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 175 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 मार्च 2025
अधिसूचना अप्रैल,

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्री अनंत प्रकाश मेहरा	डॉ0 मनीश चन्द्र मेहरा, निवासी–20 नई बस्ती तेग बहादुर रोड़ देहरादून। मो0न0–8954508145, पत्राचार पता–शिव कॉलोनी राजकीय इण्टर कॉलेज हरबर्टपुर के पीछे ग्राम फतेहपुर हरबर्टपुर देहरादून।	सदस्य
02	डा0 सुषना जुयाल अंथवाल	श्री हेमन्त कुमार अंथवाल, 6 नं0 पुलिया, अपर नत्थनपुर, पो0–नेहरुग्राम, देहरादून–248005	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-04-2025 10:55:47

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. जिला न्यायाधीश, देहरादून।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, देहरादून।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 09-04-2025
12:03:18

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 174 / XVII-2 / 25–01(07)2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती नमिता ममगाई	श्री जे0पी0 ममगाई, निवासी–म.न.–05 स्ट्रीट नं0 3 बसंत विहार एनक्लेव, जनपद–देहरादून।	अध्यक्ष
02	श्री नवीन भारतीय	श्री सन्तराम त्रिपाठी, साई विहार, ग्राम–झाझरा, सुद्धोवाला, उत्तराखण्ड। मो0नं0 9634059599	सदस्य
03	श्री नरेश मिश्रा	श्री विद्यादत्त मिश्रा, ग्राम–जामटी, पो0 गौमुख, जनपद –टिहरी गढ़वाल। 7060891963	सदस्य
04	श्री दिवेश शर्मा	श्री देव दत्त शर्मा, निवासी लेन नं0–14 गढ़वाली कॉलोनी, अपर नेहरू ग्राम, जनपद–देहरादून। 8077703073	सदस्य
05	श्रीमती नीता कांडपाल	श्री सुरेश चन्द्र कांडपाल, निवासी–ग्राम–रैंगल, पो0–डोवा, तहसील व जनपद अल्मोड़ा मो0 नं0 7017349476	सदस्य

2. उक्त समिति में अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:33:18

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. जिला न्यायाधीश, देहरादून।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, उहरादून।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण कइस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की

प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रभा आर्या)

अनु सचिव।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11.04.2025
12:20:53

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 176 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023/E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 मार्च, 2025
अधिसूचना अप्रैल,

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए **जनपद नैनीताल** हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती अंजू कठायत बिष्ट	श्री योगेन्द्र सिंह बिष्ट, निवासी–हाउस न0–426 बी कालिका कालौनी फेज–4 लोहरियासाल तल्ला कठ ारिया हल्द्वानी– नैनीताल–263139। मो0 न0–8126019106,	सदस्य
02	श्री नजर अली	श्री हामिद अली, निवासी–11–बी. रानी पडमादेवी कालोनी, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर। मो0न0–09837304686	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 12:03:25

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, नैनीताल।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:39:06

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 177 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 मार्च 2025
अधिसूचना अप्रैल,

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद नैनीताल हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती देवकी आर्य	श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, निवासी–ग्राम तल्ला निगलाट, तहसील–कैंची धाम, जिला–नैनीताल–263132। मो0न0–8077875210, पत्राचार पता–सरस्वती भवन निकट गाँधी आश्रम, कलावती कॉलानी, हल्द्वानी नैनीताल।	अध्यक्ष
02	श्रीमती विनीता पाठक	श्री संजय पाठक, निवासी–शिक्षा नगर, निकट एम आई ई टी कॉलेज, ईसाई नगर–2 लामाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल। मो0न0–8979055524	सदस्य
03	श्री प्रकाश चन्द्र पुजारी	श्री तारा दत्त पुजारी, टकना गुरी, पो–रीठाखुल, चम्पावत पत्राचार पता– कृष्णा कालोनी, मानपुर उत्तर, हल्द्वानी, नैनीताल। 9058037707	सदस्य
04	श्री गणेश बिष्ट	स्व0 श्री नन्दन सिंह, निवासी–245 ए, महालक्ष्मी विहार फेस–3 लालपुर नायक आर0टी0ओ0 रोड हल्द्वानी जिला–नैनीताल। मो0न0–7453919234	सदस्य
05	श्री हरि विनोद जोशी	श्री नेत्रवल्लभ जोशी, निवासी–बी–7, शिवपुरम कालोनी, हनुमान मंदिर के पास, कुसुमखेडा, हल्द्वानी–263139। मो0 नं0–9411196932	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 12:02:14

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, नैनीताल।

10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:29:53

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 163 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद पौड़ी हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्री सुशील कुमार	श्री रामेश्वर प्रसाद, पोखरियाल भवन, लक्ष्मीनारायण मौहल्ला, पौडी गढवाल। मो0न0–7668167173	सदस्य
02	श्रीमती राखी पाल	श्री राजा राम, निवासी–इन्द्रा नगर आमपड़ाव वार्ड न0 14 कोटद्वार। मो0न0–8755818330 ।	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-04-2025 10:55:06
(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, पौड़ी।
8. जिला न्यायाधीश, पौड़ी।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, पौड़ी।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by Prabha Arya
Date: 09-04-2025 12:02:21
आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 162 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद पौड़ी हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री राकेश चन्द्रा बिडालिया	स्व0 विशम्बरदत्त बिडालिया, ग्राम–बडेथ, पो–सन्तूधार, वाया पाटीसैण, वि0ख0–एकेश्वर, थाना पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल। पत्राचार–राकेश चन्द्रा, लक्ष्मी अपार्टमेंट, फ्लेट नं0 ए–2, मोहल्ला सिताबपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल–246169। मो0न0 – 8192843571	अध्यक्ष
02	श्री सुतालाल	स्व0 श्री मनोहरी लाल, निवासी–ग्राम–गिदरासू, पो0–अदवाणी, पटवालस्यूँ, जनपद–पौड़ी। मो0न0 –7417027781	सदस्य
03	श्री सुनील कुमार राणा	श्री अब्बल सिंह राणा, निवासी–श्रीखोन, पो0ऑ – डांडापानी, पट्टी –सितोनस्यूँ, जनपद–पौड़ी गढ़वाल –246194, 9068183344	सदस्य
04	श्रीमती गंगोत्री नेगी	श्री संग्राम सिंह नेगी, निवासी–ग्राम–च्यौंधा, पो0ऑ–पौड़ी, जनपद –पौड़ी गढ़वाल। मो0न0–8979678708	सदस्य
05	श्रीमती सुनीता भटट	श्री रघुवर दत्त भटट, अपर चोपडा, पौडी गढवाल। मो0न0–7505085667	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:35:01

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2/25–01(07)/2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, पौड़ी।
8. जिला न्यायाधीश,पौड़ी ।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, पौड़ी।

10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:28:43

(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 157 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद पिथौरागढ़ हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती लक्ष्मी भट्ट	श्री राजेन्द्र भट्ट, निवासी–ग्राम–गुरना, पो0–गुरना तहसील एवं जिला–पिथौरागढ़। मो0न0–8650651213, पत्राचार पता–होटल प्लाजा हाइडिल गेट तिराहा एचॉली, पिथौरागढ़।	सदस्य
02	श्रीमती गीता चुफाल	श्री पृथ्वीराज चुफाल, निवासी–ग्राम–जी0आई0सी0रोड़ निकट दूरभाष केन्द्र डीडीहाट। मो0न0–9897935234	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:32:11

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, पिथौरागढ़।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:21:50

(प्रभा आर्या)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 156 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद पिथौरागढ़ हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री लक्ष्मण सिंह खाती	श्री बिशन सिंह खाती, निवासी–ग्राम व पो0–बिण जिला पिथौरागढ़। मो0न0–8057124037	अध्यक्ष
02	श्रीनती लीला देवी	श्री कमल सिंह बनग्याल, ग्रा व पो–जौलजीवी, धारचूला, पिथौरागढ। 9458386862	सदस्य
03	श्रीनती प्रेमा सुतेरी	श्री भुवनचन्द्र सुतेरी, निवासी–जाखनी, पिथौरागढ़। मो0नं0 –8126456283	सदस्य
04	श्री सुरेन्द्र राम आर्या	स्व0 श्री शेर राम, निवासी–ग्राम व पो0–झुलाघार जनपद–पिथौरागढ़। मो0न0–9410183070	सदस्य
05	श्रीमती ललिता पंत	श्री सुनील मनोहर पंत, निवासी–ग्राम–कुमौड, पो0 –पिथौरागढ़। मो0न0–7579192249	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-04-2025 11:00:17

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।
8. जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, पिथौरागढ़।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।

12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 09-04-2020
12:05:39

(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 167 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 मार्च, 2025
अधिसूचना अप्रैल,

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम, 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद रूद्रप्रयाग हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती अनुसूया पटवाल	श्री महावीर सिंह, पटवाल ग्राम–बाडा, पो–काण्डई, जनपद–रूद्रप्रयाग। पिन–246171मो0न0 – 80576777012	सदस्य
02	श्री बीर सिंह बर्तवाल	श्री आलम सिंह बर्तवाल, निवासी–दानकोट, पो0–जाखणी, जनपद रूद्रप्रयाग। मो0न0–8650236403	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-04-2025 13:30:08

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8. जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, रूद्रप्रयाग।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:25:22

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 166 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद रूद्रप्रयाग हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती रन्जू खन्ना	स्व0 श्री हरीश खन्ना, निवासी–संगम बाजार वार्ड नं0–04, पो0ऑ–वेलनी। मो0न0–9458332017	अध्यक्ष
02	श्रीमती गीता मलासी	श्री ललित चन्द्र मलासी, निवासी–अगस्तमुनि नाकोट जनपद– रूद्रप्रयाग। मो0न0–7060016711	सदस्य
03	श्री दलबीर सिंह	श्री कौडू सिंह, निवासी–मल्यासू, पो0माई मढी वाया जनपद– रूद्रप्रयाग। मो0न0–8979797173	सदस्य
04	श्रीमती ममता शैली	श्री डी0पी0 शैली, निवासी–नगरासु, पो0–धोलतीर, जनपद– रूद्रप्रयाग। मो0न0–8755798291	सदस्य
05	श्रीमती पूजा त्रिवेदी	श्री आशीष त्रिवेदी, निवासी–ग्राम–किमाणा, तहसील, ऊखीमठी, वार्ड न0 4, रूद्रप्रयाग फो0न0–9634273589	सदस्य

2. उक्त समिति में अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:35:52

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8. जिला न्यायाधीश, रूद्रप्रयाग ।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, रूद्रप्रयाग।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।

12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya आज्ञा से,
Date: 11-04-2025
12:28:13 (प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 179 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल 2025
अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती अमिता रावत	श्री राजीव रावत, निवासी– 9बी म0न0–9 / 4 बौराडी, नई टिहरी। 9412983517	सदस्य
02	श्री बाल कृष्ण भट्ट	स्व0 श्री बृजमोहन भट्ट, निवासी–ग्राम–भटकण्डा पट्टी खास पो0ऑ पिपोला तहसील जाखणीधार जनपद–टिहरी गढ़वाल। मो0न0–8126065205	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:27:05

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. - स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - जिलाधिकारी, टिहरी।
8. - जिला न्यायाधीश, टिहरी।
9. - जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, टिहरी।
10. - सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. - महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. - गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:24:08

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 178 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ 2025
अधिसूचना अप्रैल,

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद टिहरी हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री ऋषि कुमार	स्व0 श्री महानन्द शर्मा, निवासी–मलेलगाँव (कोठार) पो0ऑ–दिउली जनपद–पौड़ी गढ़वाल। मो0न0 –8171624277। पत्राचार–2/10 नेहरू मार्ग, गली न0 14 आशुतोष नगर ऋषिकेश–249201	अध्यक्ष
02	श्री सोवन सिंह रावत	स्व0 बचन सिंह रावत, निवासी–ग्राम व पो0–मन्दार तहसील घनसाली जनपद–टिहरी गढ़वाल। मो0न0–9411519922	सदस्य
03	श्रीमती निवेदिता पंवार	श्री नितेश पवांर, निवासी–ग्राम–धारकोट, पट्टी–उदयकोट, चम्बा, टिहरी गढ़वाल। मो0न0 –7060348679	सदस्य
04	श्री मस्त राम डोभाल	श्री प्रेमदत्त डोभाल, ग्राम–जसपुर, पो–जाख, चौरा, टिहरी गढ़वाल। मो0न0–9412303646	सदस्य
05	श्री राजेन्द्र सिंह गुंसाई	स्व0 श्री बीर सिंह गुंसाई, निवासी–गुंसाई भवन फरासखाना नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल। मो0न0–9760910330	सदस्य

2. उक्त समिति में अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:36:39

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, टिहरी।
8. जिला न्यायाधीश, टिहरी ।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, टिहरी।

10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by Prabha Arya
Date: 11-04-2025 12:27:37
(प्रभा आर्या)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2

संख्या: 155 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835

देहरादून: दिनांक 11 मार्च अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	डॉ0 नन्द किशोर काण्डपाल	स्व0 श्री जी0डी0 काण्डपाल, नि0–ग्राम बोरागॉव, पो0–गनाई चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा। पत्राचार पता–सृस्पास्टिक सोसायटी पीलीकोठी, कालाढुगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल, पिन–263139। मो0 न0–9411163157, 9548036114	सदस्य
02	श्रीमती आरती अरोड़ा	डा0 बसन्त, निवासी–हाउस न0 सी 24 आवास विकास, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर। मो0न0– 9456499477, पत्राचार पता– सुपरविला हाउस –3 मेट्रोपालिस, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	सदस्य

2. उक्त समिति में अध्यक्ष / सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV

पृष्ठांकन संख्या: / XVII-2 / 25-01(07) / 2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. - स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
8. - जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर ।
9. - जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, ऊधमसिंह नगर।
10. - सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. - महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
13. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:23:20

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 154 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए **जनपद ऊधमसिंह नगर** हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती डॉ0 रत्नेश सिंह	श्री रघुबीर सिंह रावत, निवासी–तिवारी नगर, बिन्दुखाता, तहसील–लालकुआँ, जनपद–नैनीताल। मो0न0–8077750522 पत्राचार पता–हाउस न0 137 अलकनंदा अर्पाटमेन्ट सामियाँ लेक सिटी, रूद्रपुर–ऊधमसिंह नगर ।	अध्यक्ष
02	श्री उमेश सिंह	स्व0 श्री मिश्री सिंह, निवासी– ग्राम रहमापुर पो0–जसपुर जिला ऊधमसिह नगर। पत्राधार–हेमन्त त्यागी कैलाश हॉस्पिटल हरिद्वार रोड, देहरादून। मो0न0–9712122112	सदस्य
03	श्रीमती शिवांगी गंगवार	श्री मनोज गंगवार, ग्रा व पो–भंगा, तहसील–किच्छा, जनपद–उधमसिंहनगर। मो0न0–9012096777	सदस्य
04	श्री जितेन्द्र कुमार	स्व0 श्री मूलचन्द, निवासी–महुवाडाबरा, तहसील–जसपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर। मो0न0–7906728649	सदस्य
05	श्रीमती चन्द्रकला राय	श्री अवनीश राय, निवासी–तपस्या बिहार, गंगापुर रोड, रूद्रपुर, जनपद–उधमसिंह नगर, मो0न0–7668637413	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-04-2025 11:01:09

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 25–01(07) / 2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
8. जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर ।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, ऊधमसिंह नगर।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 09-04-2025
12:06:40

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2

संख्याः 168 / XVII-2/25–01(07)/2023/E-58835

देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्री अजय सिंह	श्री कृपाल सिंह, निवासी–ग्राम व पो0ऑ–गंवाणा (गणेशपुर) भटवाड़ी, जनपद–उत्तरकाशी। मो0न0–9458144935	सदस्य
02	श्रीमती गंगेश्वरी राणा	श्री इन्द्रमोहन सिंह राणा, ग्राम–भेलाटिपरी, पो–मल्ला, भटवाडी, उत्तरकाशी। 9557025895	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

Digitally signed by

पृष्ठांकन संख्याः [illegible]/XVII-2/25-01(07)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. - स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. - निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. - जिलाधिकारी, उत्तकाशी।
8. - जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी।
9. - जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, उत्तरकाशी।
10. - सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. - महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. - मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
13. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Prabha Arya
Date: 11-04-2025
12:40:14

(प्रभा आर्य)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः 169 /XVII-2/25–01(07)/2023/E-58835
देहरादूनः दिनांक 11 ~~मार्च~~ अप्रैल 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल किशोर न्याय, (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (नियम 2016) की धारा–27 की उपधारा–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जनपद उत्तरकाशी हेतु जिला बाल कल्याण समिति का गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क.सं.	नाम	पता	पदनाम
01	श्रीमती पुष्पा चौहान	स्व0 श्री गैंणा सिंह चौहान, निवासी–ग्राम–गणेशपुर, पो0 ऑ –गंवाणा जनपद–उत्तरकाशी। मो0न0–9410753309	अध्यक्ष
02	श्रीमती पमिता पैन्यूली थपलियाल	श्री हरीश थपलियाल, कृष्णा निवास निकट पवित्रालीला बाल वाटिका जोशियाडा, तहसील–भटवाडी उत्तरकाशी। 9927461125	सदस्य
03	श्री सुरेश चन्द्र पंवार	श्री भागवत सिंह पवार, ग्राम–सैज, पो–लाटा, जनपद–उत्तरकाशी–249135 मो0न0–9756688224	सदस्य
04	श्री बृज मोहन सिंह रावत	स्व0 श्री प्रताप सिंह रावत, निवासी–ग्राम–मल्ला, पो0ऑ–मल्ला, तहसील–भटवाड़ी–उत्तराशी। मो0न0–8126285009	सदस्य
05	श्रीमती कल्पना ठाकुर गुलेरिया	श्री अजय प्रताप गुलेरिया, निवासी–ग्राम–देवीधार खट्टूखाल, डुण्डा जनपद–उत्तरकाशी। मो0न0–8755946341। पत्राचार पता –पुरानी कचहरी रोड़ जनपद–उत्तरकाशी।	सदस्य

2. उक्त समिति में चयनित अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए नियत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 11-04-2025 11:38:42

(चन्देश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः /XVII-2/25–01(07)/2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी ।

9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, उत्तरकाशी।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by Prabha Arya
Date: 11-04-2025 12:26:51

आज्ञा से,
(प्रभा आर्या)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः ——/ XVII-2/25–01(07)/2023/E-58835
देहरादून दिनांक 06 मई, 2025

अधिसूचना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–163/XVII-2/25–01(07)/2023/E-58835 दिनांक 11.04.2025 द्वारा जनपद पौड़ी हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके क्रमांक 2 पर नामित सदस्य श्रीमती राखी पाल के त्यागपत्र के कारण रिक्त पद के दृष्टिगत, किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के उपनियम 11 से 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्रीमती राखी पाल के स्थान पर श्री यजुवेन्द्र सिंह रावत, निवासी ग्राम –खैरा पो0–खैरासैण जनपद–पौड़ी गढ़वाल को किशोर न्याय बोर्ड, पौड़ी का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 02-05-2025 16:03:36

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 198 / XVII-2/25–01(07)2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, पौड़ी।
8. जिला न्यायाधीश, पौड़ी।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, पौड़ी।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prashant Kumar Arya
Date: 06-05-2025
11:06:54

(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः ——/ XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादून: दिनांक 21 मई, 2025

अधिसूचना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–155 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835 दिनांक 11.04.2025 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके क्रमांक 1 पर नामित सदस्य डॉ0 नन्द किशोर काण्डपाल के त्यागपत्र के कारण रिक्त पद के दृष्टिगत, किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के उपनियम 11 से 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके डॉ0 नन्द किशोर काण्डपाल के स्थान पर श्रीमती शरनजीत कौर, म0न0–105 एब्रो जे ओमेक्स रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को किशोर न्याय बोर्ड, ऊधमसिंह नगर का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 20-05-2025 13:21:41

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 228 / XVII-2 / 25–01(07)2023 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
8. जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, ऊधमसिंह नगर।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prashant Kumar Arya
Date: 21-05-2025
11:22:59

(प्रशान्त आर्य)
उप सचिव।

1

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–——/ XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2025

अधिसूचना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–174 / XVII-2 / 25 01(07) / 2023 / E-58835 दिनांक 11.04.2025 द्वारा जनपद देहरादून हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया था, जिसके क्रमांक 3 पर नामित सदस्य श्री नरेश मिश्रा के त्यागपत्र के कारण रिक्त पद के दृष्टिगत, किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के उपनियम 11 से 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री नरेश मिश्रा के स्थान पर श्रीमती कुसुमा भट्ट, पत्नी श्री धनीराम भट्ट, कुंज बिहार कारगी चौक के पास बंजारावाला, देहरादून को जिला बाल कल्याण समिति, देहरादून का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 23-05-2025 10:34:00

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 237 / XVII-2 / 25–01(07)2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. जिला न्यायाधीश, देहरादून।
9. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, देहरादून।
10. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
11. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
12. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
13. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Prashant Kumar Arya
Date: 23-05-2025
16:26:53

(प्रशान्त आर्य)
...।

1

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः —/ XVII-2 / 25–01(07)2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 29 जुलाई, 2025

अधिसूचना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–154 / XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835 दिनांक 11.04.2025 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया था, जिसके क्रमांक 3 पर नामित सदस्य श्रीमती शिवांगी गंगवार के त्यागपत्र के कारण रिक्त पद के दृष्टिगत, किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के उपनियम 11 से 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्रीमती शिवांगी गंगवार के स्थान पर श्री गौरव तागरा, पुत्र स्व0 श्री नरेश तागरा, नि0–बी 10, वैशाली कालोनी, निकट होटल रूद्रा कॉन्टिनेंटल, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर को जिला बाल कल्याण समिति, ऊधमसिंह नगर का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 28-07-2025 10:30:23

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 358 / XVII-2 / 25–01(07)2023 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
8. जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर।
9. सहायक निबन्धक, कानून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
10. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
11. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
(रंजना राजगुरु) Ranjana Rajguru
अपर सचिव। Date: 28-07-2025 19:20:59

31/7/25

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्याः ——/ XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835
देहरादूनः दिनांक 06 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–175/XVII-2 / 25–01(07) / 2023 / E-58835 दिनांक 11.04.2025 द्वारा जनपद देहरादून हेतु किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके क्रमांक 2 पर नामित सदस्य डॉ0 सुषमा जुयाल अग्रवाल के त्यागपत्र के कारण रिक्त पद के दृष्टिगत, किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 88 के उपनियम 11 से 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके डॉ0 सुषमा जुयाल अग्रवाल के स्थान पर श्रीमती निरुपमा रावत पत्नी श्री रामकिशन सूद, 18 आकाशदीप कालोनी, चकराता रोड, देहरादून / मार्फत मिडफोर्ड हाउस, टी गार्डन बंसल विहार चकराता रोड, देहरादून को किशोर न्याय बोर्ड, देहरादून का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 06-10-2025 11:05:10

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 490 / XVII-2 / 25–01(07)2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला कल्याण उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. जिला न्यायाधीश, देहरादून।
7. जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण, देहरादून।
8. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
9. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
Laxman Singh
Date: 06-10-2025
12:43:43

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–08 /XVII-2/23–01(15)2010
देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी 2024

कार्यालय ज्ञाप

महिला कल्याण विभागान्तर्गत मिशन वात्सल्य योजना एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागान्तर्गत मिशन शक्ति योजना के घटक–सम्बल एवं सामर्थ्य के साथ–साथ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना की नवीन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार उक्त योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु "राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति" में निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

क्र0सं0	नामित अधिकारी	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/न्याय एवं विधि परामर्शी विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	सदस्य–सचिव
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, युवा कल्याण एवं खेल	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, कौशल विकास	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी विकास	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
14	प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
18.	डीन, गो0ब0पंत विश्वविद्यालय के होम साइंस/फूड साइंस एवं टैक्नोलॉजी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
19.	निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
20.	निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
21.	मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0	सदस्य
22.	निपसिड के प्रतिनिधि	सदस्य
23.	सुश्री अदिति पी0 कौर, पर्वतीय बाल मंच की प्रतिनिधि	सदस्य
24.	श्री गजेन्द्र नौटियाल, राज्य समन्वयक, बचपन बचाओ आन्दोलन	सदस्य

2– समिति में नामित समस्त अधिकारियों द्वारा अपनी बैठकों में महिला कल्याण विभागान्तर्गत मिशन वात्सल्य योजना एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागान्तर्गत–मिशन शक्ति योजना के घटक–सम्बल एवं सामर्थ्य के साथ–साथ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

समिति के माध्यम से बाल श्रम, बाल विवाह, स्कूल ड्रॉप आउट, बालिका सुरक्षा विषय पर विभिन्न विभागों व जिलाधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा की जाएगी। बचपन बचाओ आन्दोलन संगठन के साथ मिलकर बाल श्रम एवं बाल विवाह से बच्चों की मुक्ति एवं संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय रिसोर्स सेन्टर का गठन किया जाएगा। जो राज्य, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित योजनाओं एवं मुददों पर सहायता उपलब्ध करायेगी।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 01-01-2024 10:45:13
(डॉ. एस.एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 08 / XVII-2/23-01(15)2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सुश्री अदिति पी० कौर, पर्वतीय बाल मंच की प्रतिनिधि।
6. श्री गजेन्द्र नौटियाल, राज्य समन्वयक, बचपन बचाओ आन्दोलन।
7. गार्ड फाइल।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 02-01-2024 19:02:24
(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

O/C

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–09

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

निदेशालय महिला कल्याण

क्र0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष नं
1.	श्री बंशी लाल राणा	निदेशक	7817073991
2.	श्रीमती रूचिता तिवारी	वित्त नियंत्रक	9412037429
3.	श्रीमती अंजना गुप्ता	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	9412901045
4.	श्री राजीव नयन तिवारी	कुमाऊ मण्डल, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	7579218641
5.	श्री मकान सिंह कण्डारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	7037857445
6.	श्री मोहन चन्द्र जोशी (सम्बद्ध)	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	9412927813
7.	श्री देवेन्द्र सिंह मनराल(सम्बद्ध)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी(संबद्ध)	9627699597
8.	श्री रजनीश पंत (सम्बद्ध)	प्रशासनिक अधिकारी(सम्बद्ध)	9917073817
9.	श्री चन्द्र सिंह तोमर (सम्बद्ध)	प्रधान सहायक	9760199399
10.	श्री रणजीत सिंह गुंसाई	प्रधान सहायक	9897173546
11.	श्री गम्भीर सिंह नेगी (सम्बद्ध)	प्रधान सहायक(संबद्ध)	7253046914
12.	श्री अमित कुमार	वरिष्ठ सहायक	9760394934
13.	श्री दीपसिंह	वैयक्तिक सहायक	9012472904
14.	सुश्री स्वाति भट्ट (सम्बद्ध)	वैयक्तिक सहायक	7417409067
15.	श्री विनोद बर्तवाल (सम्बद्ध)	कनिष्ठ सहायक	7417136980
16.	श्री जयशंकर यादव (सम्बद्ध)	कनिष्ठ सहायक	9458920221

आउटसोर्स कर्मचारी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष नं
1.	श्रीमती समीक्षा शर्मा	विधि अधिकारी	9917892339
2.	श्रीमती दीपिका पयाल राणा	लेखाकार	8077639985
3.	श्री प्रवीण सिंह नेगी	लेखाकार	8938033528
4.	श्री जगदीश प्रसाद भट्ट	वाहन चालक	9411767940
5.	श्री ऋतिक ध्यानी	अनुसेवक	9897551491
6.	श्री गोविंद राम रतूडी	अनुसेवक	9259378764
7.	श्री नितिन राय	अनुसेवक	9760235991
8.	श्री पवन कुमार	अनुसेवक	7900717608
9.	श्री दीपक कुमार	अनुसेवक	9759443300

मिशन वात्सल्य

अ– राज्य बाल संरक्षण समिति(SCPS)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष नं
1.	श्रीमती प्रीति उपाध्याय	कार्यक्रम प्रबंधक	8126985552
2.	श्री आशीष डबराल	कार्यक्रम अधिकारी	9634007164
3.	श्री रामपाल सिंह	कार्यक्रम अधिकारी	8006581485
4.	श्री अजय सिंह	लेखाधिकारी	9690272938
5.	श्री राहुल राणा	लेखाकार	8439765235
6.	सुश्री प्रेमलता	आंकडा विश्लेषक	8630830336

ब–राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण संसाधन (SARA),

क्र0सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष नं
1.	पवनेश गैरोला	कम्प्यूटर ऑपरेटर	

जनपद स्तर अधिकारियों का नाम व पदनाम

कम सं0	जनपद	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	मोबाईल नम्बर
1	अल्मोडा	श्रीमती कल्पना मनराल, जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन, अल्मोड़ा	9759166147
2	बागेश्वर	श्री विजय दीक्षित, जिला प्रोबेशन अधिकारी	तकुला रोड, नियर फायर स्टेशन, बागेश्वर	8840101455
3	चम्पावत	श्री पी0एस0बृजवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी	वर्मा भवन, गोलाचौड रोड,चम्पावत	9756881919
4	चमोली	श्री धनंजय लिंगवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी	हरिओम कॉलोनी, गोपीनाथ मंदिर मार्ग गोपेश्वर, चमोली	9760612584
5	देहरादून	श्रीमती मीना बिष्ट, जिला प्रोबेशन अधिकारी	कलेक्ट्रेट परिसर देहरादून	7055703154
6	हरिद्वार	श्री अविनाश सिंह भदौरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी	निकट आरटीओ रोशनाबाद, हरिद्वार	7579218617
7	नैनीताल	श्रीमती वर्षा, जिला प्रोबेशन अधिकारी	कालाढूंगी निकट जीजीआईसी, नैनीताल	9756490227
8	पौडी गढवाल	श्री अरविंद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन पौडी गढवाल	9599877551
9	पिथौरागढ	श्री वरूण संरग्वान जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन, पिथौरागढ	7906797643
10	रूद्रप्रयाग	श्री अखिलेश मिश्रा, जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन, कोटेश्वर रोड, बेला खुर्द, रूद्रप्रयाग	9411320889
11	टिहरी गढवाल	श्री संजय गौरव, जिला प्रोबेशन अधिकारी	नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल	8006580936
12	उधमसिंहनगर	श्रीमती व्योमा जैन, जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन, रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर	9873752420
13	उत्तरकाशी	मो0 शोएब हुसैन जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन,उत्तरकाशी	9897862575

उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का सम्पर्क सूत्र

क0सं0	जनपद का नाम	नाम	पदनाम	मोबाईल न0
1	पिथौरागढ	श्रीमती लक्ष्मी भट्ट	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8650651213
2		श्रीमती गीता चुफाल	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9897935234
3	अल्मोड़ा	श्री रघुवर दत्त तिवाड़ी	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9411108020
4		श्रीमती चन्द्रा प्रताप	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	7248161935
5	नैनीताल	श्रीमती अंजू कठायत बिष्ट	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8126019106
6		श्री नजर अली	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9837304686
7	बागेश्वर	श्रीमती पुनम भण्डारी	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	7505025549
8		सुश्री हिमानी एस0 सिंह	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9193962352
9	चम्पावत	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9412914305
10		सुश्री उर्मिला	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	7017173366
11	उत्तरकाशी	श्री अजय सिंह	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9458144935
12		श्रीमती गंगेश्वरी राणा	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9557025895
13	चमोली	श्रीमती शान्ती देवी	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8171803997
14		श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8057577205
15	टिहरी	श्रीमती अमिता रावत	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9412983517
16		श्री बाल कृष्ण भट्ट	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8126065205
17	पौड़ी गढ़वाल	श्री सुशील कुमार	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	7668167173
18		श्री यजुवेन्द्र सिंह रावत	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9149169184
19	रूद्रप्रयाग	श्रीमती अनुसुईया पटवाल	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8057677012
20		श्री बीर सिंह बर्तवाल	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8650236403
21	हरिद्वार	श्रीमती कनिका शर्मा	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9557658311
22		श्री आदित्य कुमार	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8859151515
23	देहरादून	श्री अनन्त प्रकाश मेहरा	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8954508145
24		श्रीमती निरूपमा रावत	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	6395770465
25	ऊधमसिंह नगर	श्रीमती शरनजीत कौर	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	8279708585
26		श्रीमती आरती अरोड़ा	सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	9456499477

उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित बाल कल्याण समिति के चयनित अध्यक्षों एवं सदस्यों का सम्पर्क सूत्र

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नाम	पदनाम	मोबईल न0
1	पिथौरागढ़	श्री लक्ष्मण सिंह खाती	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	8057124037
2		श्रीमती लीला देवी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9458386862
3		श्रीमती प्रेमा सुतेरी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8126456283
4		श्री सुरेन्द्र राम आर्या	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9410183070
5		श्रीमती ललिता पंत	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7579192249
6	अल्मोड़ा	श्री देवेन्द्र कुमार जोशी	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9410072727
7		श्री महेश चन्द्र सिंह परिहार	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411118899
8		श्रीमती नीतू कपकोटी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9412045633
9		श्री कृष्ण चन्द्र	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9412913680
10		श्रीमती अर्चना कोठारी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411349090
11	नैनीताल	श्रीमती देवकी आर्य	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	8077875210
12		श्रीमती विनीता पाठक	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8979055524
13		श्री प्रकाश चन्द्र पुजारी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9058037707
14		श्री गणेश बिष्ट	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7453919234
15		श्री हरि विनोद जोशी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411196932
16	बागेश्वर	श्री कैलाश सिंह बोरा	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9917437903
17		श्री नवीन चन्द्र	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411592103
18		श्री अशोक लोहुमी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9412930099
19		श्रीमती भारती खेतवाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9410565930
20		श्रीमती मंजू नगरकोटी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9634281052
21	उधमसिंह नगर	श्रीमती डॉ0 रत्नेश सिंह	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	8077750522
22		श्री उमेश सिंह	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9712122112
23		श्री गौरव तागरा	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9837043850
24		श्री जितेन्द्र कुमार	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7906728649
25		श्रीमती चन्द्रकला राय	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7668637413
26	चम्पावत	श्रीमती आनन्दी अधिकारी	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9456573091
27		श्रीमती सरोज उप्रेती	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9870840187
28		श्रीमती रंजना पाण्डेय	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8057936294
29		श्री मुकुल सिंह ढेक	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411308876
30		श्री बच्ची सिंह पुजारी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8191040400
31	उत्तरकाशी	श्रीमती पुष्पा चौहान	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9410753309

32		श्रीमती पमिता पैन्यूली थपलियाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9927461125
33		श्री सुरेश चन्द्र पंवार	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9756688224
34		श्री बृज मोहन सिंह रावत	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8126285009
35		श्रीमती कल्पना ठाकुर	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8755946341
36	चमोली	श्री सुरेश चन्द्र कुनियाल	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	8129083375
37		श्री राकेश लाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8958433533
38		श्रीमती ममता भट्ट	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8954785744
39		श्रीमती अनिता सेमवाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9756151818
40		श्रीमती लक्ष्मी बोरा	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8941807895
41	टिहरी	श्री ऋषि कुमार	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	8171624277
42		श्री सोवन सिंह रावत	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411519922
43		श्रीमती निवेदिता पंवार	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7060348679
44		श्री मस्तराम डोभाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7060348679
45		श्री राजेन्द्र सिंह गुसांई	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9760910330
46	पौड़ी गढ़वाल	श्री राकेश चन्द्रा विडलिया	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	8192843571
47		श्री सुता लाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7417027781
48		श्री सुनील कुमार राणा	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9068183344
49		श्रीमती गंगोत्री नेगी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8979678708
50		श्रीमती सुनीता भट्ट	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7505085667
51	रूद्रप्रयाग	श्रीमती रंन्जू खन्ना	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9458332017
52		श्रीमती गीता मलासी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7060016711
53		श्री दलबीर सिंह	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8979797173
54		श्रीमती ममता शैली	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8755798291
55		श्रीमती पुजा त्रिवेदी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9634273589
56	हरिद्वार	श्री प्रिय बन्धु	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9506933555
57		श्रीमती सुनीता चौधरी	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8279560025
58		श्रीमती बेबी नाज	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9027316184
59		श्री दिनेश कुमार शर्मा	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9837077527
60		श्रीमती सोनिका	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7302370771
61	देहरादून	श्रीमती नमिता ममगाई	अध्यक्ष बाल कल्याण समिति	9810617478
62		श्री नवीन भारतीय	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9634059599
63		श्रीमती कुसुमा भट्ट	सदस्य, बाल कल्याण समिति	9411156092
64		श्री दिवेश शर्मा	सदस्य, बाल कल्याण समिति	8077703073
65		श्रीमती नीता काण्डपाल	सदस्य, बाल कल्याण समिति	7017349476

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हैं

महिला कल्याण विभागान्तर्गत सृजित पदो के सापेक्ष भरे एवं रिक्त पदो का विवरण

विभिन्न वर्गो के पदो का पदनाम	विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान	लेबल
राजपत्रित श्रेणी–क	स्थाई	अस्थाई					
1. निदेशक	1	0	1	1	0	अपर सचिव पदेन निदेशक	
2. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	1	0	1	1	0	67700–208700	11
योग श्रेणी–क	2	0	2	2	0		
श्रेणी–ख							
1. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	2	0	2	1	1	56100–177500	10
2 विधि अधिकारी	1	0	1	0	1	56100–177500	10
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	3	0	3	3	0	56100–177500	10
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	4	0	4	3	1	47600–151100	8
5. जिला प्रोबेशन अधिकारी	13	0	13	7	6	44900–142400	7
6. प्रोबेशन अधिकारी	2	0	2	1	1	35400–112400	6
7. अधीक्षक/अधिक्षिका	12	0	12	5	7	35400–112400	6
8. केस वर्कर	6	0	6	3	3	35400–112400	6
योग श्रेणी–ख	43	0	43	23	20		
श्रेणी–ग							
1. प्रशासनिक अधिकारी	4	0	4	4	0	44900–142400	7
2. लेखाकार	1	0	1	0	1	35400–112400	6
3. उद्धार अधिकारी	2	0	2	0	2	35400–112400	6
4. मनोवैज्ञानिक	2	0	2	0	2	35400–112400	6
5. मुख्य सहायक	9	0	9	5	4	35400–112400	6
6. सहायक अधीक्षक/स.अधीक्षिका	12	0	12	3	9	29200–92300	5
7. अंन्वेषक	1	0	1	1	0	29200–92300	5
8. वैयक्तिक सहायक	4	0	4	2	2	29200–92300	5

9. वरिष्ठ सहायक	14	0	14	10	04	29200–92300	5
10. नर्स/मैट्रन/कम्पाउण्र	18	0	18	3	15	29200–92300	5
11. पर्यवेक्षक	3	0	3	3	0	25500–81100	4
12. सहायक/नर्सरी अध्यापिका	18	0	18	7	11	25500–81100	4
13. पी.टी.अध्यापक	2	0	2	0	2	25500–81100	4
14. संगीत अध्यापक	1	0	1	0	1	25500–81100	4
15. सहायक विकास अधिकारी	2	0	2	0	2	25500–81100	4
16. हाउस कीपर /गृह माता	2	0	2	0	2	25500–81100	4
17. क्राप्ट अध्यापक	2	0	2	0	2	25500–81100	4
18.. प्ले ऑर्गनाईजर	2	0	2	0	2	25500–81100	4
19. वाहन चालक	3	0	3	0	3	21700–69100	3
20. कनिष्ठ सहायक	17	0	17	03	14	21700–69100	3
21. क्राप्ट प्रशिक्षक	19	0	19	4	15	19900–63200	2
योग श्रेणी–ग	138	0	138	45	93		
श्रेणी–घ							
1. केयर टेकर	36	0	36	13	23	18000–56900	1
2. अनुसेवक	128	0	128	25	103	18000–56900	1
योग श्रेणी–घ	164	0	164	38	126		
महायोग	347	0	347	108	239		
1. अधीक्षिका	0	0	1	0	1	आउटसोर्स	0
2. व्यायाम प्रशिक्षक	0	0	2	1	1	आउटसोर्स	0
3. नर्स/मैट्रन	0	0	4	1	3	आउटसोर्स	0
4. पर्यवेक्षक	0	0	2	1	1	आउटसोर्स	0
5. कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आ0	0	0	1	1	0	आउटसोर्स	0
6. फिजियोथैरेपिस्ट	0	0	2	1	1	आउटसोर्स	0
7. मनोवैज्ञानिक	0	0	3	0	3	आउटसोर्स	0
8. केयर टेकर	0	0	12	12	0	आउटसोर्स	0
9. माली	0	0	1	1	0	आउटसोर्स	0
10. अंशकालिक चिकित्सक	0	0	5	0	5	आउटसोर्स	0
11. रसोईया	0	0	3	3	0	आउटसोर्स	0

12. आया	0	0	3	3	0	आउटसोर्स	0
13. धोबी	0	0	8	8	0	आउटसोर्स	0
14. सफाई कर्मचारी	0	0	8	8	0	आउटसोर्स	0
15. संगीत अध्यापक	0	0	1	0	1	आउटसोर्स	0
16. शल्प प्रशिक्षिका अंशकालिक	0	0	2	0	2	2500/नियत वेतन	0
17. शिक्षक अंशकालिक	0	0	1	0	1	2550/नियत वेतन	0
			59	40	19		

Mission vatsalya scheme staff salary as per guidelines

S. No.	Components	Post name	No. of post	Salary p.month
1	State Child Protection Society (SCPS)	Programme manager	01	46340
		Programme officer	02	34755
		Accountant officer	01	23170
		Accountant	01	18536
		Assistant cum Data Entry Operator	02	13240
2	State Adoption Resource Agency (SARA)	Programme manager	01	46340
		Programme officer	01	34755
		Assistant cum Data Entry Operator	01	13240
3	District Child Protection Unit (DCPU)	District Child Protection Officer	01	44023
		Protection Officer-Institutional	01	27804
		Protection Officer-Non Institutional	01	27804
		Legal cum Probation Officer	01	27804
		Counsellor	01	18536
		Social Worker	02	18536
		Accountant	01	18536
		Data Analyst	01	18536
		Assistant cum Data Entry Operator	01	13240
		Outreach Worker01	02	10592
4	Juvenile Justice Board (JJB)	20 meetings for 2 members	02	-
		Assistant cum Data Entry Operator	01	11916
5	Child Welfare Committee (CWC)	20 meetings for 2 members	02	
		Assistant cum Data Entry Operator	01	11916
6	Child Care Institution (CCI) for 50 children	Superintendent	01	33100
		Counsellor	01	23170
		Probation officer	01	23170
		House mother/House father	02	14564
		Paramedical Staff	01	11916
		Store-keeper cum Accountant	01	18536
		Educator	01	10000
		Art & Craft cum Music teacher	01	10000
		PT Instructor cum yoga Trainer	01	10000
		Cook	02	9930
		Helper cum Night Watchman	02	7944
		Housekeeper	01	7944
7	Child Care Institution (CCI) for 25 children	Superintendent	01	33100
		Counsellor	01	23170
		Probation officer	01	23170
		House mother/House father	01	14564
		Paramedical Staff	01	11916
		Store-keeper cum Accountant	01	18536
		PT Instructor cum yoga Trainer	01	10000
		Cook	01	9930
		Helper cum Night Watchman	01	7944
		Housekeeper	01	7944
8	State Adoption Authority (SAA)	Manager/Coordinator	01	23170
		Social Worker-cum-early childhood educator	01	18536
		Nurse	01	11916
		Doctor(Part time)	01	9930
		Ayahs	06	7944
		Chowkidar	01	7944

9	Open Shelter for children	Project Coordinator	01	23170
		Social Worker	01	18536
		Care givers cum bridge Course Educators	02	11916
		Outreach Workers	03	10592
		Helpers for cleaning and cooking	01	7944

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–11

सभी योजनाओं, प्रस्ताविक व्ययों और किये गये संविताणों पर रिर्पोट की विशिष्टियों

उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

Budget report From 1 April 2024 TO 31 March 2025

S.no	Grant	Scheme Code		Budget Provation	Allotment	Expenditure	% of Exp against	% of Exp
			Central Revenue					
1	15	2235-02-102-01-23	मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवायें तथा बाल कल्याण सेवायें) (60 प्रतिशत केंद्रांश)	130678372	56281711	56281711	43	0
2	15	2235-02-102-01-43	गैर संस्थागत देखभाल–स्पॉन्सरशिप/फॉस्टर केयर/ऑफ्टर केयर (60 प्रतिशत केन्द्रांश)	168448000	78494400	78494400	47	100
3	15	2235-02-102-01-44	स्वच्छता एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) (60 प्रतिशत केन्द्रांश)	5220000	0	0	0	0
4	15	2235-02-102-01-46	चाईल्ड हैल्पलाईन (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना)	49321628	49321628	49321628	100	100
5	15	2235-02-102-01-47	मिशन वात्सल्य योजना (पोक्सो पीड़िता 100 प्रतिशत केन्द्रांश)	13000000	0	0	0	0
6	30	2225-01-001-06-00	राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50 प्रतिशत केन्द्रांश)	2000	0	0	0	0
7	15	2235-02-102-01-42	शक्ति सदन (60 प्रतिशत केन्द्रांश)	9889000	0	0	0	0
			Sum	376559000	184097739	184097739	49	100
			State Revenue					
8	15	2235-02-102-04-00	परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	41758713	41757713	35312029	85	85
9	15	2235-02-102-05-00	बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	5756000	5754000	3939952	68	68
10	15	2235-02-102-07-00	संस्थाओं /गृहों का संचालन	97908287	97907287	80868613	83	83
11	15	2235-02-102-10-00	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन	1000	0	0	0	0
12	15	2235-02-102-17-00	किशोर न्याय निधि का स्थापना	500000	0	0	0	0
13	15	2235-02-102-19-00	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	206400000	202514000	202514000	98	100
14	15	2235-02-103-14-00	मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन	21505000	21500000	20177318	94	94
15	15	2235-02-103-16-00	विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये अन्तर्वासियों का पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता	400000	400000	195000	49	49
16	15	2235-02-103-17-00	महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	1000	0	0	0	0
17	15	2235-02-103-19-00	महिला कल्याण निदेशालय	26385000	19108200	16964767	64	89
18	15	2235-02-103-37-00	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	10000000	10000000	7731900	77	77
19	15	2235-02-107-07-00	मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृह के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	6200000	6200000	6200000	100	100
20	15	2235-02-103-09-00	अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम, 1956 के अधीन अतिरिक्त सुधार संगठनों की स्थापना	14000	0	0	0	0
21	15	2235-02-103-03-00	महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना	1000	0	0	0	0

22	15	2235-02-102-95-23	मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं तथा बाल कल्याण सेवाएं) (10 प्रतिशत राज्यांश)	15000000	7811907	7811907	52	100
23	15	2235-02-102-95-43	गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप/फॉस्टर केयर/ऑफ्टर केयर (10 प्रतिशत राज्यांश)	18761000	8721600	8721600	46	100
24	15	2235-02-102-95-44	स्टेट एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) (10 प्रतिशत राज्यांश)	580000	185667	185667	32	100
25	15	2235-02-102-95-42	शक्ति (केंद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश 10 प्रतिशत)	1098000	0	0	0	0
			Sum	452269000	421860374	390622753	86	93
			Total Revenue	828828000	605958113	574720492	69	95
			Central Capital					
26	15	4235-02-102-01-06	मिशन वात्सल्य योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण (बाल संरक्षण सेवाएं हेतु संस्थाओं का निर्माण (90 प्रतिशत केंद्रांश)	1000	0	0	0	0
27	15	4235-02-102-01-45	बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण (90 प्रतिशत केन्द्रांश)	5000000	0	0	0	0
			Sum	**5001000**	0	0	0	0
			State Capital					
28	15	4235-02-102-95-06	मिशन वात्सल्य योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण (बाल संरक्षण सेवाएं हेतु संस्थाओं का निर्माण (10 प्रतिशत राज्यांश)	1000	0	0	0	0
29	15	4235-02-102-95-45	बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण (10 प्रतिशत राज्यांश)	1821000	0	0	0	0
30	15	4235-02-102-03-00	स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण	1000	0	0	0	0
31	15	4235-02-102-04-00	10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण	20000000	4904400	4904400	25	100
32	15	4235-02-103-06-00	किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	10000000	10000000	10000000	100	0
33	15	4235-02-103-09-00	18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण	49300000	35306800	35306800	72	0
			Sum	80823000	50211200	50211200	62	100
			Total Capital	85824000	50211200	50211200	59	100
			Total Revenue + capital	914652000	656169313	624931692	68	95

Mission vatsalya scheme component wise budget provision as per guidelines

1	State Child Protection Society (SCPS)	Non Recurrring expenditure (once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	815000 2208432 7140000 **10163432**
2	State Adoption Resource Agency (SARA)	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	335000 1132020 1832020 **2167020**
3	District Child Protection Unit (DCPU)	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	525000 3054468 2400000 **5979468**
4	Juvenile Justice Board (JJB)	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	102500 1102992 264000 **1469492**
5	Child Welfare Committee (CWC)	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	102500 2542992 264000 **2909492**
6	Child Care Institution (CCI) for 50 children	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	2000000 2552544 2850000 **7402544**
7	Child Care Institution (CCI) for 25 children	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	1200000 1923288 1525000 **4648288**
8	Specialized Adoption Agencies (SAA)	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	245000 1429920 525000 **2199920**
9	Open Shelter for 25 children	Non Recurrring expenditure(once in 5 yrs) Recurring- (p.ann.) Administrative Expenses(p.ann.)	435000 1263096 1250000
			2948096

Annexure-III

Indicative Qualifications and Roles and Responsibilities of staff for Child Helpline:

A. WCD CONTROL ROOM				
S. No	**Position**	**Number of Staff**	**Qualification**	**Roles & Responsibilities**
1	Helpline Administrator	01	• Any person having a Masters in Law/ Social Work/ Sociology/Social Science/Psychology with at least 5 years' experience of working on child related relevant domains in an administrative set-up with a Government or Non-Government project/programme and preferably with at least 1-year experience of counselling either within or outside the same set-up. • She/he should be preferably a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilized for effective functioning of the centre.	i) The Helpline Administrator will be in charge for the overall smooth functioning of CHL. ii) She/he will ensure prompt and meaningful response towards every call received at the Helpline. iii) She/he will be responsible to monitor and intervene (if required) in any ongoing calls. iv) She/he will supervise each case, take it to a logical conclusion and later follow up with the aggrieved child. v) She/he will ensure effective convergence with concerned agencies/ institutions. vi) She/he will facilitate redressal of issues related to non responsiveness of State agencies/institutions in collaboration with Director, WCD. vii) She/he will be responsible for making schedules for the team and managing the team in such a way that the Helpline is up and active 24 hours a day seven day a week. viii) She/he will be responsible for preparing daily, weekly and monthly reports and preparing periodical reports. ix) She/he will be responsible for formulating Resource Directory containing information about the relevant State and private authorities/institutions/ individuals related to child protection and child rights. x) She/he will be responsible for conducting advocacy meetings to create good working culture between

				CHL and different service providers. xi) She/he will conduct awareness generation activities within community to raise awareness around CHL. xii) She/he will monitor the functioning of CHL, conduct the performance appraisal of the staff, facilitate capacity building, guidance and support for the team. xiii) She/he will be responsible for day-to-day management of CHL team and reporting to Director, WCD and any other competent authority as and when required.
2	Call Operator	12 to 18	Can be outsourced to any person having good communication skills in Hindi, English and / or regional languages and having requisite qualifications and experience of working on telecom / web based relevant systems.	i) She/he will attend the calls; do primary referrals, does data entry and forward serious cases and cases which need first point counselling to Helpline Administrator. ii) She/he will provide information about the Government Schemes and programmes related to Child protection and Child Rights. iii) She/he will provide all the assistance to children applying for any such above mentioned schemes or programmes and guide them through the process to be adopted for accessing the same. iv) She/he will help the Helpline Administrator in attending missed calls. v) She/he will be responsible for other work as assigned by the Helpline Administrator.
3	IT Supervisor	01	The IT services could be outsourced to any person who is a graduate with at least diploma in computers/ IT etc with a minimum of 3 years' experience in data management, process documentation	i) The IT staff will look after the technological aspect of CHL and ensure that it remains functional at all times. ii) She/he would follow strict proceedings to maintain privacy with regard to data generated and will ensure that name and other details of aggrieved child

			and web-based reporting formats, video conferencing at state or district level with government or Non-Governmental/ IT based organizations.	remain confidential in each step of case history documentation. iii) She/he would draft the daily/monthly/quarterly report based on the MIS, web based data collection which would be approved at the level of the Helpline Administrator for submission. iv) She/he with the help of Helpline Administrator will formulate the resource directory containing information about the relevant State and private authorities/institutions/individual related to child protection.
4	Multi-purpose Staff	03	The multi-purpose activity could be outsourced to any person who is literate with knowledge/ experience of working in the relevant domain	i) She/he would be responsible for maintaining hygiene and sanitation at Helpline. ii) She/he will be responsible for the house keeping at CHL.
5	Security Guard/ Night Guard	03	The services could be outsourced to any person having at least 2 years' experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/state level. He/she should preferably be retired military / para-military personnel.	i) She/he will be responsible for the overall security of Helpline Centre. ii) She/he would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at CHL.

B. CHILD HELPLINE UNIT AT DCPU				
S. No.	**Position**	**Number of Staff**	**Qualification**	**Roles & Responsibilities**
1	Project Coordinator	01	Post Graduate degree in Social Work /Sociology/ Child Development/Human Rights Public Administration/ Psychology/ Psychiatry/ Law/ Public Health/ Community Resource Management from a recognized University. OR Graduate in Social Work/Sociology/ Child Development/ Human Rights Public Administration/ Psychology/Psychiatry/ Law/ Public Health/ Community Resource Management from a recognized University with 2 years' experience in project formulation/ implementation, monitoring and supervision in the preferably in the field of Women & Child Development / Social Welfare. Proficiency in Computers. Preference may be given to personnels of working in Emergency Helplines.	i) Overall responsible for supervision and management of Child Helpline Unit at DCPU. ii) Developing strategy for districts that he/she is directly responsible for Childline network and facilitation based on call trends analysis and other qualitative data generated. iii) Capacity building of team during visits. iv) Laisoning with local administration for advocacy. v) Providing data on initiatives taken up towards Institutionalizing Child Rights in functioning of allied systems at the district level. vi) Needs assessment of district, organizing advocacy initiatives and regional networks & campaigns. vii) Responsible for developing good networking and linkages with the Anganwadi workers and members of panchayat/local bodies at community/block levels.

2	Counselor	01	Graduate in Social Work /Sociology/Psychology/ Public Health/ Counselling from a recognized university. OR PG Diploma in Counselling and Communication. **Experience:** At least 1 year of working experience with the Govt./NGO preferably in the field of Women &Child Development. Proficiency in Computers. Preference may be given to personnels of working in Emergency Helplines.	Each Child Helpline Unit at District level shall have a counselor for providing counseling services to children coming in contact with CHL Unit and shall work in close coordination with counselor in DCPU. Calls requiring urgent nature of psycho-social support/Emotional Support and guidance shall be handled by the counselor on priority.
3	Child Helpline Supervisor	from 03 to 04	Graduate preferably in B.A in Social Work/ Computer Sciences/Information Technology/ Community Sociology/Social Sciences from a recognized university. Weightage for experienced candidate Proficiency in Computers Preference may be given to personnels having experience of working in Emergency Helplines.	i) Each Child Helpline Supervisor at district level shall work as a link between the community and the CHL unit at District Child Protection Unit. ii) Responsible for taking calls transferred from WCD Control Room at the CHL unit and taking appropriate action as per the provisions of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015. iii) Responsible for identifying families and children at risk and offer necessary support services. iv) Tending to child related needs like medical, shelter, restoration and nutrition to children in need of care and support. v) Assisting Project Coordinator in organizing awareness activities and

				outreach programmes.
4	Case Worker	from 03 to 04	12th passed from a recognized Board/ Equivalent Board. Good Communication Skills. Weightage for experienced candidate. Preference may be given to personnels of working in Emergency Helplines.	Case workers shall assist Child Helpline Administrator in the implementation of CHL unit at DCPU, intervention of cases, awareness activities and outreach programmes.
C. CHILD HELP DESK AT RAILWAY STATION AND BUS STAND				
S. No.	**Position**	**Number of Staff**	**Qualification**	**Roles & Responsibilities**
1	Child Helpline Supervisor	03	Graduate preferably in B.A in Social Work/ Computer Sciences/Information Technology/ Community Sociology/Social Sciences from a recognized university. Weightage for experienced candidate Proficiency in Computers Preference may be given to personnels having experience of working in Emergency Helplines.	i. The staff available on duty at the Child Help Desk will make every effort to ensure that the procedures relating to the rescue of the child are promptly completed and the child is produced before the Child Welfare Committee (CWC). ii. The staff deputed at the Child Help Desk shall be available round the clock to offer assistance to children in need of care and protection on the Railway Stations/Bus Stands. iii. The staff of Child Help Desk will review and monitor the child care and protection activities at the Railway Stations/Bus Stands. iv. The staff of Child Help Desk will provide the reports of each case to the concerned DCPUs. v. Child Help Desk shall conduct regular awareness and outreach at the premises of Railway Stations/Bus Stands.
2	Case Worker	03	12th passed from a recognized Board/ Equivalent Board. Good Communication Skills. Weightage for experienced candidate. Preference may be given to personnels of working in Emergency Helplines.	

Annexure-IV

A. Financial Support for WCD Control Room:

I. Category A (Large States/UTs)

S. No.	Items of Expenditure	Amount (In Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	20,00,000
	Sub-total (A)	**20,00,000**
(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, Computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS, Genset for uninterrupted power supply in hilly, North East and hard to reach areas)	8,00,000
	Sub-total (B)	**8,00,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Child Helpline Management @ Rs.5.75 lakh per month including insurance@ Rs.330/- per person (Rent, salaries, water, electricity, postage, stationary, photocopy, documentation, travel, training and capacity building, maintenance of systems, etc.)	69,00,000
2	Telephone rent @Rs.55,000/- per month	6,60,000
	Sub-total (C)	**75,60,000**
	Total (A) + (B) + (C)	**1,03,60,000**

II. Category B & C (Medium and Small States/UTs)

S. No	Items of Expenditure	Amount (In Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	20,00,000
	Sub-total (A)	**20,00,000**
(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, Computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS, Genset for uninterrupted power supply in hilly, North East and hard to reach areas)	7,00,000
	Sub-total (B)	**7,00,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Child Helpline Management @Rs.4.25 lakh per month including insurance@ Rs.330/- per person	51,00,000

	(Rent, salaries, water, electricity, postage, stationary, photocopy, documentation, travel, training and capacity building, maintenance of systems, etc.)	
2	Telephone rent @Rs.35,000/- per month	4,20,000
	Sub-total (C)	**55,20,000**
	Total (A) + (B) + (C)	**82,20,000**

B. Financial Support for CHL Unit at DCPU:

Category of Districts: As per 2011 Census, district-wise population is available for 640 districts. Based on the information of the population for 640 districts, five categories for providing financial support for CHL Unit at DCPU have been made. The Indicative list of districts as per population criteria, based on population Census-2011 is at **Annexure-V.**

The budget for CHL Unit at DCPU for districts which have been newly created/re-organized shall be subject to approval of Project Approval Board (PAB) under Mission Vatsalya Scheme on the basis of the population of the district submitted along with the financial proposal by State/UT.

As per Census 2011, 640 districts have been categorized as under:

S. No.	Population Size	Number of districts as per Census 2011	Man power of CHL Unit (Indicative)
I	Less than 1 lakh	26	8
II	1 lakh – less than 10 lakhs	169	8
III	10 lakhs – less than 30 lakhs	320	8
IV	30 lakhs – less than 60 lakhs	113	8
V	60 lakhs and more	12	10

I. Population size less than 1 lakh:

S. No.	Item of Expenditure	Amount (In Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	5,00,000
	Sub-total (A)	**5,00,000**
(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS etc.)	2,50,000
	Sub-total (B)	**2,50,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Remuneration of CHL unit at DCPU including insurance@ Rs.330/- per person	20,88,000

2	Child related contingency fund including costs for medical, shelter, restoration, nutrition etc.	80,000
3	Administrative Expenditure (rent, water, electricity, postage, stationary, telephone with STD, photocopy, documentation, etc.)	3,00,000
4	Travel Expenses/Hiring of Vehicle	1,50,000
5	Child Help Group at Sub-district level/ward/PRI	80,000
Sub-total (C)		**26,98,000**
Total (A) + (B) + (C)		**34,48,000**

II. Population size from 1 lakh – less than 10 lakhs:

S. No.	Item of Expenditure	Amount (in Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	5,00,000
	Sub-total (A)	**5,00,000**
(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS etc.)	2,50,000
	Sub-total (B)	**2,50,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Remuneration of CHL unit at DCPU including insurance@ Rs.330/- per person	20,88,000
2	Child related contingency fund including costs for medical, shelter, restoration, nutrition etc.	1,00,000
3	Administrative Expenditure (rent, water, electricity, postage, stationary, telephone with STD, photocopy, documentation, etc.)	3,00,000
4	Travel Expenses/Hiring of Vehicle	1,50,000
5	Child Help Group at Sub-district level/ward/PRI	80,000
	Sub-total (C)	**27,18,000**
	Total (A) + (B) + (C)	**34,68,000**

III. Population size from 10 lakhs – less than 30 lakhs:

S. No.	Item of Expenditure	Amount (in Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	5,00,000
	Sub-total (A)	**5,00,000**
(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS etc.)	2,50,000

	Sub-total (B)	**2,50,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Remuneration of CHL unit at DCPU including insurance@ Rs.330/- per person	20,88,000
2	Child related contingency fund including costs for medical, shelter, restoration, nutrition etc.	1,25,000
3	Administrative Expenditure (rent, water, electricity, postage, stationary, telephone with STD, photocopy, documentation, etc.)	3,00,000
4	Travel Expenses/Hiring of Vehicle	1,50,000
5	Child Help Group at Sub-district level/ward/PRI	80,000
	Sub-total (C)	**27,43,000**
	Total (A) + (B) + (C)	**34,93,000**

IV. Population size from 30 lakhs – less than 60 lakhs:

S. No.	Item of Expenditure	Amount (in Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	5,00,000
	Sub-total (A)	**5,00,000**
(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS etc.)	2,50,000
	Sub-total (B)	**2,50,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Remuneration of CHL unit at DCPU including insurance@ Rs.330/- per person	20,88,000
2	Child related contingency fund including costs for medical, shelter, restoration, nutrition etc.	1,50,000
3	Administrative Expenditure (rent, water, electricity, postage, stationary, telephone with STD, photocopy, documentation, etc.)	3,00,000
4	Travel Expenses/Hiring of Vehicle	1,50,000
5	Child Help Group at Sub-district level/ward/PRI	80,000
	Sub-total (C)	**27,68,000**
	Total (A) + (B) + (C)	**35,18,000**

V. Population size from 60 lakhs and more:

S. No.	Item of Expenditure	Amount (in Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (one time)**	
1	One time grant for Site readiness (refurbishment cost, working cubicles, minor civil/electrical works etc.)	5,00,000
	Sub-total (A)	**5,00,000**

(B)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture, computers/laptops and other office equipment (tables, chairs, computer tables, air conditioner, cupboards, photocopier-cum-scanner machine, UPS etc.)	3,00,000
	Sub-total (B)	**3,00,000**
(C)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Remuneration of CHL unit at DCPU including insurance@ Rs.330/- per person	25,80,000
2	Child related contingency fund including costs for medical, shelter, restoration, nutrition etc.	1,75,000
3	Administrative Expenditure (rent, water, electricity, postage, stationary, telephone with STD, photocopy, documentation, etc.)	4,00,000
4	Travel Expenses/Hiring of Vehicle	1,75,000
5	Child Help Group at Sub-district level/ward/PRI	1,00,000
	Sub-total (C)	**34,30,000**
	Total (A) + (B) + (C)	**42,30,000**

C. <u>Financial Support for Child Help Desk at Railway Station and Child Help Desk at Bus Stand*</u>:

S. No.	Item of Expenditure	Amount (In Rs.)
(A)	**Non-recurring Expenditure (once in five years)**	
1	Furniture and other office equipments (computer/laptop, tables, chairs, photocopier-cum-scanner machine, UPS etc.)	1,00,000
	Sub-total (A)	**1,00,000**
(B)	**Recurring Expenditure (per annum)**	
1	Remuneration of Child Help Desk Staff including insurance@ Rs.330/- per person	14,76,000
2	Administrative Expenditure (child related contingency fund including costs for medical, shelter, restoration, nutrition, water, electricity, postage, stationary, telephone, photocopy, documentation, travel etc)	1,00,000
	Sub-total (B)	**15,76,000**
	Total (A) + (B)	**16,76,000**

*The budget of Child Help Desk at Railway Station shall be subject to renewal of MoU with the Ministry of Railways. Similarly, the budget of Child Help Desk at Bus Stands shall be subject to locations identified by States/UTs.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की वेबसाइट में जनमानस हेतु सूचनाएं उपलब्ध है

https://wecd.uk.gov.in/

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मलित है

1- सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागतकक्ष में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।

2- सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालय के स्वागतद्वार पर सूचना का अधिकार सम्बन्धी सूचना पट्ट लगाया गया है।

3- सूचना कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

निदेशालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का नाम पदनाम एवं पता

प्रशासकीय	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपीलीय अधिकारी		
	नाम, पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नं0 / ई–मेल	नाम, पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नं0 / ई–मेल
निदेशालय महिला कल्याण उत्तराखण्ड	श्री मकान सिंह कण्डारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी	निदेशालय, महिला कल्याण उत्तराखण्ड, सुद्धोवाला, निकट नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	7037857445 ukchiefpo@gmail.com	श्रीमती अंजना गुप्ता, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	निदेशालय महिला कल्याण, निकट–नंदा की चौकी, सुद्धोवाला, चकराता रोड, देहरादून	7037857445 ukchiefpo@gmail.Com

जनपद स्तर पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं पता

क्र0 सं0	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपीलीय अधिकारी		
	नाम, पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नं0 / ई–मेल	नाम, पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन नं0 / ई–मेल
1	श्रीमती कल्पना मनराल, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	विकास भवन, अल्मोड़ा	9759166147	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन, अल्मोड़ा	05962–230027
2	श्री विजय दीक्षित, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	तकुला रोड, नियर फायर स्टेशन, बागेश्वर	8840101455	मुख्य विकास अधिकारी	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर	05963–220858
3	श्री प्रकाश ब्रिजवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	वर्मा भवन, गोलाचौड़ रोड, चम्पावत	9756881919	मुख्य विकास अधिकारी	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत	05965–230515
4	श्री धनंजय लिंगवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	हरिओम कॉलोनी, गणेश मंदिर मार्ग गोपेश्वर, चमोली	9760612584	मुख्य विकास अधिकारी	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी गोपेश्वर, चमोली	01372–253910
5	श्रीमती मीना बिष्ट, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	केदारपुरम, देहरादून	7055703154	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन, देहरादून	0135–2712569
6	श्री अविनाश सिंह भदौरिया, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	निकट आटीओ रोशनाबाद, हरिद्वार	7579218617	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन रोशनाबाद हरिद्वार	01334–239097
7	श्रीमती वर्षा, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	कालाढूंगी निकट जीजीआईसी, हरिद्वार नैनीताल	9756490227	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन, भीमताल, नैनीताल	05942–248311
8	श्री अरविंद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	विकास भवन, पौड़ी गढ़वाल	9599877551	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन पौड़ी गढ़वाल	01368–222029
9	श्री वरूण संरग्वान,	विकास भवन, पिथौरागढ़	7906797643	मुख्य विकास अधिकारी	कार्यालय मुख्य विकास	05964–225404

	जिला प्रोबेशन अधिकारी,				अधिकारी पिथौरागढ़	
10	श्री अखिलेश मिश्रा, जिला प्रोबेशन अधिकारी,	विकास भवन, कोटेश्वर रोड, बेला खुर्द, रुद्रप्रयाग	9411320889	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन रुद्रप्रयाग	8126340554
11	श्री संजय गौरव, जिला प्रोबेशन अधिकारी	ओल्ड डिल्ट्रॉन बिल्डिंग, नियर बीएसएनएल ऑफिस, टिहरी गढ़वाल	8006580936	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन टिहरी गढ़वाल	01376–232603
12	सुश्री व्योमा जैन, जिला प्रोबेशन अधिकारी	विकास भवन, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	9873752420	मुख्य विकास अधिकारी	कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर	05944–250450
13	मो0 शोएब हुसैन जिला प्रोबेशन अधिकारी,	विकास भवन, उत्तरकाशी	9897862575	मुख्य विकास अधिकारी	विकास भवन उत्तरकाशी	01374–222724

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(आर0टी0आई0)
अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

भारत सरकार और राज्य सरकार से कल्याण के लिये प्राप्त सूचनाओं को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के लिये विहित किया जाता है तथा अन्य सूचनाये मैनुअल 01 से 16 में निहित है।